MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

Transform Rural India

पेसा की पहल

सशक्तता और स्वशासन की कहानियाँ

पेसा की पहल

सशक्तता और स्वशासन की कहानियाँ

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

Transform Rural India

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH

सत्यमेव जयते

पंचायती राज मंत्री
और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री
भारत सरकार
Minister of Panchayati Raj and
Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

DO. No. 29169 MIN PR&FAHD/2025

संदेश

"पेसा की पहल – सशक्तता और स्वशासन की कहानियाँ" शीर्षक का यह संकलन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह संकलन जमीनी नवाचारों और सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों का एक समृद्ध संग्रह है, जो *"पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" (पेसा अधिनियम)* के प्रभावी कार्यान्वयन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

पेसा एक ऐतिहासिक अधिनियम है, जो आदिवासी समुदायों के भूमि, जल, वन संसाधनों, संस्कृति और पारंपरिक शासन प्रणालियों पर उनके अधिकारों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करता है। यह अधिनियम पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाते हुए विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र की भावना को दृढ़ करता है।

यह संकलन देश के पेसा क्षेत्रों से ऐसे विविध प्रयासों को प्रस्तुत करता है, जहाँ आदिवासी समुदायों ने परिवर्तन के प्रभावशाली वाहक के रूप में उभरते हुए पेसा के प्रावधानों का उपयोग अपने अधिकारों की रक्षा, जवाबदेही को मजबूत करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए किया है। ये सर्वोत्तम प्रथाएँ दर्शाती हैं कि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सामुदायिक भागीदारी आधारित शासन की पहलें, उपयुक्त कानूनी और संस्थागत ढांचे के सहयोग से, सतत परिणाम देने में सक्षम हैं।

जब हम सामाजिक न्याय और समतामूलक विकास के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि पेसा की भावना को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में शासन के प्रत्येक पहलू में बनाए रखा जाए। मैं सभी संबंधित पक्षों—राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम सभा सदस्यों और नागरिक समाज संगठनों, से आग्रह करता हूँ कि वे इन सफल प्रयासों से प्रेरणा लेकर मिलकर कार्य करें ताकि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में स्वशासन और जमीनी लोकतंत्र को और सशक्त किया जा सके।

(राजीव रंजन सिंह)

Room No. 234, B- Wing, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001 (India),
Ph. +91 11-23380780/81/82 Fax: +91 11- 23380783 Resi. 011-23782781/82

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
राज्य मंत्री
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी
एवं
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

पंचायती राज

सत्यमेव जयते

Prof. S.P. SINGH BAGHEL
Minister of State for
Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
and
Panchayati Raj
Government of India

संदेश

"पंचायत उपबंध (अनुसूचितक्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" (पेसाअधिनियम) एक ऐतिहासिक अधिनियम है, जो जनजातीय समुदायों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना, पारंपरिक शासन प्रणाली और विकासात्मक आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करता है। यह अधिनियम सहभागी लोकतंत्र की भावना को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करते हुए समावेशी और सशक्त स्व-शासन की संवैधानिक दृष्टि को साकार करता है।

इस संकलन में संकलित सफलता की कहानियाँ न केवल सामुदायिक संस्थाओं की शक्ति को दर्शाती हैं, बल्कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों और स्थानीय पहलों के बीच बढ़ती हुई समन्वयात्मकता को भी उजागर करती हैं। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि किस प्रकार सशक्त ग्राम सभाओं और पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं तथा अपने सांस्कृतिक मूल्यों, पारंपरिक ज्ञान और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की दिशा तय कर रहे हैं। ये सफलताएँ यह स्पष्ट करती हैं कि पेसा की पूर्ण क्षमता को साकार करने में क्षमता संवर्धन, संस्थागत सहयोग और उत्तरदायी शासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मैं उन सभी व्यक्तियों और संस्थानों- सामुदायिक नेताओं, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, राज्य अधिकारियों और मंत्रालय के अधिकारियों- का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रयास में योगदान दिया। मुझे आशा है कि यह प्रकाशन पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में समावेशी और सशक्त शासन की दिशा में कार्यरत सभी हितधारकों के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

Office: Room No. 392, 'E' Wing, 3rd Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Residence: 7, K. Kamraj Lane, New Delhi
Phone: 011-23782143, 23782548, 23782518, E-mail Id: mos-mopr@gov.in

विवेक भारद्वाज, भा.प्र.से.
सचिव
Vivek Bharadwaj, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Dr. Rajendra Prasad Road,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

मैं इस संकलन को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, जो दस राज्यों में पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" (पेसा अधिनियम) के प्रावधानों के कार्यान्वियन में सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाता है। इन सर्वोत्तम प्रथाओं को 13-14 मई 2025 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित "पेसा क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर राष्ट्रीय लेखशाला" के दौरान प्रलेखित किया गया था।

पेसा अधिनियम, 1996, एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य ग्राम सभा की शक्तियों को मजबूत करके पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है। अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ग्राम सभाएं भूमि, लघु वन उपज, गौण खनिज और लघु जल स्रोत जैसे प्रमुख संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर रही हैं, साथ ही वे स्थानीय योजना निर्माण, संसाधनों के प्रबंधन, मादक पदार्थों के नियमन और विवाद निपटाने की पारंपरिक प्रक्रियाओं में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इन पहलों ने न केवल जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत किया है, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया है कि पेसा गांवों में अपार संभावनाएं निहित हैं जिन्हें सक्रिय रूप से उपयोग में लाया जा सकता है।

पंचायती राज मंत्रालय पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। ये कहानियाँ पृथक सफलताएँ नहीं हैं, बल्कि वे उस भविष्य की आधारशिला हैं जिसमें आदिवासी समुदाय सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनें।

मैं उन सभी लेखकों, योगदानकर्ताओं और राज्य प्राधिकरणों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इन प्रेरणादायक कहानियों को साझा किया। मुझे विश्वास है कि ये सफलताएँ देश के अन्य पेसा क्षेत्रों को स्व-शासन और सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित करेंगी।

विवेक भारद्वाज

(विवेक भारद्वाज)

Tel.: 011-23389008, 23074309 • Fax : 011-23389028 • E-mail : secy-mopr@nic.in

विषय सूची

परिचय 13

थीम 1 ग्राम सभा का सशक्तिकरण एवं सुदृढ़ीकरण

1.1. हिमाचल प्रदेश > काजा बाजार का प्रबंधन करने की ग्राम सभा की एक पहल 16
1.2. मध्य प्रदेश > पेसा कानून की ताकत ने दिलाई बंधुआ मजदूरों को मुक्ति 20
1.3. छत्तीसगढ > जल, जंगल जमीन का प्रबंधन करती ग्राम सभा खमढोड़गी 22
1.4. ओडिशा > बड़ालुबाड़ी का ग्रामीण हाट: सामूहिक इच्छाशक्ति, आत्मनिर्भरता और पेसा की क्रियाशीलता की कहानी 27
1.5. गुजरात > पेसा की शक्ति से बाज़ार गाँव के द्वार 29
1.6. आंध्र प्रदेश > परंपराएँ जो जीवंत हैं 32
1.7. महाराष्ट्र > खोकसा बाजार: अपना गांव, अपना बाजार 34
1.8. महाराष्ट्र > पेसा के माध्यम से स्वशासन की यात्रा 37
1.9. आंध्र प्रदेश > कोंध की आवाज़: आंतरिक स्वशासन की मिसाल 39
1.10. छत्तीसगढ > 'पेसा' प्रावधान एवं सामुदायिक भागीदारी - पर्यटन से ग्राम विकास 41
1.11. तेलंगाना > सैंडी (हाट बाजार) से बना व्यापार आसान 43

थीम 2 लघु वनोपज

2.1. हिमाचल प्रदेश > लघु वनोपज की सहभागी वितरण प्रणाली। 46
2.2. राजस्थान > मीठा बदलाव - पाबा की शहद क्रांति 49
2.3. मध्य प्रदेश > तेंदूपत्ता संग्रहण से बदली लोगों की तक़दीर 51
2.4. आंध्र प्रदेश > ग्राम सभा द्वारा तय समर्थन मूल्य से बेहतर हुआ - जीवन एक पहल 53
2.5. महाराष्ट्र > तेंदूपत्ता प्रबंधन के ज़रिए समुदाय का सशक्तिकरण 55
2.6. ओडिशा > वन आधारित उद्यमों से जनजातीय आजीविका का सशक्तिकरण 58

थीम 3 गौण खनिज

3.1. हिमाचल प्रदेश > काज़ा का समुदाय-आधारित खनिज उपयोग 62
3.2. झारखंड > पत्थर की खदानों पर मिला ग्राम सभा को अधिकार 65
3.3. तेलंगाना > रेत खनन के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सुनिश्चित आय 67

थीम 4 लघु जल निकायों का प्रबंधन

4.1. हिमाचल प्रदेश > पोवारी में सहभागीतापूर्ण जल प्रबंधन 70
4.2. महाराष्ट्र > पेसा से जल संसाधन विकास को मिली गति 73
4.3. राजस्थान > सामुदायिक जल प्रबंधन की मिसाल बनी पेसा ग्रामसभा 75

थीम 5 भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम

5.1. झारखंड > गाँव की सामुदायिक जमीन की रक्षा करता पेसा कानून 78

5.2. मध्य प्रदेश > जटिल विवादों के समाधान में पेसा एक्ट बना मददगार 80

5.3. राजस्थान > विस्थापन की विभीषिका के विरुद्ध ढाल बना पेसा अधिनियम 82

5.4. तेलंगाना > हमारा गांव – हमारा न्याय 84

5.5. मध्य प्रदेश > पेसा ग्राम सभा से मिला जमीन पर हक़ 85

थीम 6 मादक पदार्थों की बिक्री और उपभोग का नियंत्रण

6.1. आंध्र प्रदेश > ताड़ीगिरी ने किस्मत बदल दी 88

6.2. मध्य प्रदेश > सामाजिक बदलाव की और जनजाति समाज, मिशन D3 (दारू, दहेज और डीजे) 90

6.3. मध्य प्रदेश > जनजातीय अधिकारों की रक्षा: सोनखेड़ी ग्रामसभा ने अवैध शराब दुकान को कराया बंद 92

थीम 7 सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन

7.1. झारखंड > पेसा से जंगल का प्रबंधन करती ग्राम सभा 95

7.2. महाराष्ट्र > महाराष्ट्र की 5% प्रत्यक्ष निधि योजना : ग्राम सभा को देती आर्थिक स्वतंत्रता 97

7.3. महाराष्ट्र > स्वशासन और सांस्कृतिक समरसता का एक समन्वय: पेंढ़ारशेत 100

7.4. ओडिशा > जनजातीय स्वशासन को मजबूत करती बुडागुड़ा ग्राम पंचायत 104

7.5. राजस्थान > लघु वन उपज के अधिकार से पशुपालन को मिली गति 107

थीम 7 विवादों के निपटारे की पारंपरिक प्रणाली

8.1. झारखंड > जनजातियों की पारंपरिक न्याय व्यवस्था को बल देता पेसा 110

8.2. तेलंगाना > घर बैठे शून्य लागत पर न्याय 112

8.3. मध्य प्रदेश > गैर आदिवासी को हस्तांतरित जमीन ग्राम सभा ने वापस दिलवाई 114

8.4. ओडिशा > परंपरा के माध्यम से सामुदायिक न्याय 116

परिचय

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसे सामान्यतः पेसा अधिनियम, 1996 (PESA Act) के नाम से जाना जाता है, को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को संविधान के 73वें संशोधन द्वारा लागू पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राम सभाओं और उपयुक्त स्तर की पंचायती संस्थाओं को पेसा के अंतर्गत अतिरिक्त शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए गए ताकि वे अपनी पारंपरिक शासन प्रणाली के तहत प्राप्त अधिकारों को जारी रख सके.

ग्राम सभाओं को इन अतिरिक्त शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने पिछले 15 वर्षों में अपने-अपने पेसा नियम बनाए हैं और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में हैं। कुछ ग्राम सभाएं और पंचायतें इन नियमों के अनुरूप अपने अधिकारों का प्रयोग करना भी शुरू कर चुकी हैं। हालांकि, पेसा नियमों के अनुसार पारंपरिक शक्तियों का उपयोग कई बार लिखित न होने के कारण बाहर नहीं आ पाता हैं और बाकि लोगो के साथ साँझा भी नहीं हो पाता है

देश में, कई पेसा ग्राम सभाओं द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को सामने लाने के लिए और अन्य पेसा क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से — ताकि वे भी पेसा अधिनियम के अनुरूप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें — पंचायती राज मंत्रालय ने ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से पेसा राज्यों से श्रेष्ठ पहल एवं कहानियों को एकत्र करने का निर्णय लिया. इसी उद्देश्य से 13-14 मई 2025 को पुणे स्थित यशदा (YASHADA) में एक राष्ट्रीय राइट-शॉप (*Write-shop*) का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 10 पेसा राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस राइट-शॉप में राज्यों के प्रतिनिधियों को यह बताया गया कि वे अपनी श्रेष्ठ पहल को किस प्रकार संरचित करें और उन्हें ऐसी भाषा और रूप में प्रस्तुत करें जिसे अन्य ग्राम सभाएं भी आसानी से समझ सकें।

इस प्रयास के फलस्वरूप पेसा अधिनियम से जुड़े विभिन्न विषयों पर 30 से अधिक श्रेष्ठ पहल एवं कहानियां प्राप्त हुईं — जैसे कि ग्राम सभा का सशक्तिकरण, सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन, लघु खनिज, लघु वन उपज, लघु जल निकायों का संरक्षण, मादक पदार्थों की बिक्री व उपभोग को नियंत्रित करना, भूमि अधिग्रहण, भूमि के हस्तांतरण को रोकना, तथा पारंपरिक विवाद समाधान प्रणाली। सभी कहानियों एक संपादकीय टीम द्वारा और अधिक परिष्कृत किया गया तथा एक चित्रण टीम ने इन्हें दृश्य रूप से आकर्षक बनाया है, जो अब आपके सामने श्रेष्ठ प्रथाओं के संकलन (*Compendium of Best Practices*) के रूप में प्रस्तुत है।

इस संकलन का उद्देश्य है कि ग्राम सभाओं और राज्यों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके और पेसा अधिनियम के भविष्य के कार्यान्वयन के लिए एक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि राज्य की नीतियाँ स्थानीय ज्ञान और अनुभवों से प्रभावित हों।

यह संकलन पेसा क्षेत्रों के प्रितिनिधि , राज्य सरकारों, पंचायती राज मंत्रालय की टीम एवं ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन की तकनीकी टीम के सतत प्रयासों का परिणाम है, जिनकी सूची इस संकलन के अंत में दी गई है।

इस संकलन का उद्देश्य है कि ग्राम सभाओं और राज्यों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके और पेसा अधिनियम के भविष्य के कार्यान्वयन के लिए एक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि राज्य की नीतियाँ स्थानीय ज्ञान और अनुभवों से प्रभावित हों।

विषय 1

ग्राम सभा का सशक्तिकरण एवं सुदृढ़ीकरण

पेसा अधिनियम की धारा 4 (घ)- प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों , उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी।

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ङ) - प्रत्येक ग्राम सभा –

(i) सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वयहन के लिए हाथ में लिया जाए, अनुमोदन करेगी।

ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगी ।

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ङ)(iv) में उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभाओं को ग्राम बाजारों का, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, प्रबन्ध करने की शक्ति प्रदान की गई है।

हिमाचल प्रदेश

काजा बाजार का प्रबंधन करने की ग्राम सभा की एक पहल

परिचय

काजा ग्राम पंचायत ने स्थानीय बाजार की कार्यप्रणाली और शासन में सुधार करने की दिशा में एक सक्रिय और संरचित कदम उठाया है। स्पीति घाटी में बढ़ते पर्यटन और बाजार संचालन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता को समझते हुए, इसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक सक्रिय और संरचित कदम उठाया है।

पृष्ठभूमि

यह कहानी हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक में 3625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्राम पंचायत काजा की है। यह ग्राम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के अंतर्गत आती है। काजा ग्राम पंचायत भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में स्थित है, जहां सर्दियों के मौसम में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों का मौसम काफी सुखद होता है। गर्मियों के इस अनुकूल मौसम के कारण, हाल के दिनों में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जैसे-जैसे अधिक पर्यटक आने लगे, स्थानीय बाजार का आकार और दायरा भी बढ़ता गया। गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों ने अब पंचायत क्षेत्र में अपनी-अपनी दुकानें खोल ली हैं।

काजा ग्राम सभा के सदस्यों को हिमाचल प्रदेश पेसा नियमों के तहत दिए गए प्रावधानों में आशा की किरण दिखाई दी

काजा ग्राम पंचायत का दृश्य

पहल और उसके प्रभाव

गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों के आने से स्थानीय संस्कृति पर भी असर पड़ा है, उदाहरण के लिए, दुकानों का देर रात तक खुला रहना और शोर का स्तर बढ़ना अब आम बात हो गई है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, काजा ग्राम सभा के सदस्यों को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश पेसा नियम, 2011 के तहत दिए गए प्रावधानों, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97-(झ)और हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2011 के नियम 19(2) के तहत दिए गए प्रावधानों के तहत उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी।

इन प्रावधानों के तहत ग्राम सभा द्वारा बाज़ार विनियमन समिति के गठन की अनुमति देने का प्रावधान किया गया हैं। प्रभावी स्थानीय शासन और सहभागितापूर्ण संसाधन प्रबंधन के हित में, ग्राम पंचायत काजा द्वारा बाज़ार विनियमन समिति (एमआरसी) के गठन को अधिसूचित किया गया है। एमआरसी में 23 सदस्य होते हैं (जिसमें एमआरसी के अध्यक्ष ग्राम पंचायत प्रधान भी शामिल हैं), जिसमें 8 सदस्य महिलाएँ (1/3) होती हैं जिन्हें ग्राम सभा द्वारा नामित किया जाता है।

इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

- बाजार अनुशासन और प्रबंधन में सुधार करना।
- स्थानीय विक्रेताओं और उद्यमियों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना।
- यह सुनिश्चित करना कि बाजार स्थानीय परंपराओं, पर्यावरणीय बाधाओं और आर्थिक आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए कार्य करे।

प्रस्ताव के अनुसरण में, काजा बाजार के कामकाज की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए बाजार विनियमन समिति (एमआरसी) का गठन किया गया है। समिति एक समर्पित निकाय के रूप में कार्य करेगी जो निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

- बाजार संचालन में पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाना।
- स्टॉल आवंटन को विनियमित करना और विक्रेताओं के रिकॉर्ड बनाए रखना।
- मूल्य निर्धारण की निगरानी करना और शोषण या एकाधिकार को रोकना।
- बाजार परिसर में स्वच्छ और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों की शिकायतों का समाधान करना।

अतीत में, ग्राम पंचायत काजा का 2014 से काजा स्थित स्थानीय गैर सरकारी संघठनो के साथ मिलकर काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसने पंचायत को कई मोर्चों पर मदद की है और समय-समय पर अपनी राय और सलाह दी है। उपरोक्त कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय महिला मंडल भी एमआरसी में शामिल हो गया और दिनांक: 20 अप्रैल 2025, समय: सुबह 11:00 बजे, स्थान: पंचायत घर, काजा, अध्यक्ष: श्रीमती सोनम डोलमा, बाजार विनियमन समिति की अध्यक्ष-सह-ग्राम पंचायत प्रधान, काजा के नेतृत्व में बाजार विनियमन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मुख्य कार्यवाहियाँ और निर्णय जो उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा किए गए मतदान के आधार पर लिए गए:

- **दुकानों का पंजीकरण:** बाजार विनियमन समिति काजा गांव की सभी दुकानों का पंजीकरण करेगी।
- **कुशल कामगारों का पंजीकरण:** समिति पेंटर, बढ़ई (फर्नीचर श्रमिक), टाइल श्रमिक, प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन आदि सहित सभी कुशल कामगारों का भी पंजीकरण करेगी।
- **दर की घोषणा:** सभी पंजीकृत कामगारों को सेवाओं के लिए अपनी मानक दरें प्रस्तुत करनी होंगी, जिनकी समीक्षा की जाएगी और पूरे गांव में उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए तय किया जाएगा।
- **कैफ़े के पास आचरण:** कैफ़े मालिकों को सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने परिसर के आस-पास धूम्रपान और शराब के सेवन को प्रतिबंधित करने का सख्त अनुदेश दिया गया है।
- **कूड़ेदान की व्यवस्था:** काजा बाजार क्षेत्र की प्रत्येक दुकान को अपनी दुकान के बाहर दो कूड़ेदान रखने होंगे - एक सूखे कचरे के लिए और दूसरा गीले कचरे के लिए, ताकि कचरे को उचित तरीके से अलग-अलग किया जा सके और स्वच्छता को बढ़ावा मिले।
- **सड़कों पर कोई अवरोध न हो:** दुकानदारों को सड़कों पर अपना सामान प्रदर्शित करने से मना किया गया है, ताकि लोगों की आवाजाही के लिए रास्ते साफ रहें और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। परीक्षण के आधार

पर एक घंटे का कर्फ्यू लागू किया जाएगा। वाहन प्रवेश प्रतिबंध (शाम 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक): आपातकालीन वाहनों, पानी के टैंकरों और एसएडीए वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के लिए शाम 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक बाजार में प्रवेश बंद रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य इन व्यस्त घंटों के दौरान भीड़भाड़ को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है।

- **दर सूची का प्रदर्शन:** सभी दुकानों को अपनी दर सूची बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, जिसमें महिला मंडल, काजा द्वारा निर्धारित और अनुमोदित मूल्य शामिल होगा। प्रदर्शन सभी ग्राहकों के लिए दृश्यमान, स्पष्ट और पढ़ने में सुगम होना चाहिए।
- **नियमों का प्रवर्तन:** यदि कोई व्यक्ति या दुकान उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है, तो बाजार विनियमन समिति और ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन निर्णयों का अनुपालन सभी संबंधितों व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है।

काजा पंचायत की बाजार विनियमन समिति के समक्ष चुनौतियाँ:

हिमाचल प्रदेश की जनजाति और सुदूर क्षेत्र लाहौल और स्पीति में स्थित काजा पंचायत की बाजार विनियमन समिति (मार्केट रेगुलेटिंग कमेटी) को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में निम्न शामिल हैं:

पूर्व में जिला प्रशासन व्यापार मंडल और अन्य विभागों के साथ मिलकर बाजार के स्थानीय मामलों की योजना बनाता था और उसका प्रबंधन करता था तथा बाजार से शुल्क और कर के रूप में राजस्व प्राप्त करता था, लेकिन अब बाजार विनियमन समिति के गठन के पश्चात स्थानीय व्यापार मंडल, जिनमें से अधिकांश गैर-जनजातीय लोग हैं, **एमआरसी के साथ सहयोग करने से कतराते हैं। वे पंचायत/एमआरसी के नियमों का पालन नहीं करते हैं,** जिसके परिणामस्वरूप अक्सर विवाद होता है। जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के पास उचित जानकारी नहीं है और वे बाजार विनियमन के संबंध में पेसा अधिनियम और नियमों के तहत गठित एमआरसी की कानूनी शक्तियों को स्वीकार नहीं करते हैं। जिला प्रशासन स्थानीय एमआरसी की राय और परामर्श के बिना एमआरसी के समानांतर अपनी शक्तियों और शासन का प्रयोग करता है।

समिति अक्सर **पंचायत के सीमित कर्मचारियों और वित्तीय संसाधनों** के साथ काम करती है, जो प्रभावी निगरानी, मूल्य निर्धारण नीतियों के प्रवर्तन और व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संघर्ष समाधान को प्रतिबंधित करती है। स्थानीय व्यापार की पारंपरिक और अनौपचारिक प्रकृति के कारण, अक्सर विनियमन का प्रतिरोध होता है, उचित लाइसेंसिंग का अभाव होता है, तथा अनियमित मूल्य नियंत्रण होता है, जिससे एमआरसी के लिए अतिरिक्त बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

बाजार विनियमन समिति के गठन के संबंध में दिनांक 20 अप्रैल 2025 को ग्राम सभा की बैठक

काजा क्षेत्र में, **बाजार को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए एमआरसी की सहायता करने** के लिए आबकारी निरीक्षकों, खाद्य निरीक्षकों, तौल और मानक अधिकारियों जैसे **उचित कानूनी कर्मचारियों की कमी** होती है। पंचायत सचिव एमआरसी के नियमों और अनुशंसाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अनिच्छुक हैं क्योंकि उन्हें जिला प्रशासन से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। स्थानीय त्यौहार के आयोजन के समय, जिला प्रशासन ने बाजार और अन्य क्षेत्रों पर पूरा नियंत्रण कर लिया और स्थानीय निकायों को दरकिनार कर दिया। इन चुनौतियों का सामना करने हेतु काजा में एक निष्पक्ष और कुशल बाजार सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना के विकास, बेहतर रसद सहायता, स्थानीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

काजा में, ग्राम सभा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97-(झ)और हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियम, 2011 के नियम 19(2) के तहत सीधे इस शक्ति का प्रयोग किया, ताकि एक बाजार विनियमन समिति (एमआरसी) का गठन किया जा सके, जो पेसा के तहत परिकल्पित और वैध संरचना है। पेसा अनुसूचित क्षेत्रों में बाजारों के प्रबंधन और विनियमन के लिए ग्राम सभा के अधिकार को मान्यता देता है। काजा ग्राम पंचायत द्वारा एमआरसी का गठन इस शक्ति का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। दुकानों और कुशल मजदूरों का पंजीकरण, मूल्य विनियमन, और दुकानदारों और कैफे मालिकों के लिए आचरण नियमों का प्रवर्तन

सभी विनियामक कार्य हैं जिन्हें पेसा अधिनियम सक्षम बनाता है। पेसा का एक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करे।

देर रात की गतिविधियों को सीमित करने, कैफे के पास धूम्रपान और शराब पर प्रतिबंध लगाने, तथा अपशिष्ट पृथक्करण को अधिदेशित करने का निर्णय, स्थानीय संस्कृति, शांति और पर्यावरणीय पवित्रता को संरक्षित करने के समुदाय के इरादे को दर्शाता है, जो कि सांस्कृतिक रूप से सुसंगत शासन के पेसा के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

स्थानीय लोगों और अन्य हितधारकों ने पेसा की शक्ति को स्वीकार करना शुरू कर दिया है:

पेसा के तहत व्यापक निहितार्थ: *काजा ग्राम पंचायत की सफलता सिर्फ़ स्थानीय सुधार नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों के ज़रिए आदिवासी सशक्तिकरण का प्रदर्शन है। यह दर्शाता है कि अनुसूचित क्षेत्र के शासन को स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं, नैतिकता और पर्यावरणीय चिंताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए किस प्रकार स्थानीयकृत किया जा सकता है, जो कि वास्तव में पेसा का लक्ष्य है। यह भारत भर के अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य ग्राम पंचायतों के लिए स्थानीय बाज़ारों और सामुदायिक विकास की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी स्थापित करता है।*

तेनज़िन ल्हामो, स्थानीय विक्रेता: "बाजार विनियमन समिति ने हमारे बाजार में निष्पक्षता लाई है। पहले, कीमतें असंगत थीं, और पर्यटक अक्सर शिकायत करते थे। अब, स्पष्ट दर सूची और नियमों के साथ, मेरी छोटी सी दुकान बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और ग्राहक हम पर अधिक भरोसा करते हैं। बाजार को साफ रखने के लिए एमआरसी के प्रयास भी काज़ा को आगंतुकों के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं।"

रिनचेन दोरजे, सामुदायिक सदस्य: "एक निवासी के रूप में, मुझे हमारे ग्राम पंचायत के काम पर गर्व है। एमआरसी ने हमारे बाजार को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना दिया है। शाम को वाहनों पर प्रतिबंध से शोर कम हो गया है, और डस्टबिन नियम हमारे गांव को साफ रखता है। यह पर्यटन का स्वागत करते हुए हमारी स्पीति संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में एक कदम है।"

सोनम डोलमा, अध्यक्ष, एमआरसी: "एमआरसी का नेतृत्व करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फायदेमंद भी है।हम अपने समुदाय को पेसा अधिनियम के तहत अपने बाजार पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त बना रहे हैं। कुछ गैर-आदिवासी व्यापारियों के प्रतिरोध और सीमित संसाधनों के बावजूद, हम निष्पक्ष शासन और अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

काजा पंचायत की कहानी पेसा अधिनियम की भावना का व्यावहारिक अवतार है। स्थानीय संस्था निर्माण, जमीनी स्तर पर भागीदारी और सांस्कृतिक सुरक्षा के माध्यम से, यह दर्शाता है कि अनुसूचित क्षेत्र के शासन को शीर्ष-स्तर के प्रशासन से लोगों के नेतृत्व वाले, अधिकार-आधारित स्वशासन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही, यह पेसा के समक्ष मौजूद संरचनात्मक प्रतिरोध को भी उजागर करता है तथा जनजातीय स्वशासन को वास्तविकता बनाने के लिए राज्य स्तरीय मान्यता और समर्थन की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

मध्य प्रदेश

पेसा कानून की ताकत ने दिलाई बंधुआ मजदूरों को मुक्ति

परिचय

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के जुन्नारदेव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पिंडरई कला (चाउमाउ ग्राम) और ग्राम पंचायत चिकटबर्री (चिकटबर्री ग्राम) की ग्राम सभाओं ने मिलकर एक सराहनीय पहल की। इन ग्राम सभाओं ने लगभग 40 बंधुआ मज़दूरों को ठेकेदारी शोषण से मुक्त कराने के लिए निर्णायक कदम उठाया।

पहल और उसके प्रभाव

गांवों में हर हाथ को काम चाहिए, लेकिन रोज़गार की सीमित उपलब्धता के कारण सभी को स्थानीय स्तर पर काम नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में लोग मज़दूरी के लिए अन्य स्थानों की ओर पलायन करते हैं।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

नवंबर 2023 में छिंदवाड़ा ज़िले के जुन्नारदेव जनपद की ग्राम पंचायत पिंडरई कला और चिकटबर्री की ग्राम सभाओं से महाराष्ट्र के सांगली से आए ठेकेदार अजय कुमार चौहान ने संपर्क किया। उसने कोल्हापुर में गन्ना कटाई और सड़क निर्माण के लिए मज़दूरों की आवश्यकता बताई। उसने आदिवासी परिवारों को 400-450 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने का वादा किया।

पेसा कानून श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त साधन के रूप में उभरा है।

40 मजदूर, जिनमें सोहन दर्शमा, मनिया दर्शमा, तूम्मन कायदा, संदीप बैठे और अमरचंद कायदा शामिल थे, ठेकेदार की बातों में आकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर चले गए। ग्राम सभा की शांति एवं विवाद निवारण समिति ने उनका पंजीयन पहले ही अपने पलायन श्रमिक रजिस्टर में कर लिया था और ठेकेदार को जिम्मेदारियों के प्रति अवगत कराया था।

शुरुआत में कुछ दिन तक भोजन और काम की व्यवस्था हुई। लेकिन मजदूरी मांगने पर ठेकेदार टालता रहा और फिर धमकाने तथा मारपीट पर उतर आया। करीब डेढ़ महीने तक मजदूरी नहीं मिली। अंततः सोहन दर्शमा ने अपने गांव में संपर्क कर घटना की जानकारी दी।

बंधुआ मजदूरों की वापसी हेतु ग्राम सभा की कार्यवाही

ग्राम सभा और शांति एवं विवाद निवारण समिति की बैठक बुलाई गई। पेसा नियम 2022 के नियम 24 (2) (क), (ख) के अनुसार कार्यवाही शुरू हुई। अजय ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रस्ताव पारित कर श्रमिक पंजी सहित मामला दमुआ थाने भेजा गया। चूंकि मामला दूसरे राज्य से जुड़ा था, इसलिए जुन्नारदेव जनपद की सीईओ रश्मि चौहान ने कोल्हापुर पुलिस से समन्वय किया।

दोनों राज्यों में एफआईआर दर्ज होने के बाद स्थानीय विधायक से संपर्क किया गया। पुलिस की कड़ी चेतावनी के बाद ठेकेदार ने मजदूरों को रिहा किया। प्रशासन की मदद से 40 मजदूर ट्रेन द्वारा सुरक्षित गांव लौटे। वर्तमान में मामला दर्ज है और कानूनी कार्रवाई चल रही है।

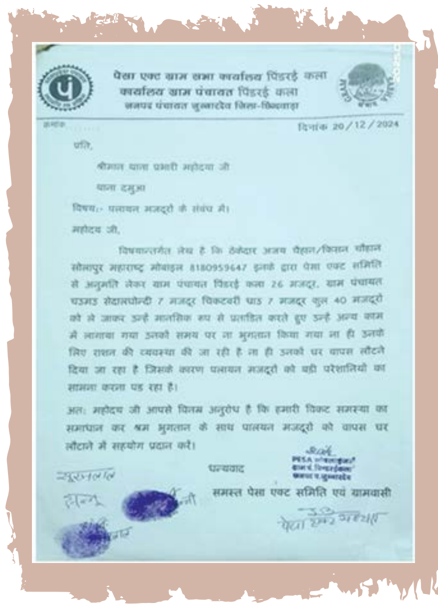

पेसा एक्ट ग्राम सभा कार्यालय पिंडरई कला
कार्यालय ग्राम पंचायत पिंडरई कला
जनपद पंचायत जुन्नारदेव जिला-छिंदवाड़ा

क्रमांक

दिनांक 20/12/2024

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी

थाना दमुआ

विषय:- पलायन मजदूरो के संबंध मे।

महोदय जी,

विषयान्तर्गत लेख है कि ठेकेदार अजय चैहान/किशन चौहान सोलापुर महाराष्ट्र मोबाइल 8180959647 इनके द्वारा पेसा एक्ट समिति से अनुमति लेकर ग्राम पंचायत पिंडरई कला 26 मजदूर, ग्राम पंचायत घड़माड़ शेढालपोन्डी 7 मजदूर चिकटबरी घाड 7 मजदूर कुल 40 मजदूरो को ले जाकर उन्हे मानसिक रूप से प्रताडित करते हुए उन्हे अन्य काम मे लगाया गया उनको समय पर ना भुगतान किया गया ना ही उनके लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है ना ही उनको घर वापस लौटने दिया जा रहा है जिसके कारण पलायन मजदूरो को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

अतः महोदय जी आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारी विकट समस्या का समाधान कर श्रम भुगतान के साथ पालयन मजदूरो को वापस घर लौटाने मे सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद

समस्त पेसा एक्ट समिति एवं ग्रामवासी

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

बंधुआ मजदूरों को ग्राम सभा ने कराया मुक्त

लगभग दो महीने की पीड़ा और शोषण के बाद, ग्राम सभा की सजगता और पेसा कानून की शक्ति से 40 मजदूरों की घर वापसी संभव हो सकी। यह उदाहरण बताता है कि यदि ग्राम सभा जागरूक हो, तो कोई भी शोषण अधिक समय तक नहीं टिक सकता।

अब ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है—मजदूरी के लिए बाहर जाने से पहले पंजीकरण और अनुबंध सुनिश्चित करने की समझ विकसित हो रही है। पेसा कानून श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त औज़ार बनकर उभरा है।

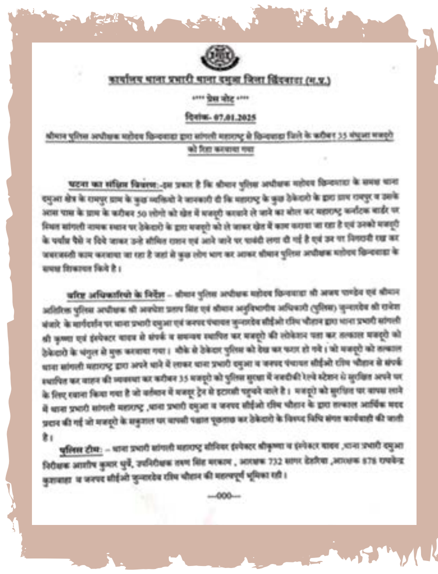

कार्यालय थाना प्रभारी थाना दमुआ जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

**** प्रेस नोट ****

दिनांक- 07.01.2025

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छिन्दवाड़ा द्वारा सांगली महाराष्ट्र से छिन्दवाड़ा जिले के करीब 35 बंधुआ मजदूरो को रिहा करवाया गया

—000—

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

छत्तीसगढ

जल, जंगल जमीन का प्रबंधन करती ग्राम सभा खमढोड़गी

जनजातीय क्षेत्रों में प्रकृति के साथ साथ प्रगति की मूल धारणा के अनुरूप गावों के विकास में पेसा अधिनियम एवं नियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कानून के तहत प्रदत्त सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का प्रयोग कर ग्राम खमढोडगी निरंतर विकास के नए आयामों को प्राप्त करते हुए प्रदेश के अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बन गया है।

पृष्ठभूमि

छत्तीसगढ़ राज्य के पाँचवी अनुसूची क्षेत्र में स्थित उत्तर बस्तर कांकेर जिले के ग्राम पंचायत कोकपुर का आश्रित ग्राम खमढोड़गी जिला मुख्यालय से 11 किमी दूरी पर स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल 413 हेक्टेयर है। यहाँ की जनसंख्य 443 है, जिसमें 231 महिला व 212 पुरूष है एवं साक्षरता 52 प्रतिशत है।

यहां पेसा अधिनियम 1996 तथा छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 के अन्तर्गत गॉव के सम्पूर्ण विकास एवं परम्पराओं के संरक्षण व प्रबंध करने हेतु ग्राम सभा का गठन किया गया है। पेसा नियम के अनुरूप ग्राम सभा के सदस्यों एवं अध्यक्ष के द्वारा विकासत्मक कार्यो के साथ-साथ प्रकृति के संरक्षण संबंधी निर्णय लिये गए है, जिसे जिला प्रशासन की ओर से भी सहयोग किया जा रहा है ।

यदि किसी के द्वारा ग्राम स्तर पर शांति भंग की जाती है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा अनैतिक कार्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध ग्राम स्तर पर जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है जिससे गांव में स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित होता है।

ग्राम सभा बैठक में निर्णय PC सचिव

पहल एवं उसके प्रभाव

छत्तीसगढ पेसा नियम 2022 के नियम19 एवं 20 के अन्तर्गत ग्राम खमढोड़गी में समितियों का गठन किया गया हैं, जिसमें प्रथम है - संसाधन, योजना एवं प्रबंधन समिति (Resource, Planning and Management Committee: RPMC) जो गांव की समग्र विकास हेतु योजना का निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन कर रही है। दूसरी समिति है- शांति एवं न्याय समिति, जो गांव में आपसी समन्वय एवं परामर्श से विवादों का समाधान करती है। समिति गांव में शांति भंग करने वाली घटनाओं की जांच कर उस पर कार्यवाही कर ग्राम सभा में उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। गांव स्तर पर किसी के द्वारा शांति भंग वं असामाजिक तत्वों के द्वारा अनैतिक कृत्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध ग्राम स्तर पर दण्ड राशि प्रावधानित किया गया हैं,जिसके कारण ग्राम में एक स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित है।

इनके अतिरिक्त वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन ग्राम सभा के माध्यम से किया गया है, जो गांव में स्थित सामुदायिक वन संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन करती है। यह समिति गांव में स्थित जंगल में अवैध कटाई एवं आग से बचाव करना, वृक्षा रोपण कार्य, वनोपज संग्रहण जैसे - महुआ फूल, बीज (टोरी), हर्रा, बेहड़ा, चिरौंजी, लाख उत्पादन, कुसुम बीज, तेंदू पत्ता आदि का सामुदायिक रूप से प्रबंधन करती है। वन अधिकार मान्यता कानून 2006 अन्तर्गत गांव में वन संबंधी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य संचालित है जिसके कारण गांव को RoFRA (Recognition of Forest Rights Act) ग्राम के नाम से भी जाना जाता है।

वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गांव में वन संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिसके कारण गांव को RoFRA गांव के नाम से भी जाना जाता है।

चुनौतियाँ

सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण गांव के लोगों में जागरूकता एवं प्रचलित कानून की जानकारी की कमी थी जिससे लोगों का सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी नगण्य थी। ग्राम सभा में भी बहुत कम ग्रामीणों की उपस्थिति होती थी। तकनीकी ज्ञान के अभाव में आजीविका के पारंपरिक साधनों पर ही निर्भरता थी। साक्षरता मे कमी के कारण नवाचारों से भी अनभिज्ञ थे। परंपरागत रूढ़ियों से बंधे होने के कारण अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे।

पेसा एवं वनाधिकार कानून के अधीन बनाये गये नियमों का प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित करने से लोगों में जागरूकता आयी। ग्राम सभा में सामुदायिक भागीदारी से निर्णय लेने के लिए सभी घरों से एक स्त्री एवं पुरूष की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया। वनोपज संग्रहण, मत्स्य पालन, bamboo rafting एवं अन्य आर्थिक आजीविकामूलक गतिविधियों में गांव के अलग-अलग परिवारों को जोड़ा गया जिससे लोगों का जुड़ाव सुनिश्चित किया गया।

गांव को विकसित करने हेतु ग्राम सभा के माध्यम से गांव में कई नियम बनाये गये हैं। जैसे - जंगल को गॉव स्तर में 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पशुचराई का क्षेत्र, निस्तार का क्षेत्र के अतिरिक्त 02 संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्य किया गया है।

मछली पालन में शामिल स्वयं सहायता समूह

ग्राम खमढोडगी का गूगल मानचित्र

- जंगल को आग से बचाने के लिए नियम बनाए गए तथा दण्ड का प्रावधान भी किया गया
- जंगल की रक्षा के लिए प्रत्येक घर से बारी-बारी प्रति दिन एक व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है
- लकड़ी काटने के लिए ग्राम सभा की अनुमति लिया जाता है।
- गाँव में कोई किसी प्रकार की चोरी नही होता है, अगर कोई व्यक्ति चोरी करते पाया जाता है तो दण्ड लिया जायेगा।
- गाँव में शराब बेचना मना है, बेचते पाये जाने पर दण्ड लिया जायेगा।
- जगंली जानवरों को मारना मना है, मारते पाये जाने पर दण्ड लिया जायेगा।
- प्रत्येक परिवार से कम से कम एक महिला और पुरुष का में आना अनिवार्य है।
- ग्राम सभा का निर्णय उन सभी लोगों पर भी लागू होगा जो व्यक्ति ग्राम सभा में अनुपस्थित रहेगा।
- गांव में जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत निजी एवं सामुदायिक 50 तालाब का निर्माण, कंटूर, बोल्डर, गेबिएन, परकोलेशन टैंक जैसे संरचना, मनरेगा, वन विभाग, वॉटर शेड एवं समर्थन संस्था के द्वारा बनाया गया है। साथ ही जल संरक्षण हेतु भी लोगों को ग्राम सभा के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है।

ईको टूरिज्म

ग्राम में स्थित खमढोड़गी जलाशय में बम्बू रॉफ्टिंग की शुरूआत किया गया है, जिसका सम्पूर्ण निगरानी ग्राम सभा की RPMC के माध्यम से किया जा रहा है। इससे गांव के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। यह जलाशय चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह स्थल पर्यटन केन्द्र के रूप में उभरा है और यहां पर देश-विदेश से लोग बम्बू रॉफ्टिंग का लुफ्त उठाने के लिए आ रहे हैं।

पर्यटकों की बांस राफ्टिंग

मुख्य अतिथि द्वारा बांस राफ्टिंग का उद्घाटन

आजीविका संवर्धन

गॉव में सामुदायिक एवं निजी 50 तालाब का निर्माण किया गया है जिसमें ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह एवं व्यक्तिगत किसानों के द्वारा मछली पालन किया जाता हैं। स्वयं सहायता समूह एवं व्यक्तिगत किसानों के द्वारा सीता फल उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है

सीताफल के गूदा का प्रसंस्करण

सामुदायिक मत्स्य पालन

ग्रामीणों द्वारा मछली पकड़ने की गतिविधि

सभी सामुदायिक तालाब के मेड में पौधा रोपण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया गया है। गांव में मछुआ समूह के माध्यम से तालाबों से मछली को पकड़ा जाता है। मछली पालन से प्राप्त राशि को ग्राम सभा कोष में जमा किया जाता है। उक्त राशि से अगले वित्तीय वर्ष के लिए मछली बीज क्रय किया जाता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के द्वारा सीता फल के पल्प से आईसक्रीम तैयार कर विक्रय किया जाता जिसका लाभ स्वयं सहायता समूह को प्राप्त हो रहा है। साथ ही लघु वन उपज को भी स्वयं सहायता समुह के द्वारा खरीदा जाता है जिससे उनके आय में वृध्दि होता है।

सीता पल्प उत्पादन की जानकारी

क्रमांक	स्व सहायता समूह	वित्तीय वर्ष 2020&21	वित्तीय वर्ष 2021&22	वित्तीय वर्ष 2022&23	वित्तीय वर्ष 2023&24	कुल राशि
1	जय माँ मावली	30000-00	108000-00	135000-00	144000-00	417000-00

Sources: Primary Data

मछली पालन से कुल आय की जानकारी

क्रमांक	स्व सहायता समूह का नाम	वित्तीय वर्ष 2021&22	वित्तीय वर्ष 2022&23	वित्तीय वर्ष 2023&24	मछली पालन से कुल आय
1	जय माँ मावली माता	6800-00	15000-00	17200-00	39000-00
2	नव युवक मंडल	8165-00	7685-00	26685-00	42535-00
3	ग्राम सभा समिति	35600-00	47260-00	55000-00	137860-00
	कुल राशि	**50565-00**	**69945-00**	**98885-00**	**219395-00**

Sources: Primary Data

गोंडरी बाड़ी का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण

पहले गॉव के लोग जंगल से ढेकरा (झाड़ी वाला पेड़) लाकर सब्जी उत्पादन करते थे, जिससे अधिक पेड़ो की कटाई होता था, परन्तु अभी मचान विधि से सब्जी उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए सिर्फ पेड़ों की शाखाओं की कटाई की जाती है।

खेत से सब्जियाँ तोड़ते सदस्य

खेत से सब्जियाँ तोड़ते सदस्य

निष्कर्ष

ग्राम खमढोड़गी, में अनुसूचित जनजाति द्वारा वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा अधिनियम के तहत सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त कर जो कार्य किए गए है, वह न केवल स्थानीय संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन की मिसाल हैं, बल्कि समुदाय-आधारित शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता का भी प्रमाण हैं। ग्रामवासियों द्वारा जल, जंगल और जमीन पर अपने अधिकारों का समझदारी से उपयोग करते हुए जल-संरक्षण, मृदा-संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को बढ़ावा दिया गया हैं। इससे न केवल उनकी आजीविका सशक्त हुई है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित हुई हैं। यह सफलता की कहानीदेश के अन्य पेसा ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रेरणा-स्त्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं।

आज जल दिवस • पिछले तीन सालों में सिंचाई क्षमता बढ़ने से फसल उत्पादन में वृद्धि, 113 एकड़ सिंचित भूमि का हुआ विस्तार

जल संरक्षण से 5 गांव में 394 एकड़ बढ़ा जलग्रहण क्षेत्र

किसान औसतन 2 लाख की अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

दैनिक भास्कर कांकेर 27-12-2024

ग्राम खमढोडगी में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ

कांकेर। खमढोडगी (कोकपुर) में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण।

भास्कर न्यूज | कांकेर

ग्राम खमढोडगी (कोकपुर) में दो दिवसीय ग्राम सभा सशक्तिकरण व वन प्रबंधन के ऊपर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रथम दिवस वन प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र से प्रबंधन विशेषज्ञ सचिन आत्राम द्वारा गांव के अलग-अलग वन क्षेत्रों मे फील्ड विजिट कर प्रबंधन के आवश्यक तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। गांव वालों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रबंधन प्लान बनाने के तरीको को समझाया गया। दूसरे दिन मास्टर ट्रेनर तुलसी नेताम द्वारा ग्राम सभा के विभिन्न समितियों के संचालन के लिए आवश्यक पंजियों के संधारण, रखरखाव व दस्तावेजीकरण के तरीकों की जानकारी दी गई। ग्राम सभा अध्यक्ष के द्वारा सामुदायिक संसाधन केंद्र, बीज बैंक, खमढोडगी जलाशय में बांस से बने नौकायान संचालन के लिए ग्राम सभा द्वारा नियम बनाने पर भी चर्चा की गई। सचिन आत्राम ने बांस बीज से नर्सरी तैयार करने के विधि भी ग्राम सभा के सदस्यों को बताए गए।

इस अवसर पर ग्राम सभा अध्यक्ष शिवराम उसेंडी, शांति एवं न्याय समिति सदस्य रूप सिंह कोमरा, ग्राम प्रमुख सियान ललपू मंडावी, अमृत नाग, मोहपाल नेताम, तिजमन दुग्गा, पुनीत हिचामी, सरपंच प्यार सिंग मंडावी, पंच रूप राय कोमरा, तिलोका मंडावी, सुशीला मंडावी, नवोदित समाज सेवी संस्था के खमनी कुंजाम, मन्नू राम कुरेटी आदि उपस्थित थे।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

ओडिशा

बड़ालुबाड़ी का ग्रामीण हाट:
सामूहिक इच्छाशक्ति, आत्मनिर्भरता और पेसा की क्रियाशीलता की कहानी

पेसा अधिनियम, 1996 ग्राम सभाओं को गांव के बाज़ारों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। इस प्रावधान के तहत ओडिशा के रायगढ़ ज़िले की बादालुबाड़ी ग्राम पंचायत में 'ग्रामीण हाट' नामक एक सामुदायिक बाज़ार सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाया जाता है। इस साप्ताहिक बाज़ार में 85% से ज़्यादा समुदाय के लोग हिस्सा लेते हैं, जिनमें किसान, कारीगर, वन उत्पाद संग्रहकर्ता और महिला विक्रेता शामिल हैं, जो इस पहल से लाभान्वित भी होते हैं।

पृष्ठभूमि

बड़ालुबाड़ी ग्राम पंचायत सुदूरवर्ती क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जीवंत जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण है तथा मुख्यतः कृषि और वन आधारित आजीविका पर निर्भर है। अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध संस्कृति के होते हुए भी, इस समुदाय को कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसकी बाजारों तक सीमित पहुंच थी, जिसके कारण ग्रामीणों को सामान खरीदने या बेचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इससे बिचौलियों के हाथों उत्पादकों का शोषण भी हुआ, जिससे उनकी कमाई में काफी कमी आई। साथ ही, जनजातीय कारीगरों, महिला विक्रेताओं और किसानों के लिए अपनी उपज और उत्पाद बेचने के लिए औपचारिक स्थानों की कमी थी।

बेहतर पहुँच के लिए स्थानीय हाट

वर्ष 2024 की शुरुआत में, ग्राम सभा के परामर्श और संसाधन जुटाने के साथ ग्रामीण हाट की अवधारणा और योजना शुरू हुई। बदालुबाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच ने समुदाय को एकजुट करने और संस्थागत संबंध स्थापित करने के प्रयासों का नेतृत्व किया। सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता दी गई।

ग्रामीण हाट का प्रभाव समुदाय के लिए परिवर्तनकारी रहा है। हाट में 60 से ज़्यादा स्थानीय और शहरी विक्रेता हैं, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, जिससे 300 परिवारों की आय में वृद्धि हुई है।

5वें राज्य वित्त आयोग की निधि से ग्रामीण हाट का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने एक स्थायी मार्केट शेड के निर्माण के माध्यम से सहायता प्रदान की। इसका उद्घाटन दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को हुआ और यह हर बुधवार को संचालित होता है। वेंडिंग स्पेस के साथ-साथ शौचालय और पार्किंग की जगह भी उपलब्ध है। स्थिरता और इसमें निरंतर सुधार सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत और समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी की जाती है।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

परिणाम

ग्रामीण हाट ने समुदाय में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इस हाट में 60 से अधिक स्थानीय और शहरी विक्रेता हैं, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, जिससे 300 परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायत विक्रेताओं से शुल्क लेकर आय कमाती है, जिसे फिर सामुदायिक सेवाओं में लगाया जाता है। स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता ने यात्रा और उससे जुड़ी लागतों को कम किया है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ग्राम पंचायत वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदाम के साथ-साथ और भी निर्माण करने की योजना बना रही है।

हाट की सफलता ने सामुदायिक स्वामित्व और गौरव को बढ़ावा दिया है, जिससे ग्राम सभा को निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में मजबूती मिली है। इस परियोजना से उत्पादक और उपभोक्ता सीधे जुड़ पाए, बिचौलिए हट गए और जनजातीय परिवारों की आमदनी बढ़ी। इससे पारंपरिक शिल्प और जंगल से मिलने वाले उत्पादों का कारोबार फिर से शुरू हुआ और जनजातीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और उससे पैसा कमाने का एक मंच मिला। यह मॉडल अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में भी अनुकरणीय और विस्तार योग्य है, जो स्थानीय शासन के साथ आजीविका संवर्धन को एकीकृत करने का प्रयास करता है।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

गुजरात

पेसा की शक्ति से बाज़ार गाँव के द्वार

परिचय

जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए साप्ताहिक हाट बाजार हमेशा से एक विशेषाधिकार रहा है। उनकी अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ, त्यौहार और उनकी साप्ताहिक योजनाएँ इसी हाट बाजार के दिन पर टिकी होती हैं। ख़ासकर महिलाएँ जो इन स्थानीय बाजारों के दिन और स्थान पर अधिक निर्भर रहती हैं क्योंकि उन्हें साप्ताहिक बाजार के साथ घरेलू आवश्यकताओं की सूची तैयार करनी और खरीदनी होती है और इसलिए, इस बाज़ार का होना इन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है।

पृष्ठभूमि

तापी जिले की डोलारा ग्राम पंचायत ने इस संबंध में न केवल साप्ताहिक बाजार के लिए लोगों को जुटाकर बल्कि ग्राम सभा में संयुक्त रूप से प्रस्ताव पारित करके इसे अपने गाँव में आयोजित करके एक मिसाल कायम की है। यह काम आसान नहीं था क्योंकि इसके लिए जगह और बाजार के लिए आवश्यक निर्माण की जरूरत थी और इसके लिए लोगों को जुटाना था। पेसा अधिनियम, धारा 4 (ड)(iv) के प्रावधान ने विशेष रूप से पंचायत को यह निर्णय लेने में सहायता की और ग्राम सभा को ऐसे निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की।

पेसा अधिनियम-1996 के तहत ग्राम सभा द्वारा किए गए कार्यों से डोलारा के ग्रामीणों में आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपराओं और रीति-रिवाजों आदि के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आए हैं।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

ग्राम सभा डोलारा (डोलारा ग्राम पंचायत), तहसील व्यारा, जिला तापी

दिनांक 26/01/2017 को आयोजित ग्राम सभा में डोलारा गांव के ग्रामीणों ने कानून की शक्ति और अधिकार के साथ 12 सदस्यों की एक समिति बनाई। सरपंच श्री नितेशभाई एन.गामित की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से गांव की गौचर भूमि (सर्वे क्रमांक 218) पर हाट बाजार खोलने को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बेकार पड़ी भूमि का सदुपयोग करना और गांव की आय में वृद्धि करना है

पेसा अधिनियम-1996 के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा किए गए कार्यों से डोलारा तहसील व्यारा, जिला तापी के ग्रामीणों के बीच आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपराओं और रीति-रिवाजों आदि के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आए हैं।

गुजरात राज्य के तापी जिले की व्यारा तहसील में स्थित डोलारा ग्राम पंचायत का डोलारा गांव पूरी तरह से पेसा क्षेत्र में आता है और यहाँ के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। पंचायत ने अपनी नियमित ग्राम सभा की बैठक में इस बात पर चर्चा की कि लोगों को अपनी नियमित खरीदारी के लिए शहर के बाजारों में जाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम सभा में महिलाओं ने अपने समय और संसाधनों की बचत करने और पंचायत को

अपनी आय उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करने के लिए गांव के अंदर बाजार की सुविधा की मांग भी उठाई।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

पहल एवं उसके परिणाम

महिला समूह के साथ मिलकर, गांव के सरपंच ने गांव में एक स्थानीय बाजार की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। सहमति के बाद, उन्होंने इस प्रस्ताव को ग्राम सभा में रखा। चूंकि डोलारा गांव पूरी तरह से जनजातीय हैं, इसलिए यहां अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून लागू है और इसलिए ग्राम सभा को गांव के हाट के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है क्योंकि उनका इस पर पूरा नियंत्रण है। राज्य पेसा नियमों के अनुसार, ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में गांव के हाट की देखभाल करने और दुकानदारों और स्थानीय ग्राहकों के लिए पानी, शेड और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार है, इसके अलावा वे इस पर कर आदि भी लगा सकते हैं। लोगों ने आपस में विचार-विमर्श किया और एक ऐसा स्थान तय किया जो सभी नागरिकों, खासकर महिला सदस्यों के लिए सुलभ हो, जो चाहती थीं कि यह स्थान गांवों के नजदीक हो, जिस पर ग्राम सभा के सभी सदस्यों ने सहमति जताई। इस प्रावधान का उपयोग करते हुए, ग्राम सभा ने अपने गांव के क्षेत्र में एक साप्ताहिक हाट बाजार आयोजित करने का निर्णय लिया।

ग्राम सभा ने वार्षिक योजना को स्वीकृति देते हुए टीएसपी निधि के तहत हाट बाजार और उससे जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी है क्योंकि वे दुकानें, शेड और छत सहित स्थायी कंक्रीट संरचनाओं का खर्च नहीं उठा सकते हैं, इसलिए वे खुले में अपनी वेंडिंग प्रणाली स्थापित करते हैं। जिसके कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हाट बाजार को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने राज्य सरकार की बिरसा मुंडा हाट बाजार योजना का लाभ उठाया है और हाट बाजार में मंच, पार्किंग, पानी, बिजली, शौचालय आदि आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ताकि लोगों को स्थानीय ग्रामीण बाजार में कृषि उपज, सब्जियां, वनोपज, संबंधित वस्तुएं और हस्तशिल्प बेचने और खरीदने के लिए एक मंच मिल सके। महिलाओं के लिए विशेष रूप से अलग शौचालय बनाए गए हैं तथा बिजली की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

बिरसा मुंडा हाट बाजार (डोलारा गांव)

ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद डोलारा गांव में साप्ताहिक बाजार की शुरुआत हुई। इससे न केवल डोलारा में रोजगार के अवसर पैदा हुए, बल्कि मेधापुर, सरैया, करंजवेल, सांकी, चिंडिया, रानिअम्बा, चिचबर्डी, पेरवाड, मीरपुर और मादव जैसे आसपास के गांवों को भी लाभ हुआ। अब ग्रामीणों को रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता।

हाट बाज़ार जनजातीय जीवन शैली में गहराई से जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ़ व्यापार से कहीं ज़्यादा सुविधाएँ देते हैं। वे समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। ये बाज़ार लोगों को सब्ज़ियाँ, दालें, फल, जड़ी-बूटियाँ, चावल, हस्तशिल्प और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें बेचने में सक्षम बनाकर स्थानीय रोज़गार पैदा करते हैं, जो परिवारों के लिए आय का एक अहम ज़रिया बन जाते हैं।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

इन बाज़ारों की ताकत उनकी सादगी और सुलभता में निहित है। इनमें किसी बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, जो उन्हें जनजातीय उद्यमशीलता के लिए आदर्श मंच बनाती है। ये बाज़ार बाहरी व्यापारियों को भी आकर्षित करते हैं, जिससे जनजातीय उत्पादों की पहुँच व्यापक बाज़ारों तक हो पाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं, सांस्कृतिक परम्पराओं को सहेजने में मदद करते हैं और समुदाय के लोगों के मिलने-जुलने के लिए जगह मुहैया कराते हैं।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

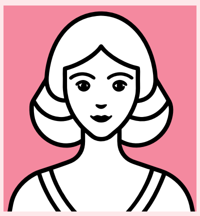

महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से प्रभावशाली रही है। कई हाटों में महिलाओं द्वारा संचालित स्टॉल हैं, जो उनके आत्मविश्वास और आय को बढ़ाते हैं और सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर, हाट बाजार आदिवासी समुदायों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाते हैं। ग्राम पंचायत और सरकार के सहयोग से, समग्र आदिवासी विकास के लिए इनका बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) आदिवासी समुदायों के स्वशासन, पारंपरिक प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है। यह ग्राम सभा को भूमि उपयोग, वन प्रबंधन और स्थानीय रीति-रिवाजों सहित गांव के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। पेसा के तहत, ग्राम सभाओं को अपनी भूमि और संस्कृति की सुरक्षा का कानूनी अधिकार प्राप्त है। उन्हें अपने क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए सहमति देनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता और जन-भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यह कानून जबरन भूमि हस्तांतरण को रोकता है और स्थानीय संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर, पेसा अधिनियम आदिवासी समुदायों को अपने संसाधनों का प्रबंधन करने, अपनी पहचान को संरक्षित करने और अपने विकास को आकार देने में सक्षम बनाता है। प्रभावी ढंग से लागू होने पर, यह स्थानीय सशक्तीकरण और सतत प्रगति के लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाता है।

परंपराएँ जो जीवंत हैं

परिचय

आंध्र प्रदेश का रामपचोदवरम प्रभाग जनजातीय विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध है। यहाँ पर रहने वाले कोंडा रेड्डी, कोया, कोंडा डोरा, वाल्मीकि और सवारा जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार में प्रकृति, कृषि और सामुदायिक जीवन को प्रधानता दी जाती है।

चैत्र उत्सव, इतिकला पंडुगा, भूदेवी पूजा/ग्रामदेवता पंडुगा, पूस कोलुपु (पूर्वजों और आत्माओं की पूजा) और गोंडुरु पंडुगा जातरा आदि त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। रामपचोदवरम में ग्राम सभाओं के मार्गदर्शन में त्यौहारों के सामूहिक आयोजन ने सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करने और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने का काम किया है।

परंपराओं और रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षण पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 1996 (पेसा अधिनियम) की धारा 4 (घ) द्वारा समर्थित है और ग्राम सभा के अधिकारों के भीतर है।

रामपचोदवरम ने दिखाया है कि पंचायत और पारंपरिक ग्राम नेतृत्व के बीच बेहतर सहयोग पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का एक टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण तरीका है।

पहल एवं उसके प्रभाव

जनजातीय त्यौहारों के अनुष्ठान (छवि का स्रोत: traveltriangle.com/blog/festivals-in-andhra-pradesh)

रामपचोदवरम में, गांव के बुजुर्ग और जनजातियों के प्रमुख पारंपरिक मुखिया ऐसे उत्सवों को मनाने के लिए तिथियां, स्थान (अक्सर पवित्र उपवनों या पहाड़ियों के पास) और त्योहारों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए एकत्रित होते है।। वन क्षेत्रों, गांव के बाहरी इलाकों या पहाड़ी मंदिरों (जिन्हें कोंडा देवथलू कहा जाता है) को सामूहिक रूप से साफ और पवित्र किया जाता है।

सामूहिक रूप से भोजन बनये जाते हैं और गाँव में बाँटा जाता है। महुआ के फूलों या ताड़ी से बनी शराब आम तौर पर परोसी जाती है। गाँव के बुजुर्ग युवा पीढ़ी को लोककथाएँ, मिथक और पिछले त्यौहार के बारे में कहानियां सुनाते हैं, और मौखिक रूप से संस्कृति का संचार करते हैं।

हर जनजाति परिवार वस्तु (चावल, दाल, जलाऊ लकड़ी, मुर्गियाँ) या नकद के रूप में योगदान देता है। यह योगदान आमतौर पर गाँव के बुजुर्गों द्वारा प्रत्येक घर के लिए तय किया जाता है। युवा बिना किसी मज़दूरी की उम्मीद के झोपड़ियाँ बनाने, अग्निकुंड खोदने और सामग्री ढोने के लिए अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं। स्थानीय समितियाँ जैसे कि उत्सव समितियाँ (पंडुगा संघम) सभी चढ़ावे एकत्र करती हैं और उनका हिसाब रखती हैं। कुछ मामलों में ताड़ी निकालने या मवेशी चराने जैसे अधिकारों की भी नीलामी की जाती है।

देवी दुबलम्मा की नई ताड़ वृक्ष की झोपड़ी
(छवि स्रोत: सरपंच, ग्राम पंचायत जड्डंगी)

स्थानीय जनजातीय बाजारों (संथा) में त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ उमड़ती है और छोटे व्यापारी अपनी कमाई का एक हिस्सा दान कर देते हैं और त्योहारों के दौरान गाँव लौटने वाले प्रवासी मज़दूर अपने सांस्कृतिक कर्तव्य के तहत योगदान देते हैं।

छवि का स्रोत: सरपंच, ग्राम पंचायत जड्डांगी (वीडियो से क्लिप)

इन सभी गतिविधियों की देखरेख ग्राम सभाएं करती हैं। वे प्रमुख जनजातीय त्योहारों के लिए स्थानीय छुट्टियाँ भी स्वीकृत करती हैं, त्योहारों के लिए सामुदायिक भूमि या वन क्षेत्र के उपयोग करने हेतु मंजूरी देती हैं। सभाएं पवित्र उपवनों या लघु वनोपज तक पहुंच के लिए वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करती हैं। ग्राम पंचायतें कभी-कभी अपने वार्षिक बजट सांस्कृतिक और विरासत मद के तहत से थोड़ी धनराशि आवंटित करती हैं, ग्राम पंचायत पानी की टंकियां, अस्थायी शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और लाउडस्पीकर या टेंट आदि भी उपलब्ध कराती है।

रामपचोदवरम से यह सीखने को मिलता है कि पंचायत और पारंपरिक ग्राम नेतृत्व के बीच बेहतर सहयोग पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का एक सतत और सामंजस्यपूर्ण तरीका है।

निष्कर्ष

समुदाय के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं को निर्णय लेने और संगठित करने की प्रक्रिया में शामिल करने से स्वामित्व सुनिश्चित होता है। सामुदायिक संसाधन का सामूहिक उपयोग पारंपरिक समारोहों के लिए बाहरी निधियों पर निर्भरता को कम करता है, है और पारंपरिक प्रथाओं, नृत्यों, कलाओं कोपुनर्जीवित और संरक्षित करता है। यह बताता है कि जब आपसी सम्मान मौजूद होता है तो औपचारिक संस्थाएँ जनजातीय रीति-रिवाजों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रह सकती हैं।

महाराष्ट्र

खोकसा बाजार: अपना गांव, अपना बाजार

नंदुरबार के पहाड़ी इलाकों में बसे खोकसा गांव में मंगलवार का दिन अब आम दिन नहीं रहा। यहां हर मंगलवार लगता है खोकसा का पेसा बाज़ार—एक ऐसा साप्ताहिक हाट जहां ताजे फल-सब्ज़ियां, स्थानीय सामान और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की झलक देखने को मिलती है। इसने न केवल आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि पेसा क़ानून के तहत सशक्त गांव वासी किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं।

गुजरात सीमा के पास स्थित नवापुर तालुका के इस दूरस्थ क्षेत्र में खोकसा ग्राम पंचायत में कोटखांब, टेकड़ी पाड़ा और कोठवाड़-फलिपाड़ा जैसे आदिवासी गांव शामिल हैं। खराब सड़कें और सीमित संपर्क के बावजूद, खोकसा जिले की यह पहली पंचायत बनी जिसने पेसा अधिनियम की धारा 4(ड)(iv) के अंतर्गत अपना बाज़ार शुरू किया और उसे सफलतापूर्वक संचालित किया।

ग्राम पंचायत को पहले मकान और पानी कर जैसे बुनियादी कर इकट्ठा करने में भी कठिनाई होती थी, क्योंकि ग्रामीणों का कहना था कि जब तक वे अपनी उपज नहीं बेचते, उनके पास पैसे नहीं होते। दूर के बाज़ारों में जाने पर उनका काफी पैसा यात्रा, मजदूरी और खाने पर खर्च हो जाता था। कुछ लोग तो पैसे जुए में भी हार जाते थे। इस चक्र को तोड़ने के लिए ग्रामसेवक श्री कैलास सोनवणे ने एक स्थानीय समाधान सुझाया—खोकसा बाज़ार, एक साप्ताहिक हाट की शुरुआत। उन्होंने पेसा अधिनियम का उल्लेख किया, जिसमें ग्राम सभाओं को गांवों में बाज़ार लगाने की अनुमति है। यह न केवल ग्रामीणों को स्थानीय रूप से अपनी चीज़ें बेचने में मदद करता, बल्कि उन्हें अधिक बचत और कर भुगतान के लिए सक्षम भी बनाता है। इस प्रस्ताव को ग्रामसभा में 1 मई, 2017 को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी गई।

खराब सड़कों और सीमित कनेक्टिविटी के बावजूद, खोकसा पेसाअधिनियम की धारा धारा 4(ड)(iv) के तहत अपना खुद का बाजार शुरू करने और प्रबंधित करने वाली जिले की पहली पंचायत बन गई।

पेसा अधिनियम, 1996 के तहत खोकसा बाज़ार की स्थापना और संचालन कानूनी आधार पर है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को अपने स्थानीय मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है, जिसमें गांवों के बाज़ार भी शामिल हैं। धारा 4(ड) (iv) के अनुसार, राज्य विधानसभाओं को पंचायतों और ग्रामसभाओं को गांवों के बाज़ारों का प्रबंधन सौंपने का प्रावधान करने का प्रावधान देता है । महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 और बाज़ार एवं मेले अधिनियम, 1862 में संशोधन कर पेसा अधिनियम के अनुरूप व्यवस्था की है। महाराष्ट्र पेसा नियम, 2014 के नियम 43 के अनुसार ग्रामसभा बाज़ारों का संचालन कर सकती है। यह कानून ग्रामसभाओं को सामाजिक-आर्थिक विकास और स्वशासन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

खोकसा बाज़ार की स्थापना: कदम दर कदम यात्रा

- **सही दिन का चयन:** ग्रामसभा में गहन चर्चा के बाद, मंगलवार को बाज़ार का दिन तय किया गया ताकि पास के अन्य बाज़ारों से टकराव न हो और खोकसा मुख्य आकर्षण बन सके।

- **एक साधारण शुरुआत:** 13 जून, 2017 को खोकसा बाज़ार की शुरुआत हुई। पहले दिन कुछ ही दुकानदार आए, और ग्राहक बहुत कम थे। दोपहर तक दुकानें बंद हो गईं—बाज़ार की पहली कोशिश असफल रही।

- **प्रचार प्रसार:** शुरुआत खराब होने के बावजूद पंचायत ने हार नहीं मानी। लाउडस्पीकर, पर्चों और सोशल मीडिया के ज़रिए 20 आस-पास के गांवों और धुले जिले तक प्रचार किया गया। स्थानीय नेताओं और अधिकारियों को पत्र भेजे गए, जिससे पेसा बाज़ार को समर्थन और पहचान मिल सके।

असली बदलाव: 8 अगस्त, 2017

सामूहिक प्रयासों और निरंतर प्रचार के चलते बाज़ार ने गति पकड़नी शुरू की। दुकानें बढ़ीं, ग्राहक आने लगे, और होटल वाले यहीं से ताज़ा सामान लेने लगे। पहले सूना पड़ा चौक अब रौनक से भर गया और व्यापार ने गति पकड़ ली। गाड़ियों से भरा बाज़ार इसका प्रमाण था।

सामुदायिक केंद्र: किफायती सामान, मजबूत संबंध।
फोटो साभार: श्री. संदीप वाडिले (जिला पेसा प्रबंधक)

खोकसा बाज़ार की खासियतें

एक ही जगह सभी ज़रूरी चीजें: अनाज से लेकर कपड़े तक सब कुछ।

- उचित कीमतें: घर के खर्च में राहत।
- सामाजिक मेलजोल का दिन: मंगलवार को परिवार और मित्र मिलते हैं।
- नवीनता बनाए रखने के लिए हर हफ्ते नया सामान।
- युवा सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं।
- पशु और मुर्गी बाज़ार के लिए अलग ज़ोन।

नियम और निगरानी व्यवस्था

पेसा अधिनियम और महाराष्ट्र पेसा नियम, 2014 (नियम 43) के अंतर्गत ग्रामसभा ने निम्नलिखित नियम तय किए:

- बाज़ार का संचालन ग्राम पंचायत, ग्रामसभा और बाज़ार समिति द्वारा।
- असली माल, सही तौल, और सुरक्षित वस्तुएं सुनिश्चित की जाती हैं।
- अधिक मूल्य वसूलना मना; ग्रामसभा द्वारा तय मूल्य लागू।
- नकली, खराब या असुरक्षित वस्तुओं पर रोक।
- निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम में खरीद नहीं।
- बाहरी विक्रेता कम कीमत पर बेच सकते हैं—अगर गुणवत्ता अच्छी हो।
- सभी नियम 2 अक्टूबर, 2017 को पारित हुए और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया

बाज़ार समिति और सुविधाएं

ग्राम पंचायत और ग्रामसभा ने स्थानीय प्रतिनिधियों की एक बाज़ार प्रबंधन समिति बनाई, जो कानून व्यवस्था, साफ-सफाई और अनुशासन का पालन सुनिश्चित करती है। स्वयंसेवकों की मदद से ग्रामसभा के निर्णय लागू किए जाते हैं। बाज़ार से प्राप्त शुल्क को ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 के तहत उपयोग कर सुविधाएं बढ़ाई गईं.

खोकसा की बाज़ार समिति: जीवंत, सुरक्षित, व्यवस्थित।

- टैक्स के साथ निर्धारित पार्किंग ज़ोन।
- महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग शौचालय।
- पंचायत द्वारा पेयजल की व्यवस्था।
- बाढ़ संभावित भूमि से बाज़ार को बचाया गया।
- बिजली बोर्ड की अनुमति से वायरिंग और लाइट्स।
- भीड़ वाले हिस्सों में बड़े वाहन और पशुओं पर रोक।
- धारा 124 और 1960 के नियमों के तहत कर वसूली और सुधार कार्य।
- स्थानीय स्वयंसेवकों ने सुनिश्चित किया कि नियमों और निर्णयों का पालन किया जाए ।

गृप ग्रामपंचायत खोकसा

ता.नवापुर जि.नंदुरबार

बीडीओ को पत्र: प्रगति के लिए आधिकारिक प्रयास

प्रभाव और चुनौतियाँ

खोकसा पेसा बाज़ार को शुरुआत में बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी, भीड़ और कोविड के कारण अस्थायी बंदी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, बाज़ार ने ₹48,600 वार्षिक आय, स्थानीय रोज़गार, प्रवासन में कमी, और गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया है। कर संग्रह बेहतर हुआ, जुए की आदतें घटीं है, और परिवारों की आमदनी बढ़ी है।

निष्कर्ष

खोकसा गांव का यह बाज़ार पेसा अधिनियम के सफल क्रियान्वयन का सशक्त उदाहरण है। इससे ग्रामसभा को न केवल बाज़ार चलाने की शक्ति मिली, बल्कि इससे आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भरता भी आई है । शुरुआती कठिनाइयों और महामारी के बावजूद, सामूहिक प्रयासों से यह संभव हुआ है । यह उदाहरण दिखाता है कि किस प्रकार पेसा अधिनियम के तहत आदिवासी समुदाय अपने संसाधनों का संचालन कर सकते हैं और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं—अन्य गांवों के लिए यह एक प्रेरणादायी मॉडल बन गया है।

पेसा के माध्यम से स्वशासन की यात्रा

परिचय

इस कहानी में यह बताया गया है कि पेसा अधिनियम किस तरह एक दृढ़ निश्चयी समुदाय को एक सुदूर चौकी से स्वशासन और संसाधन प्रबंधन के प्रकाश स्तंभ में बदलने में मदद कर सकता है। एक बार जब संपर्क टूट गया, आवाज अनसुनी हो गई, जरूरतें पूरी नहीं हुईं और मौसमी प्रवास एक वास्तविकता बन गई, तो देविचा पाडा नामक एक छोटे से गांव ने अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने और अपने जीवंत भविष्य को एक आकार देने के लिए पेसा अधिनियम का उपयोग किया।

पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र के पालघर जिले में जौहर तहसील के शांत, पहाड़ी अनुसूचित क्षेत्र में स्थित देविचा पाड़ा एक समय अपने भाग्य से कटा हुआ महसूस करता था। वर्षों तक, इसके निवासी कासटवाड़ी ग्राम पंचायत से दूर थे, स्थानीय शासन और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सीमित थी। इससे आजीविका की तलाश में मौसमी प्रवास जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं। यह स्पष्ट था कि वास्तव में फलने-फूलने के लिए देविचा पाड़ा को स्व-शासन के लिए अपने स्वयं के सशक्त मंच की आवश्यकता थी।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) देविचा पाडा के ग्रामीणों के लिए परिवर्तन का साधन बनकर आया, जिसकी प्रभावशीलता को महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिनियमित विशिष्ट नियमों द्वारा बढ़ावा मिला। पेसा कानून को संविधान के भाग IX के पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को, संशोधनों और अपवादों के साथ, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए तैयार किया गया था, ताकि जनजातीय स्वशासन को सक्षम बनाया जा सके।

देविचा पाडा की यात्रा अनुसूचित क्षेत्रों में हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में पेसा अधिनियम की परिवर्तनकारी क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है

पेसा का कानूनी ढांचा

- धारा 4(ख) देविचा पाड़ा गांव को एक अलग सामुदायिक इकाई के रूप में मान्यता देने में महत्वपूर्ण थी, जिससे उसे अपनी ग्राम सभा बनाने और अपने मामलों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया गया।
- धारा 4(घ) स्पष्ट रूप से लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के प्रथागत तरीकों की रक्षा और संरक्षण करने की ग्राम सभा की क्षमता को मान्यता देती है।
- महाराष्ट्र पेसा नियम, 2014 और माननीय राज्यपाल की अधिसूचनाएँ (2014 और 2015) महाराष्ट्र द्वारा लागू किए गए विशिष्ट नियम हैं। इन नियमों ने समुदाय को ग्राम पंचायतों को आवंटित जनजातीय घटक योजनाओं का कम से कम 5% प्राप्त करने में सक्षम बनाया। जनजातीय विकास विभाग (टीडीडी) के 2015 के दिशानिर्देशों ने इन निधियों को निर्देशित किया, जिससे देविचा पाड़ा को अपनी विशिष्ट विकास आवश्यकताओं के लिए इन निधियों को प्राथमिकता देने और उपयोग करने का अधिकार मिला।

पहल और उसके प्रभाव

स्थानीय नागरिक समाज संगठन की बदौलत महाराष्ट्र पेसा नियमों के बारे में जानकारी से लैस देविचा पाडा ने 2017 में एक स्वतंत्र पेसा गांव के रूप में सफलतापूर्वक अधिसूचना प्राप्त की, जो स्व-शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। नियमित ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से निर्णय लेने, सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखने, पारदर्शिता और जवाबदेही के पेसा सिद्धांतों के पालन के साथ, देविचा पाड़ा 2017-22 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का प्रभार संभाल सका।

- लघु वनोपज (एमएफपी), लघु खनिज, चरागाह और जल निकायों जैसे साझा संसाधनों का प्रबंधन।
- बुनियादी सुविधाओं का सुधार और रखरखाव।
- समुदाय द्वारा पहचानी गई प्राथमिकताओं के लिए '5% प्रत्यक्ष निधि योजना' निधियों का उपयोग सुनिश्चित करना।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत कार्यों के माध्यम से रोजगार पैदा करना और मूल्यवान संपत्ति बनाना।

परिणाम और लाभ

- एक अलग पेसा ग्राम सभा के रूप में कानूनी मान्यता और स्वशासन।
- सशक्त ग्राम सभा का उदय।
- निधि उपयोग में पारदर्शिता।
- आवश्यक सेवाओं के संबंध में स्थानीय प्रशासन से बेहतर जवाबदेही।
- समुदाय के नेतृत्व में सतत संसाधन प्रबंधन।
- मनरेगा के माध्यम से नियोजन और संपत्ति निर्माण।

निष्कर्ष

देविचा पाड़ाकी यात्रा अनुसूचित क्षेत्रों में हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में पेसा अधिनियम की परिवर्तनकारी क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। अधिनियम और महाराष्ट्र पेसा नियमों के तहत अपने अधिकारों का दावा करके, समुदाय स्व-शासन, संसाधन प्रबंधन और समग्र विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश

कोंध की आवाज़: आंतरिक स्वशासन की मिसाल

परिचय

आंध्र प्रदेश के कोंध जनजाति, पूर्वी घाट के सुदूर और बीहड़ इलाकों में रहने वाले एक विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं, जो एक हाशिए पर और अलग-थलग रहने वाला समुदाय हैं। वे निम्न साक्षरता स्तर, भाषाई अंतर, लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी से ग्रस्त हैं तथा उनका संपर्क मुख्यधारा की शासन प्रणालियों से बहुत कम है।

मिनुमुलुरु ग्राम पंचायत (अल्लूरी सीता रामाराजू जिले के पडेरू मंडल) में, कोंध के समावेशी विकास के लिए ग्राम सभा की सहभागिता को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है।

पहल एवं उसके प्रभाव

पहले समुदाय की सहभागिता ग्राम सभा की बैठकों में सीमित थी। इससे उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में ग्राम सभा की भूमिका के बारे में उनकी समझ प्रभावित हुई। कई कोंध जनजाति के सदस्य ग्राम सभा को एक औपचारिक बैठक के रूप में देखते हैं, न कि एक मंच के रूप में जहां वे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं।

मिनुमुलुरु ग्राम पंचायत में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया (स्रोत: पंचायत सचिव, मिनुमुलुरु ग्राम पंचायत

कोंध जनजातियों के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील संचार और सूचनाओं के आदान-प्रदान की कमी थी, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रह गए।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए पेसा नियम ग्राम सभा को प्रत्येक परिवार के उत्थान के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक जानकारी को तैयार करने और अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत करने से न केवल समुदाय को पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि स्थानीय शासन लोगों की सच्ची जरूरतों और आवाजों को दर्शाता हो।

ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत करने से न केवल समुदाय को सूचित निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि स्थानीय शासन लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं और आवाजों को प्रतिबिंबित करता है।

मिनुमुलुरु ग्राम पंचायत में, पेसा ग्राम सभाओं में आदिवासियों की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए प्रयास किए गए हैं। स्थानीय सुविधाकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों ने समुदायों को पेसा अधिनियम और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए आदिवासी बोलियों में जागरूकता अभियान शुरू किए हैं।

सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (Participatory Rural Appraisal) उपकरणों का उपयोग ग्रामीणों की ज़रूरतों को पहचानने और साथ मिलकर प्राथमिकताएँ तय करने में मदद करने के लिए किया गया। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक संवाद के माध्यम जैसे चित्र, कहानियाँ और पारंपरिक संचार के साधन का इस्तेमाल शासन व्यवस्था को सरल और भरोसेमंद तरीके से समझाने के लिए किया गया। ग्राम संसाधन व्यक्तियों (Village Resource Person) और जनजातीय मुखियाओं को ग्रामीणों और सरकारी कार्यालयों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को समझना आसान हो जाता है।

सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए, ग्राम सभा की बैठकें गांवों में सुविधाजनक समय और सुलभ स्थानों पर आयोजित की गईं।

सशक्त आवाज़ें: सकारात्मक प्रभाव

परिणामस्वरूप, मिनुमुलुरू ग्राम पंचायतों के ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति 1.20% से बढ़कर 8.89% हो गई, उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार ग्राम सभा की उपस्थिति 14 सदस्यों से बढ़कर 103 सदस्यों तक पहुँच गई है, यानी 600% की वृद्धि देखी गई।

इस सहभागिता ने सामुदायिक एकजुटता को मजबूत किया है, आत्मविश्वास बढ़ाया है, तथा सामूहिक निर्णय लेने को प्रोत्साहित किया है। परिणामस्वरूप, खोंड और अन्य पीवीटीजी को अधिक समावेशिता, बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अपनी विकास यात्रा पर स्वामित्व की मजबूत भावना का अनुभव हो रहा है।

मिनुमुलुरु ग्राम पंचायत में ग्राम सभा (छवि का स्रोत: पंचायत सचिव, मिनुमुलुरु ग्राम पंचायत)

छवि का स्रोत: पंचायत सचिव, मिनुमुलुरु ग्राम पंचायत

पीवीटीजी समावेशन के लिए जागरूकता रैलियां आयोजित की गईं (छवि का स्रोत: पंचायत सचिव, मिनुमुलुरु ग्राम पंचायत)

छत्तीसगढ

'पेसा' प्रावधान एवं सामुदायिक भागीदारी - पर्यटन से ग्राम विकास

परिचय

ग्राम सभाओं की प्रभावी भागीदारी और पेसा अधिनियम के प्रावधान किसी भी ग्रामीण विकास की सम्भावना को मूर्तरूप दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के एक गांव सतरेंगा ने ऐसा ही एक उत्कृष्ट उदहारण प्रस्तुत किया है। पेसा अधिनियम के अंतर्गत होने वाली बैठकों में ग्रामीणों ने अपनी परिस्थितियों में निहित पर्यटन विकास की सम्भावना को देखा और उपलब्ध प्रावधानों को उपयोग करते हुए न केवल अपने गांव को एक सजीव पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया, बल्कि अपने क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास परिदृश्य में भी व्यापक योगदान किया।

पृष्ठभूमि

सतरेंगा ग्राम पंचायत, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में कोरबा शहर से 30 किलोमीटर दूर बांगो डैम के डूब क्षेत्र के किनारे स्थिति है। लगभग 1500 की जनसँख्या वाले इस आदिवासी बाहुल्य ग्राम सभा के लोगों की आजीविका मुख्यतः कृषि, वनोपज और पर्यटन पर निर्भर रही है।

पहल और उसका प्रभाव

वर्ष 2019-20 में जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायत की पहल से गाँव में पर्यटन की अपार संभावनाएँ को पहचानते हुए, सतरेंगा को पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिनकोरोना महामारी के दौरान गतिविधियां कुछ समय के लिएहो गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में 8 अगस्त 2022 को पेसा नियमो को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम सभाओ को विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र में निर्णय लेने, संसाधनों के प्रबंधन और पारंपरिक शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने में सक्षम हो सकें। सतरेंगा प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से एक उपयुक्त स्थल है। इसे देखते हुए पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक में पर्यटन को आजीविका के एक सशक्त साधन के रूप में विकसित करने पर निर्णय लिया गया।

सतरेंगा उद्यान (फोटो: ग्राम सचिव)

पेसा कानून के तहत ग्राम सभा सर्वोच्च निर्णय बिंदु है, जो समुदाय के वास्तविक मुद्दों की पहचान कर ठोस कदम उठा सकती है। इसमें स्वशासन, भागीदारी, पारदर्शिता और सामाजिक समावेशन महत्वपूर्ण हैं

पर्यटन विकास संबंधी गतिविधियाँ

- ग्रामवासियों को सभी कार्यों में प्राथमिकता दी गई।
- विकास के केंद्र में भागीदारी और आत्म-निर्भरता को रखते हुए, युवाओं एवं महिला समूहों को होटल संचालन, किराना दुकान, उद्यान एवं नौका विहार, बोटिंग, पार्किंग जैसे स्व-रोजगार को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई।
- युवाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षण एवं नाव संचालन कार्यों में शामिल किया गया ।
- संसाधन योजना एवं प्रबंधन समिति (RPMC) का गठन कर, ग्राम सभा के निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई।

पर्यटन से परिवर्तन

स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर मिलने लगे। व्यावसाय के विभिन्न स्रोत मिलने से परिवारों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि हुई।

पर्यटन स्थल स्थापित होने से सतरेंगा ग्राम में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत हुई। रोजगार के साधन बढ़ने से गाँव से पलायन कम हुआ।

ग्रामीणों में आत्मबल बढ़ा और लोगो ने अपने अधिकार को समझना शुरू किया।

सतरेंगा की पहचान एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में पूरे राज्य में हुई। प्रति दिन लगभग 300-400 पर्यटक यहाँ सैर के लिए आने लगे।

ग्रामीणों विभिन्न समुदायों एवं लोगों से मिलने और उनके बारे में जानने का अवसर मिला। उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हुई और उन्होंने अपने बच्चो को निरंतर स्कूल भेजना सुनिश्चित किया।

सामुदायिक सहभागिता से ग्रामसभा की नियमित बैठकें प्रारंभ हुईं। पहले जहां ग्राम सभा में 20-30 लोग उपस्थित होते थे, अब वहां गाँव के सभी परिवारों से कम से कम एक व्यक्ति की उपस्तिथि सुनिश्चित हुई।

ग्रामीण महिलाओ की ग्राम सभाओं में भागीदारी अधिक होने लगी। महिलाएँ अपने मुद्दे ग्राम सभा के समक्ष खुल के रखने लगी।

सतरेंगा में बोटिंग प्लेटफॉर्म (फोटो: ग्राम सचिव)

होटल संचालन (फोटो: ग्राम सचिव)

निष्कर्ष

जैसा इस कहानी से स्पष्ट है, पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामसभा सर्वोच्च निर्णय का केंद्र है, जो समुदाय के वास्तविक मुद्दों को पहचान कर ठोस कदम उठा सकती है। इसमें स्वशासन, भागीदारी, पारदर्शिता और सामाजिक समावेशन का महत्व है। इन्हीं सिद्धातों के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी पेसा अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए ग्राम सभाएँ विकास का माध्यम बन सकती हैं, जैसे सतरेंगा ग्राम सभा ने अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए गांव को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया।

तेलंगाना

सैंडी (हाट बाजार) से बना व्यापार आसान

परिचय

तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के एटूरनागारम मंडल की ग्राम पंचायत चिन्नाबोइनपल्ली ने आसपास के 7 ग्राम पंचायतों के किसानों के लिए अपने कृषि और कृषि संबद्ध उत्पादों को बेचने के लिए एक साप्ताहिक सैंडी (अस्थायी बाजार) की स्थापना की है।

पहल और उसके प्रभाव

तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के एटूरनागारम मंडल में चिन्ना बोइनापल्ली ग्राम पंचायत एक छोटा सा गांव है। इस क्षेत्र के किसान धान, दालें, अनाज, सब्जियाँ उगाते हैं और दूध उत्पादन, भेड़ और बकरी पालन और मुर्गी पालन से संबंधित कृषि संबंधी गतिविधियों में भी संलग्न हैं। निकटतम बाजार वारंगल है, जो इस गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर है।

इसके लिए वारंगल बाजार तक उत्पादों को ले जाने/स्थानांतरित करने के लिए निजी वाहनों की आवश्यकता पड़ती थी, जहां कभी-कभी उत्पादों को बिचौलियों के माध्यम से बाजार मूल्य से भी कम कीमत पर बेचा जाता था।

सैंडी का उद्घाटन ग्रामपंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया गया

इन सभी कठिनाइयों और नुकसानों से बचने के लिए, ग्राम पंचायत ने वर्ष 2021 में ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित करके पंचायती राज अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक सैंडी की स्थापना की। इसका उद्देश्य शिवपुर, शापेली, कोंडई और एतुरुनगरम की ग्राम पंचायतों के किसानों को एक सुगम पहुँच वाला बाज़ार उपलब्ध कराना था, जो 10 किलोमीटर के दायरे में हो। ग्राम पंचायत ने अपने गाँव और साथ ही आस-पास के गाँवों में "टॉम-टॉम" के माध्यम से बाज़ार का प्रचार किया। कृषि विभाग ने भी अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से किसानों को इस सैंडी के बारे में जानकारी दी। इससे जुड़ाव का स्तर बढ़ने में मदद मिली और वर्तमान में स्थानीय और आस-पास के किसानों द्वारा लगभग 60 दुकानें स्थापित की गई हैं।

प्रभाव

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत को किराए के माध्यम से प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये की आय प्राप्त होती है। इसका उपयोग ग्राम पंचायत में स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।

पेसा नियमों ने ग्राम पंचायत को स्थानीय बाज़ारों के प्रबंधन का अधिकार दिया है, और ग्राम पंचायतें सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए योजनाएँ बना सकती हैं। इस मामले से यह स्पष्ट है कि इससे लोगों के जीवन में काफी सुधार हो सकता है।

इससे परिवहन संबंधी जोखिम कम हुआ और साथ ही प्रति किसान प्रति वर्ष लगभग 30,000 रुपये परिवहन शुल्क में कमी आई। चिन्नाबोइनापल्ली के आसपास के 7 गांवों के 1200 से अधिक किसान इस साप्ताहिक बाजार से लाभान्वित हुए हैं। लगभग तत्काल भुगतान के साथ उचित मूल्य बनाए रखा गया है। कुछ किसान अब व्यापारी और परिवहन विक्रेता बन गए हैं। यह बाजार स्थानीय समुदायों के लिए ताजा उपज खरीदने का भी स्थान बन गया है।

ग्रामपंचायत के सैंडी का एक दृश्य

निष्कर्ष

पेसा नियमों ने ग्राम पंचायत को स्थानीय बाज़ारों के प्रबंधन का अधिकार दिया है, और ग्राम पंचायतें सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए योजनाएँ बना सकती हैं। इस मामले से यह स्पष्ट है कि इससे लोगों के जीवन में काफी सुधार हो सकता है।

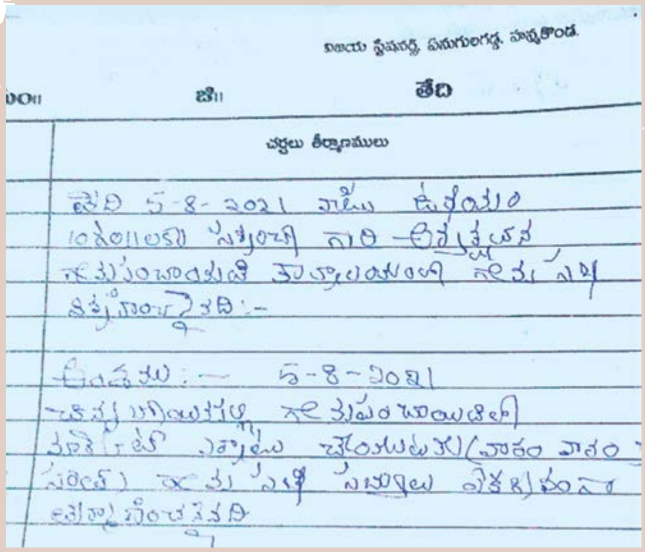

सैंडी (अस्थायी बाजार) को स्थापित करने के लिए ग्रामपंचायत चिन्नाबोइनापल्ली द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया

विषय 2

लघु वनोपज (Minor Forest Produce)

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड)(ii) में उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभाओं को लघु वनोपज का स्वामित्व विशेष रूप से सौंपा गया है।

लघु वनोपज में सभी गैर इमारती वन उत्पाद शामिल हैं, जैसे बांस, झाड़ी लकड़ी, जड़ें, रेशम के कोष (टसर), शहद, मोम, लाख, तेंदू केंदु पत्ते, औषधीय पौधे व जड़ी-बूटियाँ, कंद, मूल आदि।

हिमाचल प्रदेश

लघु वनोपज की सहभागी वितरण प्रणाली।

परिचय

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह ब्लॉक में स्थित रारंग ग्राम पंचायत इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक साथ लाया जा सकता है। जिला मुख्यालय रिकांग पिओ से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित रारंग न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि लघु वन उत्पादों, खासकर बेहद कीमती चिलगोज़ा पाइन नट्स के टिकाऊ और समावेशी प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है।

पेसा अधिनियम और हि.प्र. पेसा नियम 2011 के प्रावधान

रारंग की सफलता इसकी मज़बूत सामुदायिक संस्थाओं और गहरी जड़ों वाली सांस्कृतिक प्रथाओं में निहित है, जो वन संसाधनों के संग्रह और वितरण का मार्गदर्शन करती हैं। विशेष रूप से, गाँव ने चिलगोज़ा के लिए एक अनूठी सहभागी वितरण प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के साथ बारीकी से मेल खाती है। ये कानून आदिवासी और वन-निवासी समुदायों के उन वन संसाधनों का प्रबंधन, उन तक पहुँच और उन्हें नियंत्रित करने के अधिकारों को मान्यता देते हैं, जिन पर वे पारंपरिक रूप से निर्भर रहे हैं।

रारंग की सफलता इसकी मजबूत सामुदायिक संस्थाओं और गहरी सांस्कृतिक प्रथाओं में निहित है जो वन संसाधनों के संग्रहण और वितरण का मार्गदर्शन करती हैं।

ग्राम पंचायत रारंग में चिलगोज़ा पाइन

हिमाचल प्रदेश पेसा नियम 2011 के तहत विशेष रूप से नियम 15 के अंतर्गत, वन विभाग को वन उत्पादों के दोहन की कोई भी योजना तैयार करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना आवश्यक है। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी गतिविधियां वन कानूनों, सामुदायिक सहमति और स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण पौधों और पेड़ों की सुरक्षा के अनुरूप हों। इसके अलावा, नियम यह दावा करते हैं कि समुदायों को अपनी पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार अपनी तत्काल गांव की सीमाओं से परे भी लघु वन उत्पादों का प्रबंधन और निपटान करने का अधिकार है।

सफलता की कहानी: रारंग ग्राम पंचायत ने अपने प्रथागत कानूनों और प्रथाओं, अर्थात् वाजिब-उल-अर्ज और नक्शा बर्तन के माध्यम से पेसा अधिनियम के प्रावधानों को एक प्रभावी जमीनी हकीकत में बदला है। ये पारंपरिक ढांचे यह सुनिश्चित करते हैं कि चिलगोज़ा की कटाई के लाभ ग्रामीणों के बीच न्यायसंगत रूप से साझा किए जाएं। गांव में चिलगोज़ा के वितरण की तीन मुख्य विधियां हैं।

ग्राम पंचायत रारंग में चिलगोज़ा कटाई प्रक्रिया

पहली विधि में व्यापारियों के साथ अनुबंध के माध्यम से उत्पाद बेचना शामिल है। ऐसे मामलों में, बिक्री से आने वाली आय को सभी परिवारों के बीच समान रूप से बांटा जाता है, बिना पारिवारिक आकार या व्यक्तिगत योगदान के स्तर पर विचार किए। यह मॉडल समान अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है और सामाजिक सामंजस्य और संसाधन की साझा स्वामित्व बनाए रखने में मदद करता है।

दूसरी विधि तब उपयोग की जाती है जब ग्रामीण सामूहिक रूप से चिलगोज़ा के शंकु की कटाई करते हैं। इस मामले में, शंकुओं का वितरण प्रत्येक परिवार द्वारा योगदान किए गए श्रम को ध्यान में रखता है। हर परिवार से एक निश्चित संख्या में श्रमिक प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई परिवार ऐसा करने में असमर्थ है, तो इसका हिस्सा तदनुसार कम कर दिया जाता है, जब तक कि वह एक प्रतिस्थापन श्रमिक प्रदान न करे। यह प्रणाली भागीदारी को प्रोत्साहित करती है जबकि विभिन्न परिवारों की क्षमताओं के प्रति संवेदनशील रहती है।

तीसरी विधि में व्यक्तिगत परिवारों को वन भूखंडों का पूर्व-आबंटन शामिल है। यहां, परिवार अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों से चिलगोज़ा की कटाई करते हैं और इसके उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत उपभोग के लिए हो या व्यावसायिक बिक्री के लिए। यह दृष्टिकोण संसाधन उपयोग में जिम्मेदारी और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है।

इन सभी विधियों में जो बात उल्लेखनीय है वह है समानता और सामूहिक लाभ का सिद्धांत। यह प्रणाली समावेशी होने के लिए डिज़ाइन की गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संसाधनहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की भी वन उत्पादों तक पहुंच हो। ग्राम सभा पूरी प्रक्रिया की योजना और निगरानी में केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो पेसा के तहत परिकल्पित सहभागी लोकतंत्र की भावना को मूर्त रूप देती है।

प्रशंसापत्र

श्री रणजीत नेगी, ग्राम पंचायत रारंग के उपाध्यक्ष: रारंग का मॉडल टिकाऊ वन प्रबंधन के लिए एक बेंचमार्क है। समुदाय की वन कानूनों का पालन, उनकी प्रथागत प्रथाओं के साथ मिलकर, यह सुनिश्चित करता है कि चिलगोज़ा की कटाई जिम्मेदारी से की जाए। ग्राम सभा की निगरानी अति-दोहन को रोकती है, और हमारा विभाग किन्नौर के जंगलों के संरक्षण में उनकी साझेदारी को महत्व देता है।

श्री छेवांग नेगी, ग्राम पंचायत सचिव: ग्राम सभा के हिस्से के रूप में, मैंने देखा है कि कैसे हमारे वाजिब-उल-अर्ज और नक्शा बर्तन हमें चिलगोज़ा को टिकाऊ तरीके से प्रबंधित करने का मार्गदर्शन करते हैं। पेसा ने हमें अपने जंगलों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति दी है कि कोई भी हमारे संसाधनों का दोहन न करे, जिससे लाभ रारंग के भीतर ही रहे।

श्री भगत सिंह नेगी, एक आदिवासी बुजुर्ग, कहते हैं हमारे पूर्वजों ने हमें जंगल का सम्मान करना सिखाया था, और पेसा ने हमें इसे जारी रखने का अधिकार दिया है। चिलगोज़ा प्रणाली हमारी परंपराओं का सम्मान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे, हमारे समुदाय को मजबूत रखते हुए।

ललीत नेगी, समुदाय के एक युवा सदस्य, साझा करते हैं, एक युवा व्यक्ति के रूप में, सामूहिक चिलगोज़ा कटाई में शामिल होकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। यह केवल आय के बारे में नहीं है - यह एक साथ काम करने और भविष्य के लिए अपने जंगलों की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी को समझने के बारे में है।

रवींद्र कुमार नेगी, एक स्थानीय व्यापारी जो नियमित रूप से ग्राम सभा के साथ जुड़ते हैं, टिप्पणी करते हैं, "रारंग के समुदाय के साथ काम करना खुशी की बात है। उनकी पारदर्शी प्रणाली निष्पक्ष सौदे सुनिश्चित करती है, और मैं जानता हूं कि मैं जो चिलगोज़ा खरीदता हूं वह हर घर का समान रूप से समर्थन करता है। यह एक मॉडल है जो व्यापारियों और गांव के बीच विश्वास निर्माण करता है।

सुमन देवी, एक गांव की गृहिणी, साझा करती हैं, रारंग में चिलगोज़ा वितरण प्रणाली ने हमारे जंगलों को देखने के तरीके को बदल दिया है। मेरे सहित हर परिवार को न्यायसंगत हिस्सा मिलता है, चाहे हम व्यापारियों को बेचें या खुद कटाई करें। भले ही मैं एक छोटे परिवार से हूं जिसके पास कोई अतिरिक्त काम करने वाले लोग नहीं हैं, ग्राम सभा यह सुनिश्चित करती है कि मैं पीछे न रह जाऊं। इस निष्पक्षता ने हमें एक समुदाय के रूप में करीब लाया है और हमें अपनी परंपराओं पर गर्व महसूस कराया है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, रारंग ग्राम पंचायत में चिलगोज़ा की सहभागी वितरण प्रणाली इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक भागीदारी और संवैधानिक अधिकार मिलकर टिकाऊ वन शासन का एक मॉडल बना सकते हैं। यह स्थानीय समुदायों को न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीके से अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने में सशक्त बनाने में पेसा की क्षमता को प्रदर्शित करता है। रारंग की सफलता भारत के अन्य आदिवासी और वनीय क्षेत्रों के लिए एक खाका के रूप में काम करती है, जो एक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में स्थानीय नेतृत्व, समावेशी निर्णय लेने और प्रथागत प्रथाओं के सम्मान के महत्व को उजागर करती है।

सकारात्मक परिणाम

- **समानता और समावेश को मजबूत बनाना:** हर परिवार, अमीर या गरीब, बड़ा या छोटा, वन उत्पादों के लाभों तक पहुंच रखता है। यह कुलीन वर्गों के कब्जे या कमजोर वर्गों के हाशियाकरण को रोकता है।
- **सामुदायिक संस्थानों को मजबूत बनाना:** यह प्रणाली गांव स्तर के नियमों और सामूहिक निर्णय लेने पर आधारित है, जो स्थानीय स्वशासन की शक्ति और महत्व को मजबूत करती है।
- **टिकाऊ संसाधन प्रबंधन:** चूंकि ग्रामीणों का उत्पाद में प्रत्यक्ष हिस्सा है, वे जंगलों की रक्षा करने और टिकाऊ कटाई सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित होते हैं।
- **सांस्कृतिक संरक्षण:** वाजिब-उल-अर्ज जैसी पारंपरिक प्रणालियों का सम्मान और पालन किया जाता है, जो आधुनिक शासन सिद्धांतों को स्थानीय संस्कृति के साथ मिलाती है।

मीठा बदलाव - पाबा की शहद क्रांति

राजस्थान

अधिकारों के प्रति जागरूकता, संगठन, तकनीकी जानकारी और वन विभाग से सहयोग के अभाव के चलते पाबा ग्राम पंचायत के लोग अपने वनों में उपलब्ध बहुमूल्य सम्पदा का दोहन नहीं कर पाते थे। पैसा अधिनियम के अंतर्गत लघुवन उपज पर ग्रामीणों को मिले अधिकार एवं ग्राम पंचायत की पहल के परिणामस्वरूप यहाँ के लोगों का जीवन बदल गया।

पृष्ठभूमि

राजस्थान के सिरोही जिले की आबूरोड की पाबा ग्राम पंचायत सुदूर पहाड़ी इलाका है। यहाँ लोगों को आजीविका के गहन संघर्ष करना पड़ता था। हालाँकि ग्राम के निकट पहाड़ी गोचर एवं वन विभाग की भूमि में नीम, जामून तथा जड़ी बूटी युक्त शहद हेतु मधुमक्खियों की भरमार है। लेकिन ग्राम पंचायत पाबा के निकटवर्ती वन एवं पहाड़ी भूमि पर शहद संग्रहण की प्रचुर संभावना होने के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों के सहयोग के अभाव में इसका दोहन करने में रूकावट आती थी।

प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकारों के बारे में जागरूकता, आपसी सहयोग, संबंधित विभागों के साथ समन्वय और तकनीकी जानकारी ग्रामीणों के लिए आजीविका के संघर्ष में बहुत मददगार साबित हो सकती है

पहल और उसके प्रभाव

बिक्री के लिए तैयार पाबा का शहद
(फोटो साभार: राज्य सरकार)

पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीणों ने समझा कि ग्राम सभा के माध्यम से शहद रूपी प्राकृतिक सम्पदा ग्रामवासियों की आय का एक स्थायी साधन बन सकता है। ग्राम पंचायत की पहल पर ग्राम सभा में एक सहकारी समिति के गठन का फैसला किया गया। दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारियों से तालमेल करते हुए उनसे सहयोग का आश्वासन प्राप्त किया। क्षेत्र में देशी मधुमक्खियों की भरमार तो पहले से थी, लेकिन उसका व्यवस्थित उपयोग नहीं हो पाता था। ग्राम पंचायत की देखरेख में ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन, शुद्ध एवं वैज्ञानिक पद्धति से शहद संग्रहण और सुरक्षित भण्डारण की तकनीक सिखाई गई। ग्राम के एक हिस्से को शहद संग्रहण केन्द्र में बदला गया, जहां तापमान नियंत्रित वातावरण और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा गया। परंपरागत पद्धति से शुद्धिकृत किए गए शहद के गुण तथा स्वाद यथावत बने रहते हैं। अतः उसके औषधीय गुणों के कारण मांग भी अधिक है तथा कीमत भी अच्छी मिलती है। इसीलिए ग्राम वासियों द्वारा परंपरागत तरीका ही शहद के शुद्धीकरण हेतु उपयोग में लिया जाता है। आज

यहाँ का शहद 'पाबा देशी शहद' के नाम से आसपास के शहर-कस्बों में प्रसिद्ध हो चुका है। नीम, जामुन और अन्य जड़ी बूटियों के फूलों से तैयार अलग-अलग किस्मों का शहद अब ब्राडिंग के साथ बाजार में पंहुचाया जा रहा है।

ग्राम सभा में सहकारी समिति के गठन का प्रस्ताव पास करते पाबा ग्रामवासी (फोटो साभार: राज्य सरकार)

परिणाम

वर्तमान में 50 से अधिक परिवार इस कार्य में लगे हुए हैं। इन्हें नियमित आय के साथ रोजगार भी मिला हुआ है। शहद के विक्रय से प्रत्येक परिवार को सालाना लगभग ₹50000 की आमदनी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इससे गाँव के लोग आत्मनिर्भर बने हैं और उनमें आपसी सहयोग के साथ मिलकर काम करने की भावना मजबूत हुई है। इसके अतिरिक्त अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं विश्वास में वृद्धि हुई है। साथ ही उन्होंने लघुवन उपज को आजीविका के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया है।

शुद्धता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करती महिलाएँ (फोटो साभार: राज्य सरकार)

निष्कर्ष

प्राकृतिक सम्पदा से सम्बंधित अधिकारों के प्रति जागरूकता, आपसी सहयोग, सम्बंधित विभागों से तालमेल एवं तकनीकी जानकारी, ग्रामीणों के लिए आजीविका संघर्ष में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पाबा शहद मिशन इसका एक ज्वलंत उदाहरण है।

मध्य प्रदेश

तेंदूपत्ता संग्रहण से बदली लोगों की तक़दीर

परिचय

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के तामिया जनपद पंचायत अंतर्गत पाँच ग्राम पंचायतों की सात ग्राम सभाओं ने सामूहिक रूप से तेंदूपत्ता संग्रहण और विपणन का निर्णय लिया। यह निर्णय पेसा कानून के अधिकारों के उपयोग का एक सशक्त उदाहरण बन गया।

पहल और उसके प्रभाव

हरित और समृद्ध वनों वाला छिंदवाड़ा ज़िला मध्यप्रदेश का एक प्रमुख आदिवासी क्षेत्र है। इसी जिले के तामिया विकासखंड की ग्राम पंचायतों—प्रतापगढ़ और चारगांव—की ग्राम सभाओं ने वर्ष 2022 में पेसा कानून के तहत सामुदायिक तेंदूपत्ता संग्रहण और विपणन करने का मन बनाया।

ग्राम सभा ने पेसा नियम 2022 के नियम 25 और 26 के अनुसार 15 दिसंबर से पहले प्रस्ताव पारित करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी वन विभाग के स्थानीय बीट गार्ड को हुई, उन्होंने कुछ ग्रामीणों—जैसे रमेश और छोटेलाल—को यह कहकर भ्रमित कर दिया कि ग्राम सभा से यह काम नहीं हो सकेगा, और यदि किया गया तो बोनस नहीं मिलेगा और ठेकेदार भी नुकसान पहुँचा सकता है।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

ग्राम सभा की एकता और पेसा कानून की ताकत ने ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के नए द्वार खोले हैं

उसी रात पान की दुकान पर रमेश और छोटेलाल की मुखिया हीरा सिंह से मुलाकात हुई। बातचीत में जब तेंदूपत्ता संग्रहण की बात खुली तो मुखिया ने उन्हें विस्तार से बताया कि यह कार्य ग्राम सभा के अधिकार में है, और विपणन का बोनस भी ग्राम सभा की सामूहिक सहमति से ही सभी को मिलेगा।

इसके बाद अगले दिन ग्राम सभा की "ढूंढी" पिटवाई गई और सातवें दिन बूढ़ादेव के चबूतरे पर ग्राम सभा का आयोजन तय किया गया। यह जानकारी मिलते ही बीट गार्ड ने फिर से ग्रामीणों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके थे।

रविवार को हुई ग्राम सभा में सचिव लालमणि ने प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। ग्रामीण रामलाल ने प्रसन्नता व्यक्त की, पर बोनस के वितरण को लेकर चिंता जताई। ग्राम प्रधान ने स्पष्ट किया कि मजदूरी की राशि काटकर बची धनराशि ग्राम सभा के निधि खाते में जाएगी, और उसमें से ही सभी के अनुसार बोनस वितरित किया जाएगा। शेष राशि ग्राम सभा की निधि में सुरक्षित रहेगी, जिसका उपयोग सभी ग्रामवासी मिलकर तय करेंगे।

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। वन विभाग को आवेदन और प्रस्ताव भेजा गया, जो 15–20 दिन में अनुमोदित होकर ग्राम सभा को प्राप्त हुआ।

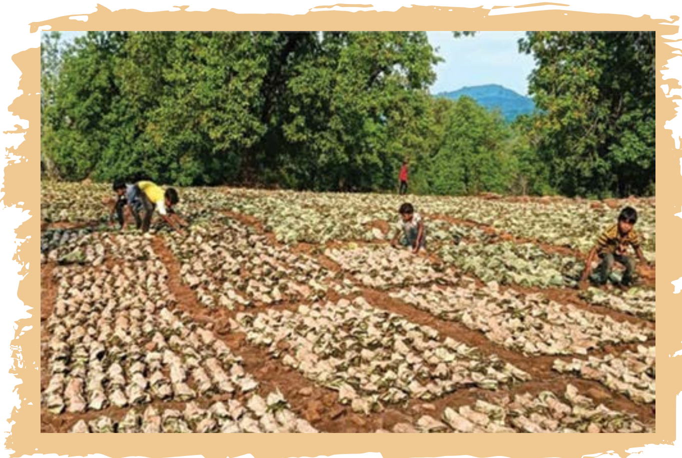

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

उपलब्धियां

122 से अधिक ग्रामीणों को ₹1,20,000 की मजदूरी प्राप्त हुई।	विक्रय के बाद ₹1,52,300 की शेष राशि ग्राम सभा निधि में सुरक्षित रही।	ग्राम सभा ने निर्णय लेकर 50% राशि बोनस के रूप में संग्रहकर्ताओं को वितरित की।	अब भी ₹90,000 ग्राम सभा निधि में सामूहिक निर्णय से व्यय हेतु उपलब्ध है।

निष्कर्ष

इस पहल से ग्रामीणों को न केवल रोजगार मिला, बल्कि सामूहिक निर्णय, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित हुई। आसपास के गाँवों में भी यह मॉडल प्रेरणा बन चुका है। ग्राम सभा की एकजुटता और पेसा कानून की ताकत से ग्रामीणों की ज़िंदगी में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के नए द्वार खुले हैं।

आंध्र प्रदेश

ग्राम सभा द्वारा तय समर्थन मूल्य से बेहतर हुआ - जीवन एक पहल

परिचय

आदिवासी समुदायों के लिए भूमि केवल उत्पादन के लिए एक संसाधन नहीं है - वह उनकी आस्था का स्थान है। उनके लिए खेती करना प्रकृति के साथ उनके सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का एक हिस्सा है जो अक्सर यह एक सामूहिक प्रयास होता है।

कडेली , गुरुपल्ले और वर्थनापल्ले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में स्थित आदिवासी बाहुल्य पडेरू मंडल का हिस्सा हैं। गुरुपल्ले में किसान कॉफी और काली मिर्च जैसी उच्च मूल्य वाली वाणिज्यिक फसलों की खेती करते है, लेकिन औपचारिक बाजारों और आधारभूत ढांचे तक सीमित पहुंच के कारण, वे बिचौलियों पर निर्भर हैं जो बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत देते हैं।

पहल और उसके प्रभाव

आंध्र प्रदेश पेसा नियम, 2011 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को गांव की बाजार समिति के रूप में कार्य करने और मूल्य निर्धारण करने आदि सहित बाजारों से संबंधित कुछ मामलों को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। गुरुपल्ले में गठित समिति ने उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्तावित करने के लिए निवेश की लागत, बाजार के रुझान और मौसमी विविधताओं का विश्लेषण किया। ग्राम सभा में सुझावों और प्रतिक्रिया के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता अभियानों ने समावेशी भागीदारी और उचित मूल्य निर्धारण और स्थानीय शासन की समझ सुनिश्चित की। एक बार किसानों की सहभागिता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात, ग्राम सभा ने बिचौलियों द्वारा शोषण और अपर्याप्त कीमतों के मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काम किया। इसके परिणामस्वरूप गाँव के प्रतिनिधियों, अनुभवी किसानों और बाज़ार विशेषज्ञों के साथ एक मूल्य निर्धारण समिति का गठन किया गया।

पेसा ग्राम सभा - गुरुपल्ले (छवि स्रोत: पंचायत सचिव, कडेली ग्राम पंचायत)

सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता अभियानों ने समावेशी भागीदारी और उचित मूल्य निर्धारण और स्थानीय शासन की समझ सुनिश्चित की।

इस बारे में व्यापारियों को सूचित किया गया, निगरानी समूह बनाए गए, तथा सहकारी विपणन, भंडारण और सरकारी विभागों के साथ संपर्क जैसी सहायता प्रणालियों को मजबूत किया गया। कृषि अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अनुभवी किसानों ने सभी को मूल्य निर्धारण निर्णयों की जानकारी दी।

गुरुपल्ले में ग्राम सभा द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण हुआ है के परिणामस्वरूप उचित मूल्य निर्धारण, आय मे वृद्धि हुई है और आदिवासी किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता आई है। इसने बिचौलियों के शोषण को कम किया और किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाया।

क्रम सं.	फसल	क्षेत्र	किसानों की संख्या	दर 2023-24	दर 2024-25	उपज	सृजित अतिरिक्त लाभ
1	कॉफी	55 एकड़	25	150 रु.	425 रु.	7050 किलोग्राम	19,38,750.00
2	काली मिर्च	55 एकड़	25	500 रु.	680 रु.	6625 किलोग्राम	11,92,500.00
						कुल	**31,31,250.00**

निष्कर्ष

छोटे व्यवसायों को समर्थन दिया गया जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी और बाहरी बाजारों पर निर्भरता कम हुई। आदिवासी किसानों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कडेली ग्राम पंचायत की गुरूपल्ली की पेसा ग्राम सभा पारंपरिक मूल्यों और ज्ञान पर आधारित व्यापक विकास के अपने मिशन के लिए समर्पित है। गुरुपल्ली विकेंद्रीकृत, लोगों के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास के लिए एक मॉडल बन गया है।

मूल्य निर्धारण समिति की चर्चा
(फोटो स्रोत: पंचायत सचिव, कडेली ग्राम पंचायत)

कॉफी और काली मिर्च का बागान
(फोटो स्रोत: पंचायत सचिव, कडेली ग्राम पंचायत)

कॉफी की फसल *काली मिर्च की फसल*
(फोटो स्रोत: पंचायत सचिव, कड़ेली ग्राम पंचायत)

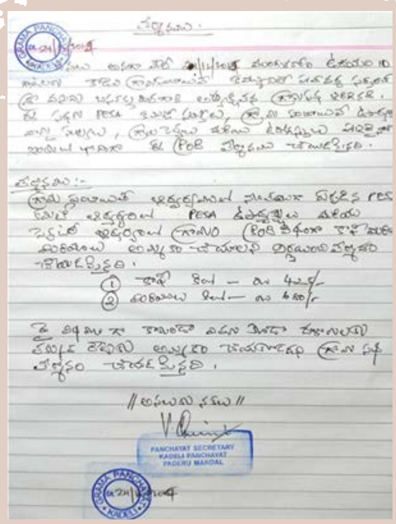

(फोटो स्रोत: पंचायत सचिव, कड़ेली ग्राम पंचायत,
ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण
(फोटो स्त्रोत : पंचायत सचिव, कडेली ग्राम पंचायत)

तेंदूपत्ता प्रबंधन के ज़रिए समुदाय का सशक्तिकरण

परिचय

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक सशक्त कहानी जन्म ले रही है—आत्मनिर्णय की कहानी। यहां जंगलों से मिलने वाला तेंदू पत्ता सिर्फ एक लघु वनोपज नहीं है, बल्कि यह लोगों की एकता और शक्ति का प्रतीक बन गया है।

पृष्ठभूमि

झिंगनूर ग्राम पंचायत के अंतर्गत सात पेसा गांव—पुलीगुड़म, झिंगनूर माल, झिंगनूर चेक 1, झिंगनूर चेक 2, वडाडेली, येडसिली और मांगीगुड़म—अपने भविष्य को बदल रहे हैं। इन गांवों की कुल आबादी 2,885 है, जिनमें से 2,152 अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखते हैं। ये लोग सिर्फ तेंदूपत्ता इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की एक नई कहानी लिख रहे हैं।

पीढ़ियों से, बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाला तेंदूपत्ता गांव की अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहा है। लेकिन पहले इस व्यापार पर गांववालों का पूरा नियंत्रण नहीं था। इसीलिए, पेसा अधिनियम के अंतर्गत झिंगनूर ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं ने तेंदूपत्ता व्यापार पर स्वयं नियंत्रण लेना शुरू किया। उन्होंने तेंदूपत्तों के संग्रह, सुखाने और बिक्री की प्रक्रिया को खुद संगठित किया।

गढ़चिरौली जिले का मानचित्र: पूर्ण रूप से आच्छादित (हरा) और आंशिक रूप से आच्छादित (पीला) पेसा ब्लॉक

पहल

ग्राम पंचायत ने ग्राम सभाओं को प्रशासनिक और व्यवस्थागत सहयोग प्रदान किया। ग्राम सभाओं ने स्वतंत्र रूप से तेंदूपत्तों की नीलामी और बिक्री का प्रबंधन किया। पंचायत समिति सिरोंचा और जिला परिषद गढ़चिरौली ने इस प्रक्रिया की निगरानी व सहयोग दिया। वन विभाग ने तेंदूपत्तों के सतत संग्रहण हेतु तकनीकी मार्गदर्शन दिया। और अंततः गांव वालो ने तेंदूपत्ता प्रबंधन को आय देने वाली व्यवस्था में बदल दिया।

ज़िंगानुर की कहानी इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे पेसा अधिनियम को मजबूत सामुदायिक कार्रवाई के साथ जोड़कर सार्थक सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है

कैसे झिंगनूर ने कमान संभाली

इस योजनाबद्ध प्रक्रिया के कुछ प्रमुख चरण थे:

- **सामूहिक कार्यवाही:** गांवों ने संयुक्त ग्राम सभा की बैठकें कीं ताकि संग्रहण और बिक्री की योजना बनाई जा सके। महाराष्ट्र पेसा नियम 2014 के नियम 13 के अनुसार, ग्राम सभाएं संयुक्त बैठकें कर सकती हैं, जिससे सभी ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।
- **पारदर्शी लेनदेन:** सार्वजनिक रूप से नीलामी आयोजित की गई, जिससे ज्यादा खरीदारों को आमंत्रित किया गया। संयुक्त ग्रामसभा और ग्राम पंचायत ने बेहतर बोली प्राप्त की, जिससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी मिली। यह पारदर्शी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि ग्रामीणों को उनके प्राकृतिक संसाधन का उचित मूल्य मिले।
- **सतत सामंजस्य:** वन विभाग के मार्गदर्शन में ग्रामीणों ने कॉपिसिंग (पुनरुत्पादन के लिए पेड़ों की छंटाई) की, जिससे नए पत्तों का विकास सुनिश्चित हो सके।
- **सामूहिक प्रयास:** तेंदूपत्ता मौसम शुरू होते ही ग्रामीण जंगलों में पत्ते इकट्ठा करने गए। इसे आसान बनाने के लिए "तेंदू फड़ी" (संग्रहण केंद्र) बनाए गए, जिससे गांव स्तर पर संग्रहण व प्रबंधन संभव हो सका।
- **सामुदायिक समृद्धि:** सामूहिक नीलामी से प्राप्त कुल राजस्व उल्लेखनीय रहा। ग्राम सभाओं और पंचायत ने इस रॉयल्टी आय का प्रयोग गांवों के विकास कार्यों में किया, जिससे समुदाय की आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

तरुण भारत
Purva Vidarbha | 2025-04-21 | Page- 5
ग्रामपंचायत कार्यालय झिंगानूर
अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा लिलाव करिता

बाधाओं को तोड़ना: समुदाय-नेतृत्व वाली तेंदू पत्तियों की नीलामी का एक नया युग! - एक विज्ञापन

स्वायत्तता के हाथ: झिंगानुर के ग्रामीण तेंदू पत्ते चुनते हुए। फोटो साभार: श्री प्रमोद भोयर (जिला पेसा प्रबंधक, गढ़चिरौली)

राजस्व आंकड़े (तेंदूपत्ता बिक्री):

2022-23 में एकत्रित राजस्व	**₹2,28,28,500.00**
2023-24 में एकत्रित राजस्व	**₹1,84,19,605.00**
2024-25 में एकत्रित राजस्व	**₹1,42,79,890.00**
कुल राजस्व (2022-2025)	**₹5,55,27,995.00**

जवाबदेह ट्रांजिट पास प्रणाली: महाराष्ट्र पेसा नियम 41(6) के तहत ग्राम सभा द्वारा ट्रांजिट पास (TP) जारी किए जाते हैं, जो खरीदारों को केवल तभी दिए जाते हैं जब वे नीलामी की राशि ग्राम पंचायत को चुका देते हैं। इससे संग्राहकों की आमदनी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और पारदर्शिता बनी रहती है।

तेंदू पत्तों की कटाई। (फोटो साभार: श्री प्रमोद भोयर, जिला प्रबंधक (पेसा), गढ़चिरौली)

इस पहल के परिणाम

जीवन में समृद्धि:
सामूहिक बिक्री के माध्यम से झिंगनूर की सभी ग्राम सभाओं को अच्छा राजस्व मिला, जिससे गांव के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और जनकल्याण में सुधार हुआ।

आत्मनिर्णय की प्राप्ति:
ग्राम सभाओं ने न सिर्फ तेंदूपत्ता व्यापार पर नियंत्रण पाया, बल्कि अपनी निर्णय लेने की क्षमता और आत्म-शासन को भी सशक्त किया।

विश्वास और पारदर्शिता:
संग्रहण, भंडारण, नीलामी और परिवहन की संगठित प्रणाली ने पूरे प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता लाई। इससे शोषण की संभावना घटी और समुदाय में आपसी विश्वास मजबूत हुआ।

निष्कर्ष

झिंगनूर की कहानी यह सिद्ध करती है कि जब पेसा अधिनियम को मजबूत सामुदायिक प्रयासों के साथ जोड़ा जाता है, तो वह सार्थक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकता है। तेंदूपत्ता व्यापार पर नियंत्रण पाकर ग्राम सभा ने न सिर्फ आय बढ़ाई, बल्कि ग्रामवासियों को सशक्त, स्थानीय शासन को मज़बूत, और वन संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित किया। झिंगनूर का यह मॉडल अन्य ग्राम सभाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है—आत्मनिर्भरता, समृद्धि और संसाधनों के संरक्षण के लिए। यह कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पेसा ग्राम सभाएं, यदि सशक्त हों, तो वे अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा कर सकती हैं और समावेशी व सतत विकास को आगे बढ़ा सकती हैं।

ओडिशा

वन आधारित उद्यमों से जनजातीय आजीविका का सशक्तिकरण

पृष्टभूमि

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) और पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) भारत में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने में बदलाव लाने वाले कानून हैं।

ये कानून वनों में रहने वाले लोगों को लघु वनोपज (Minor Forest Produce - MFP) पर वैध अधिकार देते हैं। इसमें बाँस, तेंदू/केन्द पत्ते, शहद, जड़ें, जड़ी-बूटियाँ और अन्य वनस्पति उत्पाद शामिल हैं।

पहल

ओडिशा राज्य में इस दिशा में कई नियम लागू किए गए हैं, जैसे:

- ओडिशा ग्राम पंचायत (लघु वनोपज प्रशासन) नियम, 2002
- ओडिशा वन उपज (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1981

इन कानूनों के ज़रिए ग्राम पंचायतों को लघु वनोपज की खरीद प्रक्रिया को नियंत्रित करने, व्यापार लाइसेंस जारी करने, और सतत संग्रहण सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

मयूरभंज में की गई पहल से पता चलता है कि कैसे वन अधिकार अधिनियम और पेसा से सशक्त आदिवासी समुदाय वन संसाधनों को स्थायी आजीविका में बदल सकते हैं

जनजातीय समुदायों द्वारा ग्राम सभा का आयोजन

ओडिशा सरकार ने 69 प्रकार की MFP को व्यापार हेतु अनुमति दी है, जिससे यह जनजातीय व विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए एक प्रमुख स्थानीय उद्यम बन गया है।

मयूरभंज ज़िले में पहल का स्वरूप

मयूरभंज जिला, जो संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ 2022 से ही MFP व्यापार को एक संरचित और सामुदायिक रूप में बदला गया है। इस पहल में समर्थन दे रहे हैं - पंचायती राज विभाग, वन विभाग, आईटीडीए, मिशन शक्ति, और ओडिशा लाइवलीहुड मिशन।

जनजातीय समुदायों को Producer Groups (PGs) में संगठित किया गया है। छह ऐसे PGs मिलकर "सुलभा ग्रीन शक्ति प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड" के तहत काम कर रहे हैं। यह कंपनी एक जनजातीय स्वामित्व वाली सामूहिक संस्था है।

सुलभा ग्रीन शक्ति द्वारा किया गया कार्य:

- संगठित संग्रहण
- मूल्य संवर्धन (Value Addition)
- व्यवस्थित व्यापार

इनका व्यापार मुख्य रूप से साल बीज व पत्ते, महुआ फूल, जंगली शहद, और औषधीय फल जैसे उत्पादों पर केंद्रित है। तकनीकी और वित्तीय सहयोग मिला है Indian School of Business (ISB) से, और निजी भागीदार AAK Kamani Pvt. Ltd से। इससे पारदर्शी बाज़ार संबंध, समावेशी वित्तीय प्रणाली, और स्थानीय स्वामित्व वाली व्यवस्था सुनिश्चित हुई है।

पहल की संरचना

सामुदायिक भागीदारी	संस्थागत सहयोग	सरकारी समर्थन	बाज़ार संबंध
1583 शेयरधारकों को 6 Producer Groups में संगठित किया गया है।	ISB द्वारा तकनीकी और रणनीतिक सहयोग। ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक समर्थन।	वन एवं पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग, ITDA, मिशन शक्ति व महिला सशक्तिकरण विभाग, ओडिशा लाइवलीहुड मिशन द्वारा सामुदायिक और महिला नेतृत्व वाली आजीविका इकाइयों को बढ़ावा।	AAK Kamani Pvt. Ltd. द्वारा खरीद, प्रोसेसिंग और बिक्री में पूरा समर्थन। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय बाज़ार संबंधों व अधोसंरचना में सहयोग।

महिला सशक्तिकरण व वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम

- आदिवासी महिला उद्यमियों का नेटवर्क तैयार हुआ है।
- डिजिटल भुगतान के ज़रिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।
- ग्राम पंचायत मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिशन शक्ति गृह, स्थानीय सामुदायिक भवनों के माध्यम से संग्रहण, छंटाई और प्रोसेसिंग का सामुदायिक ढांचा तैयार किया गया है।

सकारात्मक परिणाम

1. जनजातीय आजीविका का सशक्तिकरण

- संग्रहण की संगठित प्रणाली से अपव्यय कम हुआ, मोलभाव की ताकत बढ़ी।
- श्रमिकों का प्रवासन घटा है। अब वे सालभर स्थानीय स्तर पर जुड़े कार्यों से जुड़े हैं।

2. महिला आर्थिक सशक्तिकरण

- महिलाएं सिर्फ संग्रहकर्ता नहीं, बल्कि शेयरधारक और निर्णयकर्ता भी बनीं।
- वित्तीय प्रणाली, उद्यम प्रबंधन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीखा।

सकारात्मक परिणाम

3. बाज़ार तक सीधी पहुँच

- खरीदारों से सीधा संपर्क, जिससे बेहतर दाम मिले और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई।
- छंटाई और पैकेजिंग सुविधाएं होने से उत्पाद मानक अनुरूप हो गए हैं।

4. ग्राम पंचायत की भूमिका का विस्तार

- सदस्य चयन से लेकर बाज़ार संचालन तक हर निर्णय ग्राम सभा या पल्ली सभा के ज़रिए लिया जाता है, जिससे सामुदायिक नियंत्रण सशक्त होता है।

5. वित्तीय साक्षरता

- सभी भुगतान बैंक खातों के ज़रिए नकद रहित किए जाते हैं।
- सदस्य बचत, ऋण और डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूक हुए हैं।

निष्कर्ष

अब जो पहले अनौपचारिक और शोषणकारी व्यापार था, वह अब बन गया है एक संगठित, सामुदायिक स्वामित्व वाला, बाज़ार उन्मुख मॉडल, जो आर्थिक सशक्तिकरण, वैधानिक अधिकार और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। मयूरभंज की यह पहल दिखाती है कि कैसे FRA और PESA से सशक्त आदिवासी समुदाय वन संसाधनों को सतत आजीविका में बदल सकते हैं।

ग्राम पंचायतों के मज़बूत समर्थन से महिलाएं अब उचित आय अर्जित कर रही हैं, प्रवासन कम हुआ है, और व्यापार पारदर्शी, सामुदायिक स्वामित्व वाले तंत्र से संचालित हो रहा है—यह समावेशी आदिवासी विकास का एक प्रभावी मॉडल बन गया है।

साल के बीज सुखाना

विषय 3

गौण खनिज (Minor Minerals)

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ट)/धारा 4 (ठ): अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के दोहन के लिए नीलामी, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे देने से पूर्व ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत की सिफारिश अनिवार्य है।

हिमाचल प्रदेश

काज़ा का समुदाय-आधारित खनिज उपयोग

परिचय

स्पीति घाटी में स्थित सुदूर कस्बे काजा में बढ़ती जनसंख्या और विकास की बढ़ती जरूरतों ने स्थानीय समुदायों और सरकारी विभागों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को सतह पर ला दिया है। पहले, स्थानीय लोगों को बिना औपचारिक अनुमति के गौण खनिजों के उपयोग पर दंड भुगतना पड़ता था — अक्सर ऐसा दोनों पक्षों की पेसा, वन अधिकार, और परंपरागत कानूनों जैसी कानूनी प्रावधानों की जानकारी की कमी के कारण होता था। इसके जवाब में, काजा पंचायत ने एक पहल शुरू करके एक सक्रिय कदम उठाया है, जो न केवल सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को भी बढ़ावा देता है, तथा पारंपरिक प्रथाओं को कानूनी सशक्तीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ता है। ग्राम पंचायत काजा, ब्लॉक स्पीति ने दिनांक 08/04/2022 को प्रधान श्रीमती सोनम डोलमा की अध्यक्षता में ग्राम सभा में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 97-ज और हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियम, 2011 की धारा 13 के तहत शक्तियों का उपयोग करके लघु खनिजों के उपयोग को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह नियम स्पष्ट रूप से ग्राम सभा को लघु खनिजों के लिए योजना बनाने का अधिकार देता है।

ग्राम पंचायत काजा ने प्रधान श्रीमती सोनम डोलमा की अध्यक्षता में ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर गौण खनिजों के उपयोग को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

पृष्ठभूमि

काजा स्पीति ब्लॉक का मुख्य और सबसे बड़ा शहर है, इसकी आबादी लगभग 1,200 स्थानीय लोगों की है और घाटी में बढ़ते पर्यटन के कारण यह और भी बढ़ रही है। इस पहल ने काजा पंचायत के स्थानीय लोगों को बहुत राहत दी है, क्योंकि पहले विभिन्न विभाग सामान्य प्रशासन, पुलिस विभाग, वन विभाग और खनन विभाग, ये सभी सरकारी एजेंसियाँ हमारे स्थानीय लोगों पर चालान और जुर्माना लगाती थीं जो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गौण खनिजों का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि उस समय पंचायत निकायों को अपनी शक्तियों और कानूनों के बारे में पता नहीं था। दूसरी ओर, अधिकारियों को पेसा, वन अधिकार और प्रथागत कानूनों जैसे विशेष कानूनों के बारे में भी जानकारी नहीं थी, जो स्थानीय निकायों को घरेलू उद्देश्यों के तहत व्यक्तिगत जरूरतों के लिए गौण खनिजों का उपयोग करने के लिए विशेष अनुमति/अनुज्ञा जारी करने का अधिकार देते हैं।

पहल और उसके प्रभाव

इस पहल का मुख्य उद्देश्य लघु खनिजों के निष्कर्षण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समुदाय की पारंपरिक प्रथाओं (प्रथागत कानून: "वजी उल अर्ज" और "नक्शा हक बर्तन") का सम्मान किया जाए और उन्हें बनाए रखा जाए। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को औपचारिक बनाना, उसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाना भी है।

प्रथागत कानूनों की तर्ज पर, पेसा (PESA) इन मान्यताओं को सक्षम बनाता है और सशक्त करता है, क्योंकि यह ऐसे प्रबंधन तरीकों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जैसा कि निम्नलिखित धाराओं में उल्लेखित है।

- ग्राम सभा, धारा 97-ज के तहत, सभा क्षेत्र में मिट्टी, पत्थर, रेत आदि सहित सभी लघु खनिजों के उत्खनन और उपयोग की योजना बनाने और उन पर नियंत्रण करने में सक्षम होगी। ग्राम सभा का यह निर्णय लिया गया प्रस्ताव, संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

- सभा के सदस्य, शर्तों के अध्यधीन अपनी परंपरागत परिपाटी के अनुसार अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए लघु खनिजों का उपयोग कर सकते हैं।
- राज्य सरकार का संबंधित विभाग, पर्यावरण की रक्षा, रोजगार आदि के लिए ग्राम सभा द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शर्तों को शामिल करके, ग्राम सभा के परामर्श से ही लघु खनिजों के लिए खनन पट्टा दे सकता है।

- ये विधायी ढांचे पंचायतों को स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

यह प्रयास न केवल पेसा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि इससे निम्नलिखित लाभ भी हो रहे हैं:

पर्यावरण संरक्षण:
लघु खनिजों के निष्कर्षण को विनियमित और निगरानी करके, यह पहल पर्यावरण क्षरण को रोकने और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करती है।

राजस्व सृजन:
यह शुल्क पंचायत निधि में योगदान देता है, जिससे स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होती है।

सामुदायिक सशक्तीकरण:
यह पहल पारंपरिक प्रथाओं/प्रथागत कानूनों का सम्मान करती है, जबकि आधुनिक विनियामक तंत्रों को शामिल करते हुए स्थानीय निकायों/समुदाय को अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाती है।

स्थानीय लोग और अन्य हितधारक पहले से ही इस बदलाव को एक शक्तिशाली कदम के रूप में स्वीकार कर रहे हैं:

तेनज़िन नोरबू, स्थानीय निवासी: "इस पहल से पूर्व, हमें अपने घरों के लिए रेत और पत्थरों का उपयोग करने हेतु सरकारी विभागों से लगातार जुर्माना भरना पड़ता था, भले ही यह हमारी पारंपरिक प्रथाओं का हिस्सा है। अब, पंचायत के स्पष्ट नियमों के साथ, हम इन संसाधनों का कानूनी रूप से और बिना किसी डर के उपयोग कर सकते हैं। यह हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी राहत है।"

श्रीमती सोनम डोलमा, प्रधान, ग्राम पंचायत काजा: "प्रधान के रूप में, मुझे हमारे ग्राम सभा द्वारा लघु खनिजों को विनियमित करने के संकल्प पर गर्व है। इसने हमारे समुदाय को 'वाजी उल अर्ज' जैसी हमारी परंपराओं का सम्मान करते हुए हमारे पर्यावरण की रक्षा करने का अधिकार दिया है। जुटाए गए धन से हमें अपने सामुदायिक केंद्र जैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।"

श्री सोनम तर्गे, जनजातीय सलाहकार परिषद सदस्य (टीएसी): "काजा पंचायत की पहल दूसरों के लिए एक आदर्श है। ग्राम सभा के साथ उनका सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि खनन पट्टे स्थानीय आवश्यकताओं और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं। यह एक पारदर्शी प्रणाली है जो विकास और संरक्षण को संतुलित करती है।"

ल्हामो चोड्रोन, स्थानीय कृषक : "इस पहल से हम कृषकों का जीवन सुगम बन गया है। अब हम जुर्माने की चिंता किए बिना लघु खनिजों का उपयोग छोटी मरम्मत या निर्माण के लिए कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी पंचायत हमारी बात सुनती है और हमारे पारंपरिक तरीकों को महत्व देती है।

निष्कर्ष

ग्राम पंचायत काजा द्वारा लघु खनिजों के उपयोग को विनियमित करने की पहल संविधान के भाग IV में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्व के तहत "गांधीवादी विचारधारा" के सिद्धांत को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, जिसके अनुसार राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करना चाहिए और उन्हें अनुच्छेद 40 के तहत स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने चाहिए। इस प्रयास ने पारंपरिक प्रथागत प्रथाओं को समकालीन शासन ढाँचों के साथ मिश्रित किया है। यह स्थायी संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास सुनिश्चित करता है, जो अन्य पंचायतों के लिए अनुकरणीय मॉडल स्थापित करता है।

पत्थर की खदानों पर मिला ग्राम सभा को अधिकार

परिचय

शोषणकारी प्रक्रिया को रोकने में जब कानून विफल रहता है, तो प्रभावित लोगों की जागरूकता और कार्रवाई से स्थिति बदल सकती है। दुमका के शिकारीपाड़ा ब्लॉक में अवैध पत्थर खनन राजनीतिक और विभागीय मिलीभगत और पैसे के प्रभाव और शक्ति के कारण गहराई से जड़ जमाए हुए था। यह अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996के लागू होने के बाद भी जारी रहा। पंचायत चुनावों से प्रेरणा, सामुदायिक संगठनों, मांझी हड़ाम और कुछ संवेदनशील अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने से ग्राम सभाओं को वह धार मिली जिससे वे अवैध खनन को रोक सके और पेसा अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सके। परिणामस्वरूप अब किसी भी खनन पट्टे को देने से पहले उचित ग्राम सभाओं की बैठक अनिवार्य है। भूमि मालिकों को हितधारकों के रूप में मान्यता दी गई हैं।कई भूस्वामी अब लाभ-साझाकरण करार (50% तक) का लाभ उठाते हैं।

शिकारीपाड़ा मामला एक सफल जमीनी स्तर का मॉडल दर्शाता है, जहां कानूनी जागरूकता, पारंपरिक नेतृत्व, प्रशासनिक समर्थन और नागरिक भागीदारी संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए एकजुट हुए

पृष्ठभूमि

झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा ब्लॉक के आदिवासी गांवों में अवैध पत्थर खनन आम बात है। खनन विभाग द्वारा उचित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए कई पट्टे प्रदान किये गए है। 1996 पंचायत उपबंध (आनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996के लागू होने के बाद भी, ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना ही खनन पट्टे प्रदान कर दिए गए। ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण अक्सर नकली होता था, जिससे ग्रामीणों को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। कई मामलों में स्थानीय अधिकारी और पुलिस इन शोषणकारी प्रथाओं को बढ़ावा देने में संलिप्त थे।

शिकारीपाड़ा में पत्थर की खदानें (सौजन्य: वर्डप्रेस)

पहल और उसके प्रभाव

वर्ष 2010 के पंचायत चुनावों ने जागरूकता की एक नई लहर ला दी। समुदाय आधारित स्थानीय संगठन ने ग्राम सभा की बैठकों को संस्थागत बनाने और ग्रामीणों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों ने स्वयं को तथा समुदाय को पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को दी गई शक्तियों के बारे में शिक्षित करना शुरू कर दिया। यह अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें जनजातीय समुदायों की विशिष्ट शासन प्रणालियों को मान्यता दी गई थी। पेसा धारा 4(ट) और 4(ठ) ग्राम सभा को यह अधिकार देती है कि –

- (ट) समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व आज्ञापक बनाया जाएगा;

- (ठ) उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के लिए आज्ञापक बनाया जाएगा;

शिकारीपाड़ा में पत्थर की खदानें (सौजन्य: द वायर)

शिकारीपाड़ा के ग्रामीण ग्रामसभा के अनुमोदन के बिना पट्टे के खिलाफ आंदोलन करते हुये (फोटो- हबील मुर्मू, कार्यकर्ता)

प्रभाव

किसी भी खनन पट्टे को देने के लिए अब उचित ग्राम सभा अनिवार्य है। यदि खनन कम्पनियां ग्राम सभा के निर्णयों की अवहेलना करती हैं तो उन्हें दंड या बंद का सामना करना पड़ सकता है।	भूस्वामियों को हितधारकों के रूप में मान्यता दी गई हैं।कई भूस्वामियों को अब लाभ-साझाकरण समझौते (50% तक) का लाभ मिलता है।	खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी।	इसने प्रशासन और आदिवासी समुदायों के बीच विश्वास को भी मजबूत किया है।

निष्कर्ष

शिकारीपारा मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे पेसा को सही भावना से लागू किया जाए तो आदिवासी स्वायत्तता और सम्मान बहाल हो सकता है। यह एक सफल जमीनी स्तर का मॉडल दिखाता है, जहां कानूनी जागरूकता, पारंपरिक नेतृत्व, प्रशासनिक सहायता और नागरिक भागीदारी संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक साथ आए। यह मामला ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक उद्धारण प्रस्तुत करता है।

तेलंगाना

रेत खनन के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सुनिश्चित आय

पृष्ठभूमि

तेलंगाना के आदिवासी बहुल क्षेत्रों, जो संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, में एक शांत लेकिन गहरी क्रांति धीरे-धीरे आकार ले रही है। सरकार द्वारा लघु खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने के प्रावधान का लाभ उठाते हुए, वदगुडेम गांव की जनजातीय समुदाय ने मिलकर एक रेत खनन सहकारी समिति (Sand Mining Cooperative Society) का गठन किया।

यह प्रयास PESA अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम) और ग्राम सभा की शक्तियों के सहयोग से शुरू हुआ, जिसने आत्मनिर्भरता का एक स्थायी मॉडल तैयार किया है।

इस पहल का उद्देश्य सीधा लेकिन सशक्त था — रेत खनन के माध्यम से नियमित आय उत्पन्न करना और स्थानीय जनजातीय युवाओं व परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। इस प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई, और प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाला लाभ सीधे उन लोगों तक पहुँचा जो इसके वास्तविक हकदार हैं।

तेलंगाना सरकार ने गोदावरी नदी तट पर जनजातीय सहकारी समितियों को रेत खनन की अनुमति देकर एक प्रगतिशील कदम उठाया। इसी अवसर को देखते हुए वदगुडेम गांव की ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से एक जनजातीय रेत सहकारी समिति को बढ़ावा देने का निर्णय लिया।

यह पहल जनजातीय समुदायों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना रही है। यह इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि जब संवैधानिक प्रावधानों को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो वे जमीनी स्तर पर परिवर्तन ला सकते हैं।

पहल और उसके प्रभाव

ग्राम सभा ने नदी तट से रेत खनन की विधिवत अनुमति दी, जिसमें प्रतिवर्ष 1 लाख घन मीटर रेत खनन की स्वीकृति दी गई, ₹40 प्रति घन मीटर की दर से। इससे वार्षिक ₹40 लाख की आय प्राप्त हो रही है। यह राशि गाँव के विकास के लिए — जैसे आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में — खर्च की जा रही है।

क्रमांक	रेत क्षेत्र	वार्षिक मात्रा	दर (₹ प्रति घन मीटर)	कुल वार्षिक आय
1	वदगुडेम	1,00,000 घन मीटर	₹40	₹40,00,000

वदगुडेम के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से नदी तट पर बसे जनजातीय परिवारों के साथ एक रेत सहकारी समिति का गठन किया। कुल 100 परिवार इस समिति के प्रत्यक्ष सदस्य बन गए। गठन के बाद, समिति ने सभी कानूनी और पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए खनन कार्य आरंभ किया, जिससे आर्थिक लाभ के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन भी सुनिश्चित हुआ। ग्राम सभा ने अनुमति देने, कार्यान्वयन की निगरानी करने और पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

परिणाम

यह परियोजना जनजातीय सशक्तिकरण का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी है। इसका ध्यान निम्न पहलुओं पर केंद्रित है:

- 100 गरीब जनजातीय परिवारों को आय प्रदान करना
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देना
- सामुदायिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना
- प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना

आज समिति प्रतिवर्ष करीब ₹40 लाख की आय अर्जित कर रही है, और यह धनराशि केवल परिवारों की भलाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गाँव के सर्वांगीण विकास में उपयोग हो रही है। पंचायत राज संस्थाओं को भी इस परियोजना से सेनियॉरेज शुल्क के रूप में आय प्राप्त हो रही है, जो पंचायत, गाँव और समिति के सदस्यों के कल्याण में खर्च हो रही है।

సాక్షి

ఇసుక క్వారీ నిర్వహణకు ఆమోదం

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

निष्कर्ष

वदगुडेम की सफलता को देखते हुए, यह मॉडल आस-पास के अन्य नदी तटीय गाँवों में भी लागू किया जा सकता है। अनुमान है कि पूर्ववर्ती वारंगल जिले की 5 मंडलों के 150 से अधिक गाँवों को इस प्रकार की पहल से लाभ मिल सकता है।

यह पहल जनजातीय समुदायों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना रही है। यह इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि जब संवैधानिक प्रावधानों को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो वे जमीनी स्तर पर परिवर्तन ला सकते हैं।

ఇసుక క్వారీలతో ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలి

మంగపేట, న్యూస్‌టుడే: మండలంలోని మల్లూరు పంచాయతీ పరిధి మామిడిగూడెం, చుంచుపల్లి గ్రామాల్లో ఇసుక క్వారీల నిర్వహణకు శనివారం పెసా గ్రామ సభ నిర్వహించారు. మల్లూరు పంచాయతీ పరిధి మామడిగూడెంలో మొత్తం ఓటర్లు 268 మంది ఉండగా.. 130 మంది శ్రీ సమ్మక్క, సారలమ్మ ట్రైబల్ మొరం క్వారీ లేబర్ ఇసుక క్వారీ నిర్వహణకు చేతులెత్తి ఏకగ్రీవ ఆమోదం తెలిపారు. దీంతో అధికారులు ఈ సొసైటీకే బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు చుంచుపల్లి గ్రామ పంచాయతీ వద్ద గ్రామసభ నిర్వహించారు. చుంచుపల్లిలో 450 మంది ఓటర్లుండగా 204 మంది చెంచులక్ష్మీ ఇసుక క్వారీ నిర్వహణకు ఆమోదం చెప్పగా.. బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ సభలకు ముఖ్యఅతిథిగా ఐటీడీఏ పెసా జిల్లా కోఆర్డినేటర్ కొమురం ప్రభాకర్ హాజరై మాట్లాడారు. ఇసుక క్వారీలను సద్వినియోగం చేసుకొని ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలని సూచించారు.. కార్యక్రమంలో మండల ప్రజా పరిషత్ అధికారి బద్రూ, తహసీల్దార్ తోట రవీందర్, నాయకులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

विषय 4

लघु जल निकायों का प्रबंधन

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ञ): अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना बनाना और प्रबंधन करना उपयुक्त स्तर की पंचायतों को सौंपा जाएगा।

पोवारी में सहभागीतापूर्ण जल प्रबंधन

परिचय

हिमाचल प्रदेश में, सामुदायिक सहभागिता में कमी और पारंपरिक शासन व्यवस्था के कमज़ोर होने के कारण नहरों (कुहलों) के प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरीकरण और बदलती आजीविका ने स्थानीय स्वामित्व और रखरखाव के प्रयासों को कम कर दिया है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तनशीलता जल उपलब्धता को प्रभावित करती है, जबकि सीमित संस्थागत समर्थन दीर्घकालिक स्थिरता में बाधा डालता है। ये सभी कारक मिलकर इस सदियों पुरानी सिंचाई प्रणाली की लचीलापन को खतरे में डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण से इन प्रणालियों को पुनर्जीवित करने की उम्मीद जगा रहे हैं।

पृष्ठभूमि

किन्नौर जिले के कल्पा ब्लॉक में स्थित पोवारी ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 8 किमी दूर स्थित है। अपने किन्नौरी सेब और चिलगोजा पाइन के लिए प्रसिद्ध, यह पंचायत सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहरों (कुहलों) के अपने विशिष्ट सहभागितापूर्ण प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। चार गांवों पोवारी, तांगलागपी, तांगलिंग और केगारंग को मिलाकर बनी इस ग्राम पंचायत ने जल प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है। तंगलागपी-पोवारी गांव में, निवासियों ने एक साथ मिलकर कांतिउधेन कुहल जल वितरण समिति का गठन किया है, जो एक समुदाय के नेतृत्व वाली संस्था है जो समान जल वितरण और कुहल प्रणाली के नियमित रखरखाव दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सामूहिक प्रयास मजबूत स्थानीय स्वामित्व को दर्शाता है और पारंपरिक नहरों को बनाए रखने में सहभागितापूर्ण प्रबंधन के महत्व को उजागर करता है।

ग्राम पंचायत पोवारी का दृश्य

पोवारी ग्राम पंचायत की पहल समुदाय के नेतृत्व में सहभागी जल प्रबंधन, समान संसाधन साझाकरण और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक उपकरणों के एकीकरण का उदाहरण है

पहल और उसके प्रभाव

पोवारी में जल निकायों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रथागत कानून थे, जिन्हें पेसा के माध्यम से मजबूत किया गया है। पोवारी उप मुहाल के वाजिब-उल-अर्ज में लघु जल निकायों पर अधिकारों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, जिनका उपयोग पीने, सिंचाई या दोनों के लिए किया जा सकता है। किन्नौर जिले में, जहाँ लघु वनोपज (एमएफपी) और बागवानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, ग्राम पंचायत के किसान पीढ़ियों से सिंचाई पर निर्भर हैं। किन्नौर के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सिंचाई के लिए उचित गुरुत्वाकर्षण बनाए रखने के लिए पहाड़ी

ढलानों पर कुहल के रूप में जानी जाने वाली सिंचाई नहरों की एक मजबूत पारंपरिक प्रणाली बनाई गई । पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996(पेसा) के प्रावधानों से यह और मजबूत हो गया है, जो यह अनिवार्य करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का काम उचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाए [धारा 4(ञ)]। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम निर्दिष्ट करता है, "अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों या जिला परिषदों कोऐसी रीति में जो विहित की जाए, सौंपा जाएगा" [धारा 97-छ]।। हिमाचल प्रदेश पेसा नियम, 2011, उचित स्तर पर पंचायत को उस क्षेत्र के भीतर एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम सबसे निचले स्तर के रूप में परिभाषित करता है जहां एक संसाधन स्थित है। इसके अतिरिक्त, लघु जल निकाय को "पेयजल लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जल निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह एक धारा, छोटी नदी, झील हो या जिस पर चेक डैम का निर्माण किया जा सके तथा जिसमें 5 हेक्टेयर तक सिंचाई करने की क्षमता हो" [नियम 2 (च)]।

पोवारी ग्राम पंचायत में सिंचाई चैनल (कुहाल)।

पेसा के अंतर्गत ऐसी सक्षम नीतियां पंचायत में पारंपरिक ज्ञान के उपयोग पर जोर दे रही हैं और पोवारी पंचायत को गांव आधारित प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए संस्थागत रूप से समर्थन दे रही हैं।

पोवारी ग्राम पंचायत द्वारा प्रावधानों का उपयोग किया गया है तथा जल वितरण के लिए एक प्रभावी सहभागितापूर्ण प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। कुहलों के माध्यम से जल आवंटन से संबंधित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है, जिससे सभी के लिए पानी की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है। यह प्रणाली "पल्ला" नामक एक घूर्णी आधार पर संचालित होती है, जहां एक गांव से गुजरने वाले नालों (छोटी धाराओं) को बारी-बारी से एकत्र किया जाता है। कृषकों द्वारा अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए अस्थायी नहरें खोदी जाती हैं। समुदाय को किसान परिवारों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है, प्रत्येक परिवार को सिंचाई के लिए एक पूर्ण जल दिवस आवंटित किया गया है। उदाहरण के लिए, 20 कृषक परिवारों वाले गांव में, एक परिवार की बारी हर 20 दिन में आती है। हालांकि, दो पड़ोसी परिवार आधे-आधे दिन के लिए पानी साझा कर सकते हैं, जिससे वे अपने खेतों की सिंचाई 20 दिनों के बजाय हर 10 दिन में कर सकते हैं। यह प्रणाली पानी का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है और इस प्रक्रिया में पूरे समुदाय को शामिल करती है।

पेसा के तहत ऐसी सक्षम नीतियां पंचायत में पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने पर जोर दे रही हैं और गांव आधारित प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए पोवारी पंचायत को संस्थागत रूप से समर्थन दे रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर सशक्त स्वशासन का यह मॉडल पेसा अधिनियम के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में कार्य करता है।

कुहल और नालों से पानी की मिलों को भी बिजली मिलती है और उनके प्रबंधन का दस्तावेजीकरण वाजिब-उल-अर्ज में किया गया है। वर्तमान में, ग्राम विकास समिति कुहल के प्रबंधन की देखरेख करती है। जल वितरण की पालियाँ (पाला) अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती हैं, जिनकी छपी हुई समय-सारणी में परिवारों के नाम और उनकी बारी की तिथियाँ होती हैं। इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाता है और व्हाट्सअप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से साझा किया जाता है।

स्थानीय लोग और अन्य हितधारक पूर्व से ही इस बदलाव को एक शक्तिशाली कदम के रूप में स्वीकार कर रहे हैं:

श्री भूपेंद्र सिंह नेगी, प्रधान, पोवारी ग्राम पंचायत: "हमारी सहभागी जल प्रबंधन प्रणाली पेसा की सच्ची भावना को दर्शाती है। अपने ग्राम विकास समिति को सशक्त बनाकर और संचार के लिए व्हाट्सएप जैसे उपकरणों का उपयोग करके, हमने अपने पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित करते हुए अपनी पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक बनाया है।"

श्री तेनजिन दोरजे, किसान, तंगलागपी गांव: "पल्ला प्रणाली हमारे गांव के लिए वरदान साबित हुई है। हर परिवार को उचित मात्रा में पानी मिलता है, और मेरे पड़ोसी के साथ आधे दिन की बारी साझा करने से सिंचाई अधिक बार और प्रबंधनीय हो गई है। यह प्रणाली हमारे खेतों को हरा-भरा रखती है और हमारे समुदाय को एकजुट रखती है।"

श्रीमती कमला देवी, सदस्य, कांतिउद्धेन कुहल जल वितरण समिति: "एक समिति सदस्य के रूप में, मैंने देखा है कि कैसे हमारे सामूहिक प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी छूट न जाए। विवाद दुर्लभ हैं, और जब वे उठते हैं, तो हम उन्हें ग्राम सभा में मिलकर सुलझाते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव ने हमारे काम को पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बना दिया है।"

श्री भूपेश कुमार नेगी: कुहल हमारे खेतों की सिंचाई करते हैं और पानी का उचित वितरण मेरे परिवार की आजीविका सुनिश्चित करता है। समुदाय का सहयोग हमारी ताकत है।

पोवारी ग्राम पंचायत में की गई पहल स्थानीय समुदायों के लिए मजबूत सकारात्मक परिणामों को दर्शाती है और समुदाय के नेतृत्व में परिवर्तन की कहानी गढ़ती है जो पेसा सिद्धांतों और परिणामों के अनुरूप भी है:

- **न्यायसंगत वितरण:** पल्ला प्रणाली निष्पक्ष और संघर्ष-मुक्त जल आवंटन सुनिश्चित करती है।
- **समुदाय-संचालित शासन:** विवादों को समुदाय के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है, पारंपरिक स्व-शासन प्रथाओं का सम्मान किया जाता है।
- **कुशल संसाधन उपयोग:** अस्थायी नहरें और साझा जल वितरण प्रणाली, सीमित जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करती हैं, जिससे कृषि और बागवानी की सततता बनी रहती है।
- **सामूहिक जिम्मेदारी:** प्रत्येक किसान परिवार की सक्रिय भागीदारी स्वामित्व और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।
- **परंपरा के साथ आधुनिकीकरण:** डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग और सोशल मीडिया संचार में बदलाव वाजिब-उल-अर्ज में उल्लिखित पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करते हुए पारदर्शिता को बढ़ाता है।
- **विकेन्द्रीकृत प्रबंधन:** कुहल्स के प्रबंधन में ग्राम विकास समिति की भूमिका समुदाय-संचालित संस्थाओं पर प्रकाश डालती है, जो पेसा का एक मुख्य लक्ष्य है।

निष्कर्ष

पोवारी ग्राम पंचायत की पहल समुदाय द्वारा संचालित सहभागी जल प्रबंधन, संसाधनों का समान बंटवारा और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक उपकरणों के एकीकरण का उदाहरण है। किसानों, समिति के सदस्यों और स्थानीय नेताओं के प्रशंसापत्र समुदाय की एकता, पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा देने में प्रणाली की सफलता को रेखांकित करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर सशक्त स्वशासन का यह मॉडल पेसा अधिनियम के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक प्रेरक उदाहरण के रूप में कार्य करता है।

महाराष्ट्र

पेसा से जल संसाधन विकास को मिली गति

परिचय

किसी भी ग्रामीण समुदाय के लिए पानी की उपलब्धता का समय महत्वपूर्ण होता है। जब मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है और गर्मियों के महीनों में अक्सर सूखे जैसी स्थिति होती है, तो यह दोहरी परेशानी बन जाती है। पेसा अधिनियम फदालेवाड़ी-उगलेवाड़ी के ग्रामीणों के लिए संकटमोचक के रूप में आया। इसने उन्हें अपनी पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन खाइयों को भरने में सक्षम बनाया और उन्हें एक सुनिश्चित अतिरिक्त फसल प्राप्त करने में मदद की। इसने ग्राम सभा के आजीविका परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया।

पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में पुणे जिले के अम्बेगांव तालुका में स्थित, ग्राम पंचायत फदालेवाड़ी-उगलेवाड़ी की आबादी 1480 है और यहाँ अनुसूचित जनजातियों की आबादी अधिक है और यह पेसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सह्याद्री पहाड़ियों का हिस्सा होने के कारण, यहाँ मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है। हालाँकि, गर्मियों के महीनों के दौरान, पीने के साथ-साथ सिंचाई के पानी की भी भारी कमी रहती थी। इसने ग्रामीणों को आजीविका कमाने की अपनी क्षमता को प्राप्त करने से रोक रखा था।

परियोजना पूरी होने के बाद

पेसा अधिनियम 1996 और महाराष्ट्र पेसा नियम 3 मार्च, 2014 के नियम 30 ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत धारा 3 में 54 ए (जे) के अंतर्गत 100 हेक्टेयर के भीतर सभी छोटे तालाबों पर ग्रामीणों के अधिकार पंचायत को प्रदान किए। इन नियमों का लाभ उठाते हुए, मई 2024 में, ग्रामीणों ने तालाब को गहरा और चौड़ा करने की परियोजना को पूरा करने का फैसला किया और इसे पूरा किया।

पेसा अधिनियम और 5% निधि योजना के प्रावधान इस अंतर को प्रभावी ढंग से पाट सकते हैं, जिससे पेयजल और सिंचाई जल की उपलब्धता और आजीविका के अवसरों में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।

पहल और उसके प्रभाव

पेसा 5% निधि योजना से 1.0 लाख रुपये की राशि और सीएसआर फंड के रूप में प्राप्त 1.0 लाख की मदद से पंचायत को तालाबों के चौड़ा और गहरा करने के काम को पूरा करने में मदद मिली। इसके परिणामस्वरूप, जून 2024 के मानसून के दौरान तालाब पूरी तरह से पानी से लबालब हो गए। इसने ग्राम सभा की कई बस्तियों के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार किया, जिनमें तळेपठार,धामाचीवाडी, पेवाडी,शिंगाड़ेवाडी, उंबरवाडी (मालवाडी) शामिल हैं।

ग्रामीणों द्वारा विकसित तालाबों के कई सकारात्मक परिणाम हुए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव इस प्रकार हैं -

- पीने के पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ। सकल राहत कोष द्वारा वित्तपोषित जल शोधन परियोजना ने इसमें पूरक का काम किया है, जो सभी परिवारों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यह पानी के माध्यम से होने वाले रोगों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करेगा।
- क्योंकि पशुपालन ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका गतिविधि है, इसलिए पशुओं, भेड़ों और बकरियों के लिए पूरे साल पानी की बढ़ती उपलब्धता ने उन्हें अधिक पशु रखने में सक्षम बनाया, जिससे उनकी आय में सुधार होगा।
- गर्मियों के महीनों के दौरान पानी की उपलब्धता ने समुदाय को अतिरिक्त फसल प्राप्त करने में मदद की, जो पहले निश्चित नहीं थी। यह कृषि भूमि के मालिकों और अपने खेतों में मजदूरी करने वालों की आय में एक बड़ी वृद्धि होगी।
- कुओं में जल स्तर में काफी सुधार हुआ।
- तालाबों में पूरे साल पानी की सुनिश्चित उपलब्धता ने पंचायत को आने वाले मानसून के मौसम से मछली पालन की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस वर्ष पेसा 5% निधि योजना से मछली बीज खरीदने की योजना है।
- सामूहिक कार्यों में बढ़ी हुई जन भागीदारी समुदाय को ऐसे कई और उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगी।

परियोजना पूरी होने से पहले

निष्कर्ष

संभावना और उपलब्धि के बीच छोटी छोटी खाइयों को भरकर, ग्रामीण और वंचित समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है। पेसा अधिनियम और 5% निधि योजना के प्रावधान प्रभावी रूप से यह खाई भर सकते हैं, जिससे पीने और सिंचाई के पानी की उपलब्धता और आजीविका के अवसरों में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।

परियोजना पूरी होने की खुशी (फोटो का स्रोत - गणेश करपे, ग्राम पंचायत अधिकारी)

राजस्थान

सामुदायिक जल प्रबंधन की मिसाल बनी पेसा ग्रामसभा

परिचय

बहुप्रतीक्षित पाड़ा खादरा बांध के निर्माण के बावजूद, मामेर ग्राम पंचायत के ग्रामीण न केवल सिंचाई के लिए जल वितरण से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे, बल्कि ग्रामीणों में आपसी मतभेद एक रोजमर्रा की समस्या बन गया था। ऐसे में पेसा अधिनियम के प्रावधानों ने प्रभावी समाधान का आधार तैयार किया, जिससे जल वितरण और उपलब्धता की समस्या से निजात मिली और ग्रामवासियों के बीच सौहार्द का वातावरण लौट सका।

पृष्ठभूमि

गुजरात सीमा पर स्थित राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा की मामेर ग्राम पंचायत एक आदिवासी बहुल गाँव है। यहां लोगों की आजीविका मुख्यतः वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है। सिंचाई जल की अनुपलब्धता के कारण वर्षों से यहां के किसान गुजरात पलायन कर 'भागिया' किसान के रूप में काम करते थे, जहां उन्हें श्रम का उचित प्रतिफल नहीं मिल पाता था। पाड़ा खादरा बांध के निर्माण के बाद सिंचाई विभाग द्वारा नहरें बनाकर पानी छोड़ा जाने लगा, परंतु पानी के वितरण का समय व मात्रा विभाग द्वारा निर्धारित होता था। इससे दूर के किसानों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुँचता था, जिससे उपज प्रभावित होती थी और आपसी विवाद भी बढ़ रहे थे।

ग्राम सभा ने 24 सदस्यों की जल प्रबंधन समिति बनाई। सिंचाई विभाग ने ग्राम सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

पहल और उसके प्रभाव

इस परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र मे कार्यरत स्वयंसेवी संस्था के मार्गदर्शन और सहयोग से गांववासियों ने स्थानीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन हेतु पेसा अधिनियम 1996 का सहारा लिया। इसके अंतर्गत पंचायती राज विभाग, राजस्थान द्वारा दिनांक 01-11-2011 को जारी अधिसूचना के चैप्टर- IV में उल्लेखित है कि पेसा ग्रामसभा अपने क्षेत्र के सामुदायिक स्त्रोत जल, भूमि, एवं खनिजों को स्थानीय परंपरा और सुसंगत विधियों के अनुसार सुरक्षित, परिरक्षित एवं प्रबंधन के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकेगी। इसके अंतर्गत ग्रामवासियों द्वारा पेसा ग्रामसभा का गठन करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि बांध के जल का प्रबंधन स्थानीय ग्रामसभा द्वारा किया जाए। ग्रामसभा ने 24 सदस्यों की जल प्रबंधन समिति का गठन किया। ग्राम सभा के प्रस्ताव को सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

समाधान की दिशा में पहल

गांव के आदिवासी भील समुदाय ने पेसा अधिनियम 1996 के तहत पंचायती राज विभाग,राजस्थान द्वारा दिनांक 01-11-2011 को जारी अधिसूचना के चैप्टर- IV में उल्लेखित है की पेसा ग्रामसभा उसके क्षेत्र में अवस्थित सामुदायिक स्त्रोत जल,भूमि, एवं खनिजों को स्थानीय परंपरा और सुसंगत विधियों के अनुसार सुरक्षित, परिरक्षित एवं प्रबंधन के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकेगी।

इस प्रावधान का उपयोग करते हुए मामेर ग्रामवासियों द्वारा पेसा ग्रामसभा का गठन किया और ग्रामसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि बांध के जल का प्रबंधन स्थानीय ग्रामसभा द्वारा किया जाए। ग्रामसभा ने 24 सदस्यों की जल प्रबंधन समिति का गठन किया। ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव से उपखंड आधिकारी, तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ग्राम सभा रजिस्टर के माध्यम से अवगत करवाया गया। ग्राम सभा के प्रस्ताव को सिंचाई विभाग द्वारा मान लिया। इस प्रकार पेसा ग्राम सभा द्वारा गठित जल प्रबंधन समिति ने सिंचाई हेतु जल वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में कार्य शुरू किया।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

मुख्य कार्यवाही और नवाचार

- सिंचाई विभाग को ग्रामसभा के निर्णय से अवगत कराते हुए जल प्रबंधन का अधिकार ग्राम को सौंपा गया।
- जल प्रबंधन समिति द्वारा नहर की सफाई और मरम्मत के कार्य ग्राम स्तर पर स्वयं किए जाने लगे।
- ग्रामसभा के सभी सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर पानी छोड़ने का समय तय किया जाने लगा।
- जल वितरण की निगरानी समिति द्वारा सुनिश्चित की गई, ताकि अंतिम छोर के खेतों तक भी समय पर पानी पहुंचे।

परिणाम

- सभी किसानों को समान रूप से समय पर पानी मिलने लगा।
- फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
- गुजरात पलायन में कमी आई।
- जल संबंधी विवाद समाप्त हुए और सामूहिक सहभागिता का माहौल बना।

निष्कर्ष

मामेर गाँव की यह पहल दर्शाती है कि यदि पेसा अधिनियम जैसे प्रावधान के सहयोग से समुदाय को उनके अधिकार और संसाधनों का स्वामित्व दिया जाए, तो वे आत्मनिर्भरता और सतत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा सकते हैं। पेसा एक्ट का यह प्रभावशाली प्रयोग अन्य आदिवासी क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक कदम हो सकता है।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

विषय 5

भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड)(iii): उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभाओं को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और किसी अनुसूचित जनजाति की विधि विरूद्धतया अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की जाए।

झारखंड

गाँव की सामुदायिक जमीन की रक्षा करता पेसा कानून

परिचय

छोटा नागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम, 1908 के बावजूद लोहरदगा जिले के जोरी ग्राम पंचायत में जनजातीय भूमि का अवैध हस्तांतरण गैर- जनजातीय लोगों को बड़े पैमाने पर हो रहा था। लेकिन पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के प्रावधानों ने ग्राम सभा को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और इन भूमि हस्तांतरणों को रोकने का साधन प्रदान किया। इसने जनजातीय लोगों की भूमि को गैर- जनजातीय द्वारा हड़पे जाने से बचाया।

पृष्ठभूमि

छोटा नागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम, 1908, एक भूमि अधिकार क़ानून है जिसे झारखंड की जनजातीय आबादी के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम गैर- जनजातियों को भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए उल्लेखनीय है। यह अधिनियम गैर- जनजातीय लोगों द्वारा जनजातीय भूमि की खरीदी पर रोक लगाता है। हालाँकि, झारखंड और विशेष रूप से राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियों का गैर- जनजातियों की जमीन काअवैध हस्तांतरण आम बात है। झारखंड के लोहरदगा जिले में जोरी ग्राम पंचायत को काश्तकारी अधिनियम के बावजूद अवैध हस्तांतरण की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था

पहल और उसका प्रभाव

भागीरथी भगत और मोहम्मद हनीफ खान, दोनों गैर-जनजाति व्यक्तियों ने वर्ष 1939 में अवैध रूप से जनजातीय भूमि (बंजर भूमि) पर कब्जा किया था और अवैध प्रथाओं के माध्यम से उसी भूमि का दाखिल खारिज (म्यूटेशन) किया था। उपरोक्त जनजातीय भूमि जनजातीय लोगों की सामान्य प्रथाओं, विशेष रूप से देशावली पूजा के लिए थी। यह मुद्दा तब सामने आया, जब हनीफ खान ने दूसरे गैर- जनजातीय व्यक्ति, भागीरथी भगत को, भूमि का एक हिस्सा बेचने की कोशिश की। समुदाय ने ग्राम सभा बुलाई और जिला आयुक्त को एक याचिका प्रस्तुत की गई। जिला आयुक्त ने सीएनटी अधिनियम के तहत बंजर भूमि के लिए अनुच्छेद 63 (क) के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाया (चित्र - 1)।

कानूनों एवं अधिकारों का समुचित ज्ञान तथा ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा सक्रिय नेतृत्व, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

दिनांक 3 अप्रैल 2000 को, जोरी की ग्राम पंचायत ने अपनी कुर्मू ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ग्राम सभा को पेसा अधिनियम के तहत सामुदायिक अधिकारों और भूमि हस्तांतरण के विनियमन से संबंधित शक्तियां और कार्य के बारे मे बताया गया।। ग्राम सभा के अध्यक्ष जलेश्वर उरांव ने अपने समुदाय में भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए कई पहल की जिला प्राधिकारी ने यह भी अधिसूचित किया है कि जिले में भूमि हस्तांतरण के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति होनी चाहिए, जिसमें पेसा अधिनियम, 1996 द्वारा ग्राम सभा को प्रदान की गई शक्ति का उल्लेख किया गया है।

पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा की गई गतिविधियाँ

- ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि भूमि खाली (पड़ती) न रहे तथा वह प्रवासियों, आश्रितों और नाबालिगों की भूमि पर खेती के लिए उचित व्यवस्था स्थापित करेगी।
- ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि प्रवासियों की भूमि पर भूमिहीन या जरूरतमंद व्यक्ति खेती कर सकें, तथा ऐसी खेती के लिए परिस्थितियां स्थापित करेगी।
- गांव के बेघर लोगों के लिए आवास स्थलों का चयन या गांव के अंतर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराने का काम ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा की सिफारिशों के आधार पर बेघर व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी।
- भूमि को गिरवी रखने से संबंधित सभी मामलों को ग्राम सभा के ध्यान में लाया जाएगा। सी.एन.टी./एस.पी.टी. अधिनियम / विल्किंसन नियम / अन्य प्रथागत कानूनों के तहत मामले मान्य होंगे।

निष्कर्ष

जोरी ग्राम पंचायत की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में उपयुक्त अधिनियमों, सीएनटी और पेसा अधिनियमों का संयोजन आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों पर नियंत्रण पाने और शोषणकारी प्रथाओं से खुद को बचाने में मदद कर सकता है। कानूनों और अधिकारों का उचित जानकारी और ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा सक्रिय नेतृत्व वांछनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह समान परिस्थितियों में रहने वाले और अपने अधिकारों के ज्ञान की कमी के कारण शोषित समुदायों को प्रेरित करने की कहानी है।

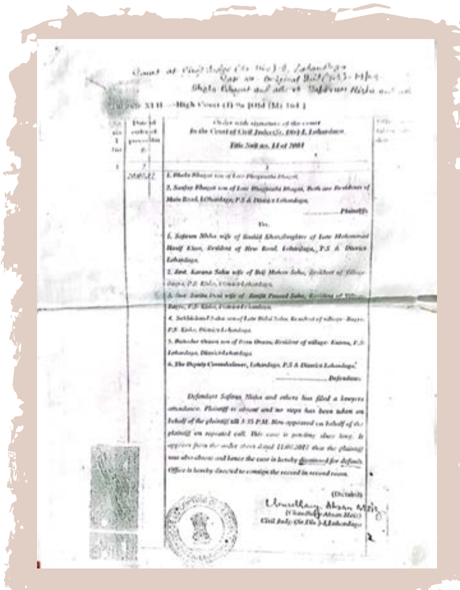

चित्र 1 (फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

जटिल विवादों के समाधान में पेसा एक्ट बना मददगार

पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम पंचायत बटकी अंतर्गत ग्राम चीरा के टोला "डोबनढाना" की यह घटना दशकों पुराने एक भूमि विवाद को उजागर करती है। 1970 के दशक में कुछ आदिवासी परिवारों ने ग्राम चीरा से एक किलोमीटर दूर अपने खेतों में बसना शुरू किया और वहां स्थायी रूप से रहने लगे। समय के साथ यह बस्ती "डोबनढाना" टोले के रूप में विकसित हुई। बढ़ती आबादी और आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता ने गांव को मुख्य ग्राम से जोड़ने हेतु सड़क की मांग को जन्म दिया। परंतु प्रस्तावित सड़क मार्ग चीरा ग्राम के कुछ कृषकों की निजी भूमि से होकर गुजरता था, जिससे विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद लगभग 40 वर्षों तक चलता रहा।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

पहल और उसके प्रभाव

मध्यप्रदेश में वर्ष 2022 में पेसा नियमावली लागू होने के बाद ग्राम सभाओं को परंपरागत विवादों के समाधान का अधिकार मिला। ग्राम चीरा में भी पेसा नियमों के अनुरूप ग्राम सभा अध्यक्ष का चयन किया गया। अध्यक्ष उमराव उईके ने लगातार बैठकें कर विवाद में शामिल खेतिहर परिवारों जैसे मिलाप मर्सकोले, धानू/रामू, भूता/कालू, जयसिंह उईके आदि से संवाद शुरू किया और सड़क निर्माण को लेकर ग्राम सभा में प्रस्ताव लाने हेतु सहमति प्राप्त की।

दिनांक 05 जून 2023 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें दोनों पक्षों के साथ-साथ सरपंच, सचिव, पेसा समन्वयक, पटवारी एवं ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति रही। सभी के समक्ष समस्या पर चर्चा की गई, ग्राम सभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समझाया कि यह सड़क केवल विकास के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सुविधा और आपसी एकता का प्रतीक होगी।

समझाइश और सामूहिक विचार-विमर्श के बाद खेत मालिकों ने ग्राम सभा में सहमति प्रदान की कि सड़क उनके खेतों से होकर निकाली जा सकती है, बशर्ते भविष्य में कोई विवाद न खड़ा हो। प्रस्ताव पास कर, पंचायत सचिव ने पंचनामा तैयार किया और शासन को भेजा।

ग्राम सभा की अपील और बुजुर्गों की राय से प्रभावित होकर कृषक परिवारों ने ग्राम सभा के समक्ष सहमति व्यक्त की कि वे अपनी जमीन से सड़क गुजरने देंगे।

परिणाम

ग्राम सभा की अपील और वरिष्ठों की राय से प्रभावित होकर, खेतिहर परिवारों ने ग्राम सभा के समक्ष अपनी सहमति दी कि वे अपनी भूमि से सड़क के लिए रास्ता निकलने देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भविष्य में इस विषय पर कोई विवाद नहीं किया जाएगा। इस निर्णय के साथ ही वर्षों पुराना विवाद समाप्त हुआ, और पंचायत द्वारा सड़क निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

- प्रस्ताव पर अमल करते हुए स्थानीय विधायक निधि से 1.05 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ और ग्रेवल सड़क और पुल निर्माण का कार्य 2023–24 में आरंभ हुआ।
- अब रात्रि और वर्षा ऋतु में भी आवागमन संभव हो गया है।
- दोनों गांवों के बीच बंधुत्व और सौहार्द का वातावरण विकसित हुआ है।
- पेसा नियमों के प्रति ग्रामों में जागरूकता और विश्वास बढ़ा है, जिससे अन्य विवादों का समाधान भी स्थानीय स्तर पर संभव हुआ है।

स्वतंत्र समय

भोपाल/बैतूल

E-PAPER www.swatantrasamay.com

बैतूल जिले के विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत बटकी का गांव चीरा बना मिसाल

पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा द्वारा 40 साल से चल रहा विवाद का किया निराकरण

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

निष्कर्ष

ग्राम चीरा की यह कहानी न केवल पेसा नियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि ग्राम सभाएं यदि सक्रिय हों तो दशकों पुराने जटिल विवाद भी सुलझाए जा सकते हैं, वह भी बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, सामूहिक निर्णय से। यह उस आत्मनिर्भरता और सामुदायिक चेतना का प्रमाण है जिसे पेसा अधिनियम सशक्त करता है |

यह कहानी बताती है कि परंपरागत अधिकारों के माध्यम से ग्राम सभा कैसे स्थायी समाधान और विकास का रास्ता खोल सकती है, यहां तक कि गहराई से जड़ें जमा चुके पुराने विवादों के खिलाफ भी।

विस्थापन की विभीषिका के विरुद्ध ढाल बना पेसा अधिनियम

परिचय

सदियों से जल-जंगल-जमीन के साथ सहअस्तित्व में रह रहे भीम तलाई गांव के आदिवासी भील समुदाय को 2014 में अचानक विस्थापन का सामना करना पड़ा। लेकिन पेसा अधिनियम और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की जानकारी की बदौलत ग्रामीणों ने इस स्थिति का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। आदिवासी बहुल क्षेत्रों के समुदायों के लिए अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध हो रहे पेसा अधिनियम का यह एक जीता जागता उदाहरण है।

पृष्ठभूमि

भीम तलाई राजस्थान के उदयपुर जिला केंद्र से लगभग 150 कि.मी. दूर, कोटड़ा तहसील का एक सुदूरवर्ती राजस्व गाँव है, जहां लगभग 300 भील परिवार निवास करते हैं। उन्होंने न कभी जंगल को नुकसान पहुँचाया, न ही वन्य जीवों को। बल्कि वे हमेशा एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। प्रकृति की संपदा ही उनके जीवन का साधन रही है। इसीलिए वहां की कहावत है।

आदिवासी है तो जंगल है, जंगल है तो आदिवासी है।"

आज भीमतलाई का आदिवासी समुदाय अपनी परम्पराओं, लघु वनोपजों और सांस्कृतिक विरासत के साथ सुरक्षित जीवन जी रहा है।

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2014 में इन परिवारों को वन विभाग द्वारा गाँव मे किए जा रहे सर्वे के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उन्हें गाँव से विस्थापित किया जा रहा है। यह सूचना उनके लिए चिंता और असमंजस का कारण बन गई। वन विभाग ने भीम तलाई सहित चार अन्य राजस्व गाँवों को 'फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य' में शामिल कर लिया था। यह अभयारण्य राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित है और 511 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। अभयारण्य घोषित होने के बावजूद भी आदिवासी समुदाय पूर्ववत् वहां निवास करता रहा, किंतु अचानक गाँव को संकटपूर्ण आवास क्षेत्र घोषित कर वन विभाग ने लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।

पहल और उसके प्रभाव

इस नई मुसीबत से परेशान ग्रामवासियों ने 'कोटड़ा आदिवासी संस्थान ' नामक स्वयंसेवी संस्था से संपर्क किया। संस्था ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996(PESA) के तहत पेसा ग्राम सभा के गठन का सुझाव दिया, जिसे मानते हुए ग्रामवासियों ने ग्राम सभा का गठन कर लिया। अब आवश्यकता थी जागरूकता और प्रशिक्षण की। लेकिन इसमें दो मुख्य चुनौतियाँ थी -

- क्षेत्र की शिक्षा स्तर और कानूनी जानकारी का अभाव।
- बाहरी व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति अविश्वास की भावना।

इन चुनौतियों के बावजूद संस्था ने स्थानीय बोली में प्रशिक्षण और जागरूकता बैठकें आयोजित कर भीम तलाई गाँव के आदिवासी भील समुदाय के लोगों को पेसा कानून की जानकारी प्रदान की। इससे लोगों में उनके प्रति विश्वास एवं स्वयं के लिए आत्म-विश्वास पैदा हुआ।

निर्णय की ताकत: ग्राम सभा की भूमिका

ग्राम सभा ने विशेष बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि गांव खाली नहीं किया जाएगा और वन विभाग का सर्वे स्थगित किया जाए। यह प्रस्ताव राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1999 की धारा 3(8) और 01.11.2011 की अधिसूचना के अनुसार कानूनी रूप से समर्थ था, जिसके अनुसार किसी भी भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत मेडी को भेजा गया, जिसने प्रस्ताव को अनुमोदित कर वन विभाग के सर्वे और विस्थापन की प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए कदम उठाए।

प्रस्ताव पास करती ग्राम सभा

पेसा एक्ट: आत्मनिर्भरता का मार्ग

भीम तलाई के भील आदिवासियों ने पेसा कानून का प्रयोग कर अपने जल, जंगल और जमीन पर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की। यदि यह कानून नहीं होता, तो समुदाय का पुनर्वास एक अनिश्चित भविष्य की ओर होता। आज भीम तलाई का आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं, लघु वन उपज और सांस्कृतिक विरासत के साथ सुरक्षित जीवन यापन कर रहा है।

निष्कर्ष

भीम तलाई की यह संघर्ष-गाथा प्रमाणित करती है कि पेसा अधिनियम जैसे प्रावधान, अधिकारों के प्रति जागरूकता और सामुदायिक एकजुटता अपने अधिकार प्राप्त कर सकती है और किसी भी प्रकार के अन्याय का प्रभावी ढंग से सामना कर सकती है। इसके लिए कहा जा सकता है।

> **"न लोकसभा,
> न विधानसभा;
> सबसे ऊपर
> ग्राम सभा"**

हमारा गांव – हमारा न्याय

परिचय

तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले के जनजातीय गांवों में अवैध भूमि हस्तांतरण को जनजातियों तथा जनजाति एवं गैर- जनजातियों के बीच संघर्ष का कारण माना जाता है।

पेंडरगुडा गांव की राय सभा (गोंड समुदाय की आदिवासी पारंपरिक ग्राम परिषद) और पेंडरगुडा की ग्राम सभा ने गोंड समुदाय के विवाद समाधान के प्रथागत तरीके के माध्यम से इस तरह के भूमि विवाद को सुलझाया और पेसा अधिनियम और पेसा नियम 2011 के तहत शक्ति का उचित उपयोग करके अवैध भूमि हस्तांतरण को रोका।

पहल और उसके प्रभाव

आदिलाबाद जिले के पेंडरगुडा की सुरपम लक्ष्मीबाई के मामले में, राय प्रणाली का उपयोग करके भूमि विवाद को सफलतापूर्वक सुलझाया गया। लक्ष्मीबाई ने कुछ वर्ष पहले अपनी 14 एकड़ ज़मीन अपने चचेरे भाई को पट्टे पर दी थी। उसे बाद में पता चला कि ज़मीन उसकी जानकारी के बिना उसके नाम पर हस्तांतरित कर दी गई थी, जिसके कारण उसे सरकारी कृषि योजनाओं में लाभार्थी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

पेंडूर गुड़ा ग्राम सभा की बैठक

लक्ष्मीबाई ने राय सभा पटला में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की, जिसने राय सभा और ग्राम सभा की बैठकों के लिए दो दिन का नोटिस जारी किया। बैठक में, लक्ष्मीबाई और उनके चचेरे भाई को अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। पटेल और पंचों ने मामले की जांच की और निष्कर्ष निकाला जिसके बाद लक्ष्मीबाई के चचेरे भाई ने माफी मांगी और स्वामित्व वापस उन्हें लौटाने का वादा किया।। उटनूर के तहसीलदार और उप-कलेक्टर को लक्ष्मीबाई के नाम पर स्वामित्व बदलने के लिए लाया जाना था, 15 दिनों के भीतर खेती के लिए भूमि उसे वापस कर दी जानी थी। उटनूर मंडल के राजस्व अधिकारी ने क्षेत्र स्तर पर पंचनामा आयोजित करके इस प्रक्रिया की जांच की।

भूमि हस्तांतरण की रोकथाम के लिए ग्राम सभा की स्थापना स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें निर्णय गांव स्तर पर लिए जाएंगे और जनजातीय समुदायों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

निष्कर्ष

पेसा अधिनियम और 2011 के पेसा नियम पारंपरिक आदिवासी परिषदों को उनके प्रथागत कानूनों के आधार पर नागरिक विवादों के समाधान का अधिकार और मंच प्रदान करते हैं। साथ ही, ग्राम सभा को भूमि हस्तांतरणों को रोकने का अधिकार भी देते हैं। ये प्रावधान स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए सुविधाजनक हैं, क्योंकि इससे बिना किसी वित्तीय बोझ के गांव स्तर पर ही न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश

पेसा ग्राम सभा से मिला जमीन पर हक़

परिचय

आदिवासी समुदाय के लिए अपनी जमीन पर मालिकाना हक़ उन्हें न केवल आर्थिक मजबूती देता है वरन अपने समुदाय में सम्मान और सामाजिक रूप से सशक्त भी बनाता है | कई बार इन आदिवासी समुदाय की जमीनों को येन-केन प्रकार से छीन लिया जाता है और कागजी और क़ानूनी कार्यवाही का डर दिखाकर कब्ज़ा जमा लिया जाता है लेकिन पेसा एक्ट के लागू होने के बाद अब स्थिति-परिस्थिति में बड़ा बदलाव आया है | पेसा (PESA) यानी "अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम, 1996" का उद्देश्य भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना है। यह अधिनियम पारंपरिक आदिवासी स्वशासन को मान्यता देता है और ज़मीन, जल, वन संसाधनों पर समुदाय के नियंत्रण को सुनिश्चित करता है। आदिवासी समुदाय द्वारा पेसा एक्ट के माध्यम से ग्राम सभा कर इस प्रकार के प्रकरणों में एक साथ मजबूती से लड़ा जा रहा है | ऐसा ही एक प्रकरण जब मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के सेगांव ब्लॉक की दोमवाडा पंचायत में हुआ तो ग्राम सभा के माध्यम से न केवल कब्जाई जमीन को आदिवासी महिला किसान को वापस दिलवाया गया वरन सबंधित के खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही भी की गयी | अब उस पंचायत और आस-पास के क्षेत्र में लोग इस सफलता की कहानी को हर किसी को बहुत ही जोश के साथ सुनाते है |

यह कहानी यह सिद्ध करती है कि ग्राम सभा केवल निर्णय लेने का मंच नहीं, बल्कि न्याय दिलाने और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करने का जीवंत माध्यम है।

पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश में वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पेसा नियमावली अधिसूचित की गई, जिससे ग्राम सभाओं की भूमिका और शक्तियाँ स्पष्ट रूप से तय हुईं। इन नियमों के तहत ग्राम सभाओं को भूमि विवादों के समाधान, ग्राम संसाधनों के संरक्षण, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा सामुदायिक स्वशासन को सशक्त करने का वैधानिक अधिकार मिला।

राधीबाई को जमीन वापस मिलने पर बधाई देते पेसा जिला समन्वयक अधिकारी मनीष डुडवे और पेसा ब्लॉक समन्वयक करण डावर

खरगोन ज़िले का भीकारखेड़ी गांव, जो एक अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इन बदलावों का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है। यह ग्राम नर्मदा घाटी में बसा है और प्रदेश के 'निमाड़' क्षेत्र में आता है।"निमाड़ क्षेत्र एक शुष्क और गर्म क्षेत्र है, जहाँ की मुख्य फसलें वर्षा पर आधारित होती हैं। हालांकि मिर्च, कपास और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलों में शामिल हैं। सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण अब कृषि क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। | इस गाँव की पेसा ग्राम सभा ने महिला आदिवासी किसान राधीबाई को न्याय दिलाकर यह दिखाया कि ग्राम सभा केवल बैठक भर नहीं, बल्कि हाशिए के लोगों की हकदारी की असली गारंटी है।

पहल और उसके प्रभाव

खरगोन

ग्रामसभा ने आदिवासी को जमीन दिलाने का प्रस्ताव पारित

ग्रामसभा में आदिवासी को वापस दिलाई जमीन

पेसा ग्राम सभा के इस निर्णय और न्यायिक प्रक्रिया को मीडिया ने प्रमुखता से कवर किया

खरगोन ज़िले के जनपद पंचायत सेगांव की ग्राम पंचायत दोमवाड़ा अंतर्गत भीकारखेड़ी पेसा ग्राम सभा में एक साहसी पहल देखने को मिली। भीलाला (अजजा) समुदाय से आने वाली आदिवासी महिला राधीबाई पति वेरांग की ज़मीन पर गैर-आदिवासी मुस्तफा पिता मुंशी, निवासी सेगांव, ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। यह ज़मीन, जिसकी पहचान खसरा नंबर 21/1/1 रकबा 0.289 हेक्टेयर के रूप में हुई, को मुस्तफा ने न केवल "अपनी ज़मीन" कहकर कब्जा किया बल्कि पांच वर्षों के लिए एक ईंट-भट्टा व्यवसायी को लीज़ पर दे भी दी। इस अन्याय के खिलाफ राधीबाई और उनके परिजनों ने पहले सेगांव चौकी और तहसील कार्यालय में मौखिक व लिखित शिकायतें कीं, लेकिन समाधान नहीं निकला। अंततः उन्होंने पेसा ग्राम सभा में अपील की। पेसा जिला व ब्लॉक समन्वयकों के मार्गदर्शन में ग्राम सभा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और दस्तावेजों, बुजुर्गों की गवाही तथा ग्राम समुदाय की सहभागिता के आधार पर मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई शुरू की गई।

परिणाम

ग्राम सभा की बैठकें दो बार गणपूर्ति के अभाव में स्थगित रहीं, लेकिन तीसरी बार 25% मतदाताओं की उपस्थिति में 8 जुलाई 2024 को विधिवत बैठक आयोजित हुई। पेसा नियम 2022 के नियम 20(1) के तहत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए, राधीबाई के पक्ष में निर्णय लिया गया और गैर-आदिवासी मुस्तफा से कब्जा छुड़ाकर ज़मीन वापस दिलवाई गई।

कब्जा हटने के बावजूद, कब्जाधारी व्यक्ति और उसके परिवार द्वारा राधीबाई एवं उनके परिवार को उसी भूमि पर मक्का की बुवाई करने से रोका गया, उन्हें डराया-धमकाया गया, यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पर ग्राम सभा ने ऊन थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसमें BNS 2023 की धारा 296, 351(2), तथा SC/ST एक्ट 3(2)(va) के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ।

इस प्रक्रिया के दौरान अन्य दो गैर-आदिवासी—हरीश पाठक व प्रवीण राठौर—ने भी राधीबाई की भूमि पर अरंडी की फसल बो दी। आदिवासी समुदाय ने पेसा-ग्राम सभा आयोजित कर उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला, तो उनके विरुद्ध भी उपखंड अधिकारी को शिकायत भेजी गई तथा अधिकारिक प्रक्रिया से उन्हें जमीन से हटाया गया

निष्कर्ष

राधीबाई की कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि जब ग्राम सभा सक्रिय होती है और समुदाय संगठित होकर पेसा अधिनियम के तहत कार्य करता है, तो न्याय संभव है और शक्तिशाली कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही भी कर सकता है| पेसा नियम 2022 के प्रभावी उपयोग से न केवल ज़मीन वापस दिलाई गई, बल्कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई।

यह कहानी यह सिद्ध करती है कि ग्राम सभा केवल निर्णय लेने का मंच नहीं, बल्कि न्याय दिलाने और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करने का जीवंत माध्यम है।

विषय 6

मादक पदार्थों की बिक्री और उपभोग का नियंत्रण

पेसा अधिनियम की धारा 4 (ड)(i): उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभाओं को मद्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति प्रदान की जाए

ताड़ीगिरी ने किस्मत बदल दी

परिचय

हुकुमपेटा मंडल (आंध्र प्रदेश) के ताड़ीगिरी में गांजा (भांग) और नटू सारा (घर में बनी शराब) की आसान उपलब्धता, उपयोग और बिक्री एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद भी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। हुकुमपेटा (अल्लूरी सीताराम राजू जिला) की ताड़ीगिरी ग्राम पंचायत ने वर्ष 2023 में पेसा (PESA) नियमों के तहत मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) से इस संबंध में ग्राम सभाओं को कुछ निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ ग्राम सभा - ताड़ीगिरी ग्राम पंचायत (छवि का स्रोत: पंचायत सचिव, ताड़ीगिरी ग्राम पंचायत)

पहल एवं उसके प्रभाव

सरपंच के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों सचिवालय कर्मचारियों और नवनिर्वाचित पेसा उपाध्यक्षों और सचिवों की एक टीम बनाई गई। प्रतिबंध के अलावा, गांजा मामलों में शामिल लोगों को "संपत्ति मूल्यांकन प्रमाण पत्र" जारी नहीं करने का निर्णय गया।

कला जातरा जैसे जागरूकता कार्यक्रम, स्कूल और सामुदायिक बैठकों के दौरान कार्यक्रम और गांवों में मनरेगा कार्य के दौरान कार्यक्रम किए गए। नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए गांव के बुजुर्गों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, जिनमें से आधी महिलाएं और युवा स्वयंसेवक थे, को शामिल करते हुए निगरानी समूह बनाए गए। समुदाय-आधारित निगरानी के कारण, क्रियान्वयन के लिए कोई बाहरी निर्भरता नहीं थी।

ताड़ीगिरी ग्राम सभा को अप्रैल 2025 में नशा मुक्त घोषित किया गया। यह महज एक नीतिगत निर्णय से कहीं अधिक, समुदाय-व्यापी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है

ग्राम सचिवालय कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और आबकारी विभाग के कर्मियों की सहायता से नशे की लत में फंसे व्यक्तियों के पुनर्वास और परामर्श की व्यवस्था की गई। परामर्श के बाद, नशे की बिक्री में लगे युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, नौकरी मेलों में भाग लेने में सहायता और बेहतर भविष्य के लिए वैकल्पिक आजीविका अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

स्वयंसेवकों/अधिकारियों को धमकियों के मामले में पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई और गांवों में कानूनी सहायता समितियां बनाई गईं। अपराधियों पर नज़र रखने के लिए एसएचजी और युवाओं की निगरानी में गुमनाम रिपोर्टिंग प्रणालियां शुरू की गईं। स्वयंसेवकों को पुरस्कृत किया गया और स्फूर्ति जैसे त्योहारों में नशा विरोधी संदेश शामिल किए गए।

मनरेगा कार्य के दौरान जागरूकता कार्यक्रम - ताड़ीगिरी ग्राम पंचायत
(छवि का स्रोत: पंचायत सचिव, ताड़ीगिरी ग्राम पंचायत)

निष्कर्ष

अप्रैल 2025 में ताडिगिरी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा को नशा-मुक्त घोषित किया गया। यह सिर्फ़ एक नीतिगत निर्णय से कहीं ज़्यादा हैं। यह समुदाय-व्यापी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थानीय शासन, विशेषकर ग्राम सभा और पेसा निकायों में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

काम्बिडीमामिडी गांव में जागरूकता कार्यक्रम
(छवि का स्रोत: पंचायत सचिव, ताड़ीगिरी ग्राम पंचायत)

नशीले पदार्थों पर खर्च कम होने से परिवारों को वित्तीय राहत मिली, सार्वजनिक सुरक्षा में भी सुधार हुआ और संबंधित अपराधों (जैसे चोरी और घरेलू हिंसा) में कमी आई। यह इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे स्थानीय नेतृत्व और सामूहिक कार्यवाही स्थायी परिवर्तन ला सकती है और सतत जीवन को बढ़ावा दे सकती है।

स्वयंसेवकों द्वारा अपराधियों पर नज़र रखना
(छवि का स्रोत: पंचायत सचिव, ताड़ीगिरी ग्राम पंचायत)

मध्य प्रदेश

सामाजिक बदलाव की और जनजाति समाज, मिशन D3 (दारू, दहेज और डीजे)

परिचय

समाज में बढ़ रही कुरीतियाँ — जैसे दहेज प्रथा, नशा (दारू व विदेशी मदिरा) और अनियंत्रित डीजे के दुष्प्रभावों पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम सभा वास्कलने ने संकल्प लिया था और इन बुराइयों से मुक्त होने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी। जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने 'सामाजिक मिशन D3' की बैठकों में उपस्थित होकर सार्वजनिक अपीलें कीं। इसी दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग भी मिलता रहा और यह मुहिम सफलता की ओर लगातार आगे बढ़ती गई।

- समाज में बढते खर्चे ओर कर्जे को कम करने के लिए।
- समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए।
- पलायन जैसी गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए।
- पुरानी संस्कृति भी को संरक्षित करने के लिए ।

मिशन D3 अभियान ग्रामवासियों को पेसा एक्ट के अंतर्गत उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर, ग्रामसभा को सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पृष्ठभूमि

अलीराजपुर जिले की ग्राम पंचायत्त अंतर्गत ग्रामसभा वास्कल में ग्रामसभा का आयोजन किया गया जिसमें मिशन D3 का आगाज हुआ इस पहल के सकारात्मक परिवर्त्तन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पेसा नियम 2022 के अध्याय एक- (झ) के अनुसार पेसा नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को दिए गए अधिकार के तहत ग्राम सभा गावं की परम्परा रितिरिवाज संस्कृति को सरक्षित करने के लिए ग्राम सभा प्रतिबद्ध है।

फोटो सौजन्य: राज्य सरकार

पेसा नियमों का अनुशरण करते हुए जिले की लगभग 79 पेसा ग्रामसभाओं ने प्रस्ताव बनाना प्रारंभ कर दिया है। इनका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना और एक सशक्त एवं सकारात्मक बदलाव लाना है। यह पहल समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन D3 — अर्थात दहेज, दारू और डीजे नियंत्रण की यह मुहिम — अब क्षेत्र में एक व्यापक सामाजिक क्रांति का रूप ले चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज में बढ़ते अनावश्यक फिजूल खर्चों को रोकना है, ताकि समुदाय को कर्ज में डूबने से बचाया जा सके ।

मिशन के संस्थापक संयोजक नितेश अलावा का कहना है की आदिवासी समाज खेती-बाड़ी करता है, दिन-रात मेहनत और मजदूरी भी करता है। क्षेत्र में ताड़ी, महुआ, आम, जामुन, सीताफल, सिंधी आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जिनका मौसम के अनुसार उपयोग कर लोग उन्हें बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद, उनके पास पर्याप्त धन नहीं बचता।

पहल और उसके प्रभाव

मिशन D3 यानी दहेज़ , दारू और DJ नियंत्रण मुहीम अब क्षेत्र में वृहद स्तर पर अब क्रांति बन चुकी है और इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज में बढ़ते अतिरिक्त फिजूल खर्चों को रोककर आदिवासी समाज को कर्जे से बचाना है। पैसे न रहने का मुख्य कारण देजा (दहेज झगड़ा), दारू और DJ ही है, जिस पर खर्चा करने के लिए साहूकार से आदिवासी कर्जा लेता है और कर्जा लेने के लिए वो चांदी गिरवी रखता है। जमीन गिरवी रखता है अथवा बेच देता है। और ये सब कर वो मज़बूरी में गुजरात या बाहर मजदूरी हेतु पलायन कर जाता है जहां उसका आर्थिक शारीरिक मानसिक शोषण होता है। वही बहन बेटियों के साथ शारीरिक शोषण की कई घटनाये आम है।

- इन सबसे बचाने का नाम ही मिशन D3 है जिसमे व्यक्ति खर्चा कम करेगा तो कर्ज भी नही करेगा और ये सब नही होगा तो पलायन भी कम होगा अथवा बंद होगा और जो पैसा बचेगा उसका उपयोग बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आवश्यक क्षेत्रों में किया जा सकेगा

- वही दारू और DJ. जब बंद हो जायेगा तो कम उम्र के लड़के लड़कियों पर नकारात्मक प्रभाव भी नही होगा और परिवार में अच्छा वातावरण बनेगा। बच्चे गलत संगत मे नही पड़ेंगे दारू सिगरेट जुवे जैसी लत में नही पड़ेगे झगड़े विवाद कम होंगे जिससे उनका सामाजिक विकास भी होगा।

परिणाम

पहले जितनी भी शादियां होती थी, उसमें कम से कम एक से दो विवाद हो ही जाते थे, जिसका एकमात्र कारण था, नशा (विदेशी मदिरा) के साथ-साथ अन्य प्रकार के नशा का प्रचलन होना आम बात हो गई थी D3 से बहुत सारे विवादों पर अंकुश लगा है ठाणे कोर्ट कचहरी जाने से लोग बच रहे हैं। कई वर्षो से जनजाति समाज इस प्रकार की कई कुरीतियों से जूझ रहा था जैसे अनियंत्रित डीजे, दारू-नशा (विदेशी मदिरा), दहेज प्रथा आदि पर अंकुश लगाना असंभव सा था लेकिन जब पेसा नियम 2022 जनजाति समाज का अधिकार जब नियम बनकर के ग्राम सभा को प्राप्त हुआ तो एक नई आस जगी और D3 के रूप में एक बड़ा अभियान जिले भर की ग्राम सभाओं ने हाथ में लेकर उसे साकार रूप प्रदान करने जा रहे हैं।

निष्कर्ष

अध्याय सात - (मादक पदार्थ नियंत्रण)अनुसूचित क्षेत्रो में मादक पदार्थो के नियंत्रण पर प्रतिबंध /विनियमन का पालन ग्राम सभा के द्वारा किया जा रहा है। पेसा नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को दिए गए अधिकार के तहत ग्राम सभा गावं की परम्परा रितिरिवाज संस्कृति को सरक्षित करने के लिए ग्राम सभा प्रतिबद्ध है । मिशन D3 अभियान ग्रामवासी पेसा एक्ट से अधिकारों से जागरूक कर ग्रामसभा को सशक्त बनाने व आर्थिक रूप से मजबुत करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

जनजातीय अधिकारों की रक्षा: सोनखेड़ी ग्रामसभा ने अवैध शराब दुकान को कराया बंद

परिचय

समाज में शराब और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, जो सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के साथ-साथ सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के झिरन्या ब्लॉक स्थित सोनखेड़ी ग्रामसभा क्षेत्र में सामने आया, जहाँ ग्रामसभा की अनिवार्य स्वीकृति के बिना एक शराब दुकान का संचालन किया जा रहा था।

स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों को कई बार मौखिक एवं लिखित शिकायतें की गईं, किंतु प्रारंभ में कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। बाद में, पेसा नियमों का हवाला देते हुए, ग्रामसभा ने औपचारिक रूप से यह मामला खरगोन कलेक्टर के संज्ञान में लाया। इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, पेसा के प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालित हो रही शराब दुकान को बंद कर दिया गया।

यह मामला विकेंद्रीकृत शासन का एक सशक्त उदाहरण है, जहां सशक्त ग्राम सभाएं, विशेष रूप से महिलाओं की मजबूत भागीदारी के साथ, आदिवासी समुदायों के हितों और कल्याण की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

सफलता की कहानी: ग्रामसभा के नेतृत्व में सामूहिक प्रयास

मध्यप्रदेश के झिरन्या जनपद पंचायत के अंतर्गत सोनखेड़ी ग्रामसभा में अवैध रूप से खोली गई शराब दुकान ने ग्रामीणों के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। यह दुकान ग्रामसभा की स्वीकृति के बिना, स्पष्ट रूप से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) का उल्लंघन करते हुए संचालित की जा रही थी।

दुकान का स्थान — चैनपुर और आभापुरी ग्राम सड़कों के संगम पर — एक सार्वजनिक असुविधा का केंद्र बन गया था। अनियमित पार्किंग, नशे में धुत लोगों की आवाजाही और बार-बार होने वाले झगड़े विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित माहौल बना रहे थे। स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा और स्वच्छता की स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की।

शराब पीने वाले अक्सर आसपास के कृषि क्षेत्रों में बैठकर शराब का सेवन करते थे और पीछे कांच की बोतलें, डिस्पोजेबल कप, प्लास्टिक कचरा आदि छोड़ जाते थे, जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था बल्कि फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा था।

स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब सोनखेड़ी ग्रामसभा के चार युवकों की शराब से संबंधित दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई। इन दर्दनाक घटनाओं ने पूरे समुदाय को झकझोर दिया और एक सशक्त प्रतिक्रिया को प्रेरित किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, गांव की महिलाओं ने नेतृत्व संभाला और ग्रामसभा से पेसा नियम, 2022 के अंतर्गत कठोर कदम उठाने का आग्रह किया।

पेसा नियम 2022 के नियम 23(1)(क) और 23(3)(क) के तहत, जो ग्रामसभा को अपने क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग को विनियमित अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करते हैं, ग्रामसभा ने एक औपचारिक बैठक आयोजित की और सर्वसम्मति से शराब बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव लिखित रूप में खरगोन जिला कलेक्टर को भेजा गया।

खरगोन 10-03-2023

शराब बन रही कलह का कारण

दैनिक भास्कर खरगोन 28-01-2024

अवैध शराब बिक्री पर लगाए लगाम

सिरवेल/बिस्टान | गणतंत्र दिवस पर कुम्हारखेड़ी पंचायत में पैसा एक्ट समिति व ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर ग्रामीणों ने अवैध शराब बेचने वालों पर लगाम कसने की मांग की। सरपंच व जनप्रतिनिधियों ने लिखित आवेदन व प्रस्ताव सिरवेल पुलिस चौकी प्रभारी को दिया है। सरपंच प्रतिनिधि इंदरसिंह वास्कले, जपं अध्यक्ष महेंद्र किराड़े, जिपं सदस्य बिल्लोरसिंह सोलंकी सहित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी प्रभारी दीवानसिंह नरगावे को बताया बाड़की, तलावली आदि गांव कुम्हारखेड़ी पंचायत में आते है। यहां अवैध शराब पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। चौकी प्रभारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

कलेक्टर ने इस प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए अवैध शराब दुकान के संचालन को गैरकानूनी मानते हुए तत्काल दुकान को बंद करने का आदेश जारी किया। यह घटना सोनखेड़ी ग्रामसभा की सामूहिक शक्ति और पेसा प्रावधानों की प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण है।

परिणाम: जिले में शराब दुकानों के खिलाफ कार्रवाई और जन प्रतिरोध

पेसा नियम, 2022 के अंतर्गत, कई ग्रामों के निवासियों ने अपनी ग्रामसभा क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री को रोकने हेतु स्थानीय पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज करवाईं। इसके अतिरिक्त, ग्रामसभाओं ने औपचारिक रूप से अपने-अपने क्षेत्रों में शराब दुकान खोलने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया।

विशेष रूप से, पेसा नियम 23(2)(क) के तहत कुल 11 शराब दुकान खोलने के प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया, जिनमें झिरन्या ब्लॉक में 6 और भगवानपुरा ब्लॉक में 5 प्रस्ताव शामिल थे।कुछ ग्रामसभाओं द्वारा पारित शराबबंदी प्रस्तावों से प्रेरित होकर, अन्य ग्रामों ने भी ग्रामसभा के माध्यम से नशामुक्ति जागरूकता अभियान प्रारंभ किए।

निष्कर्ष

यह मामला विकेन्द्रित शासन व्यवस्था का एक सशक्त उदाहरण है, जहाँ सशक्त ग्रामसभाएँ, विशेष रूप से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ, जनजातीय समुदायों के हितों और कल्याण की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।इसके अतिरिक्त, यह देश के अन्य पेसा क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल प्रस्तुत करता है, जहाँ स्थानीय मुद्दों को संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से, वैधानिक, सहभागी और सामुदायिक तरीकों से समाधान किया जा सकता है।

विषय 7

सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन

पेसा अधिनियम की धारा 4 (क) और धारा 4 (घ): पंचायतों से संबंधित राज्य कानून सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होंगे और प्रत्येक ग्राम सभा सामुदायिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करने में सक्षम होगी।

झारखंड

पेसा से जंगल का प्रबंधन करती ग्राम सभा

परिचय

वर्षा आधारित क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण, खाद्य असुरक्षा व्याप्त है। ये वे क्षेत्र हैं, जो भूमि क्षरण, खराब सामाजिक और संस्थागत अधोसंरचना और जल असुरक्षा से ग्रस्त हैं। प्रभावी जन सहभागिता के माध्यम से स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रबंधन एक ऐसा प्रभावी साधन है जो इन सभी समस्याओं का समाधान करता है। पेसा अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए, टुंडाहुली ग्राम पंचायत राज्य और देश के बाकी हिस्सों के वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए एक नया विकास का मॉडल तैयार कर रही है।

पृष्ठभूमि

ग्राम पंचायत टुंडाहुली झारखंड के रांची और रामगढ़ की सीमा पर पहाड़ की तलहटी में स्थित एक आदिवासी पंचायत है। वर्ष 2000 से पहले इस पंचायत में गरीबी का बोलबाला था। जंगल से लकड़ी काटकर बेचना ही आदिवासी लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन था। बाल विवाह, नशाखोरी, व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा, गैर-संस्थागत प्रसव आदि जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों के अलावा जल की कमी, रोजगार के लिए पलायन, वर्षा आधारित कृषि, एकल फसल, उपजाऊ भूमि की अनुपलब्धता, वन क्षेत्र में कमी अन्य समस्याएं थीं।।

कानून के प्रावधानों के तहत अधिकारों और संसाधनों का उचित विनियमन गांव समुदाय के परिदृश्य को बदल सकता है और अन्य समुदायों के लिए भी प्रेरणा और आदर्श प्रस्तुत कर सकता है

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

पहल एवं उसके प्रभाव

पेसा अधिनियम का उद्देश्य पेसा क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के असमान नियंत्रण और विनियमन से संबंधित कमियों को दूर करना है। अधिनियम के तहत प्रावधान समुदाय को लघु वन उत्पाद, लघु खनिजों, जल निकायों और अन्य संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित और विनियमित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इस ज्ञान से लैस, टुंडाहुली, ओरमांझी, रांची की ग्राम पंचायतों ने दिनांक 1 जून, 2015 को इस संबंध में ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया।

उठाए गए कदम

- ग्राम सभा ने जल, जंगल और जमीन का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पेसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कई कदम उठाए। ग्राम सभा में ग्राम वन रक्षक समिति का गठन किया गया और जंगल में लकड़ी काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे 'कुल्हाड़ी बंदी' का नाम दिया गया।
- लकड़ी काटने और, लघु वनोपज को छोड़कर जंगल को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने के खिलाफ सख्त व्यवस्था बनाई गई।
- ग्राम सभा द्वारा सामुदायिक की मदद से डोभा (तालाब-67), ट्रेंच (3000), अवरोध और लूज बोल्डर संरचना(700) के निर्माण के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण किया जाता है।
- ग्रामवासियों ने पहाड़ की तलहटी में contour खेती विकसित की है और 90% कृषि क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ड्रिप सिंचाई प्रणाली विकसित की है।
- सामुदायिक भागीदारी और विशेष रूप से प्रत्येक पहल और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी ग्राम पंचायत की सफलता की कुंजी है।

परिणाम

ग्राम पंचायत टुंडाहुली एक वैकल्पिक विकास की दिशा में अग्रसर करती है जहाँ "ग्राम उदय" (गाँवों का विकास) के बाद "झारखंड उदय" (झारखंड का विकास) होता है। पहाड़ की तलहटी में रहने वाली आबादी का बहुत अधिक प्रतिशत (75.95 प्रतिशत) होने के कारण, पिछले 5-10 वर्षों में ग्राम सभा की नीतियों ने स्थायी विकास के लिए जल, जंगल और जमीन संरक्षण की चुनौतियों और मुद्दों को विशेष रूप से लक्षित किया है।

रमेश बेदिया, ग्राम प्रधान *"इस सूखी भूमि में संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानने के बाद, हमने पूरे गांव के समग्र विकास के लिए एक उपकरण के रूप में जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने का फैसला किया। पहले चरण में लाभ से उत्साहित होकर, हमने 'रिज टू वैली दृष्टिकोण' को अपनाते हुए टीसीबी, लूज बोल्डर चेक डैम आदि जैसे अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने का फैसला किया। हमने इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए डोभा के मेड़ों पर पपीता, सुबाबूल, लाल चना और हाइब्रिड नेपियर भी लगाया।"*

निष्कर्ष

अनुकूल कानून के प्रावधानों के तहत अधिकारों और संसाधनों का उचित विनियमन गांव समुदाय के परिदृश्य को बदल सकता है और अन्य समुदायों के लिए भी प्रेरणा और आदर्श स्रोत बन सकता है। पेसा अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि टुंडाहुली समुदाय जिम्मेदारी से खुद के लिए और समान कठिन परिस्थितियों में रहने वाले अन्य लोगों के लिए एकअनुकरणीय उद्धारण में परिवर्तित हो सकता है।

महाराष्ट्र की 5% प्रत्यक्ष निधि योजना: ग्राम सभा को देती आर्थिक स्वतंत्रता

परिचय

महाराष्ट्र की 5% प्रत्यक्ष निधि योजना जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण की शक्ति का प्रमाण है, जो विकास के साधनों को स्थानीय समुदायों के हाथों में सीधे रखती है। वर्ष 1996 के पेसा अधिनियम में गहराई से निहित इस सिद्धांत ने महाराष्ट्र के अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं में नई जान फूंक दी है, जिससे उन्हें वित्तीय संसाधनों और स्थानीय विकास पर सीधा नियंत्रण मिल गया है।

5% प्रत्यक्ष निधि योजना क्या है?

पेसा अधिनियम, 1996 की (ड)(vii) के विधायी मूल पर आधारित यह योजना अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों और ग्राम सभाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों, विशेष रूप से जनजातीय उप-योजनाओं पर नियंत्रण अधिदेश देती है, जिससे समुदाय स्तर पर स्वशासन को प्रभावी ढंग से बढ़ावा मिलता है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भारत के संविधान की अनुसूची 5 के पैरा 5(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 54-ख में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की। इस संशोधन के माध्यम से खंड (ण) को शामिल किया गया, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को वार्षिक वित्तीय विवरण में उल्लिखित कुल जनजातीय घटक योजनाओं का कम से कम 5% आवंटित करना अधिदेशित किया गया। यह आवंटन प्रत्येक ग्राम पंचायत की अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में होना था।

इस योजना ने ग्राम सभा स्तर पर भागीदारीपूर्ण नियोजन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। समुदाय के सदस्य अपनी ज़रूरतों की पहचान करने, परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और कार्यान्वयन की देखरेख करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

यह भी निर्धारित किया गया कि पंचायत द्वारा इन निधियों का उपयोग ग्राम सभा की अनुशंसाओं के आधार पर तथा निर्धारित सीमाओं के भीतर किया जाएगा। 5% प्रत्यक्ष निधि योजना वर्तमान में महाराष्ट्र के 8,496 पेसा गांवों, 3,006 ग्राम पंचायतों, 59 ब्लॉकों और 13 जिलों को कवर करती है। जनजातीय विकास विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए ₹270.13 करोड़ आवंटित किए। इसे समुदायों को सशक्त बनाने, स्थानीय लोकतंत्र और वित्तीय संसाधनों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। महाराष्ट्र भारत का एकमात्र राज्य है जिसने इस तरह की योजना शुरू की है, जो प्रत्यक्ष सामुदायिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में अग्रणी है।

निधियों का उपयोग कैसे किया जाता है: मार्गदर्शक सिद्धांत

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि उसका प्रभाव अधिकतम हो, योजना उनके क्षेत्रवार उपयोग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है, इसमें गतिविधियों की चार श्रेणियां दी गई हैं और प्रत्येक श्रेणी को 25% धनराशि आवंटित की गई है।

दो गांवों की कहानियां

1

ज़ारी गांव के तांबड़पाड़ा में हम इस सशक्तीकरण को क्रियान्वित होते हुए देखते हैं, क्योंकि गांव के लोग सीमेंट नाला बांधरा (सी.एन.बी.) का निर्माण करके समृद्धि की जीवनरेखा बना रहे हैं। बुनियादी आधारभूत संरचना के लिए उनके द्वारा किया गया धन आवंटन केवल निर्माण के बारे में नहीं है; यह असीमित अवसरों वाले भविष्य की कल्पना करने के बारे में है। 5% प्रत्यक्ष निधि योजना ने किसानों को वर्ष में दो फसलें उगाने में सक्षम बनाया है, पशुओं के लिए पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है, और क्षेत्र के भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद की है। ग्राम सभा की बैठकों में होने वाली चर्चाएँ जीवंत आदान-प्रदान होती हैं जहाँ समुदाय के सदस्य संसाधनों को आवंटित करने के सर्वोत्तम तरीके पर जोशपूर्ण बहस करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी प्राकृतिक विरासत का संरक्षण सुनिश्चित होता है। इस सशक्तीकरण के ठोस परिणाम, जैसे कि ज़ारी गांव के तांबड़पाड़ा में सीमेंट नाला बंधारा, सतत विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं।

सीमेंट नाला बंधारा, तांबाडपाड़ा, झारी पंचायत, ब्लॉक: तलासरी, जिला: पालघर
फोटो साभार: श्री विकास पाटिल, जिला पेसा प्रबंधक, पालघर

2

उत्तरी महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण केंद्र बोराडी ग्राम पंचायत के साप्ताहिक बाजार पर विचार करें, जहाँ छोटे और बड़े व्यापारी, दुकानदार और विक्रेता एकत्रित होते हैं, और दूरदराज के गांवों से लोग और मजदूर आवश्यक घरेलू सामान खरीदने के लिए आते हैं। 5% प्रत्यक्ष निधि योजना के माध्यम से, इस बाजार में नौ प्लेटफार्मों के निर्माण से ग्राम पंचायत के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2021-22 में ₹75,600 हो गई है। इस निवेश से न केवल बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, बल्कि स्थानीय वाणिज्य को भी सशक्त बनाया है, जिससे यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को गति देने और जीवन में बदलाव लाने की योजना की क्षमता का जीवंत प्रमाण बन गया है।

बोराडी ग्राम पंचायत, ब्लॉक: शिरपुर, जिला: धुले के साप्ताहिक बाजार में मंच निर्माण।
फोटो साभार: श्री संदीप सूर्यवंशी, जिला पेसा प्रबंधक, धुले

प्रभाव

ज़ारी गांव के ताम्बड़पाड़ा और बोराडी ग्राम पंचायत के उदाहरण 5% प्रत्यक्ष निधि योजना के गहन प्रभाव को दर्शाते हैं:

सशक्त समुदाय: ग्राम सभाओं को अब स्व-शासन का प्रयोग करने और अपने विकास के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार है।

मजबूत सहभागितापूर्ण स्थानीय लोकतंत्र: इस योजना ने ग्राम सभा स्तर पर सहभागितापूर्ण नियोजन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। समुदाय के सदस्य अपनी ज़रूरतों की पहचान करने, परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और कार्यान्वयन की देखरेख करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

उत्तरदायी संसाधन का आवंटन: अब संसाधनों का आवंटन इस तरह से किया जाता है कि यह जनजातीय समुदायों द्वारा निर्दिष्ट की गई विशिष्ट ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी हो। यह सुनिश्चित करता है कि विकास के प्रयास लक्षित, प्रभावी और टिकाऊ हों, जिससे ज़मीन पर उनका प्रभाव अधिकतम हो।

चुनौतियाँ और सामाधान

जबकि 5% प्रत्यक्ष निधि योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। कार्यान्वयन नीतियों को मौजूदा कानूनी ढाँचों के साथ जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है जो जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और वित्तीय संसाधनों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण और विकास प्रक्रियाओं पर स्थानीय नियंत्रण को बढ़ाने के माध्यम से आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के लिए चुनौतियाँ खड़ी करती रहेगी। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए निरंतर सहयोग, नवाचार और पेसा के सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

5% प्रत्यक्ष निधि योजना सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह पहल पेसा अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों के लिए केंद्रीय है, जो समुदायों को उनकी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त शक्तियों का उपयोग करने और विकास पहलों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। संसाधनों को सीधे ग्राम सभाओं के हाथों में सौंपकर, महाराष्ट्र सामुदायिक स्वशासन के एक नए युग को बढ़ावा दे रहा है। तंबड़पाड़ा, ज़ारी गाँव और बोराडी जैसे चहल-पहल भरे बाज़ारों की परिवर्तनकारी कहानियाँ इस दृष्टिकोण के सम्मोहक साक्ष्य के रूप में काम करती हैं।

स्वशासन और सांस्कृतिक समरसता का एक समन्वय: पेंढ़ारशेत

परिचय

महाराष्ट्र के पालघर जिले के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, जव्हार तालुका के मध्य में, पेंढ़ारशेत नाम का एक गाँव है जो अपनी पुरानी परंपराओं और प्रगति की बढ़ती इच्छा के बीच संतुलन बनाए हुए है। कई वर्षों से, स्थानीय उत्थान और अपनी विशिष्ट विरासत को बचाने के लिए समुदाय की आकांक्षाएं अक्सर एक दूर का सपना बनी रहीं, जिन्हें बाहरी सहायता की प्रतीक्षा थी। फिर भी, एक नई सुबह तब आई जब ग्रामीणों ने पेसा अधिनियम की गहन समझ से सशक्त होकर अपने भाग्य का प्रबंधन करने का अवसर स्वयं स्वीकार किया। यह पेंढ़ारशेत ग्राम सभा का प्रेरणादायक कहानी है, यह कहानी है कि कैसे सोची-समझी योजना और पारदर्शी कामकाज ने विकास की ज़रूरतों और उनकी सांस्कृतिक आत्मा के जीवंत संरक्षण के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाया।

पृष्ठभूमि

पेंढ़ारशेत महाराष्ट्र के पालघर जिले के जौहर तालुका के अनुसूचित क्षेत्र का एक हिस्सा, अपताले ग्राम पंचायत के भीतर बसा हुआ है। यह जनजातीय गांव अपनी पुरानी परम्पराओं और अपने पूर्वजों के रीति-रिवाजों से गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि, स्थानीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने का मार्ग - बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने से लेकर उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को पोषित करने तक - अक्सर एक जटिल चुनौती पेश करता है। इससे साफ ज़ाहिर हुआ कि उन्हें अपने समुदाय के मामलों पर अधिक स्वायत्तता और सीधा नियंत्रण चाहिए।

सृजित पहल और उसका प्रभाव

वर्ष 2019-20 बदलाव वाली अवधि से पहले, पेंढ़ारशेत ग्राम सभा पहले से ही काम-काज का केंद्र थी। समर्पित नागरिक समाज संगठन वयम के निरंतर समर्थन से, समुदाय सक्रिय रूप से गांव के विकास में जुटा हुआ था, नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता था और विस्तृत रिकॉर्ड रखता था। फिर भी, पहेली का एक अहम हिस्सा गायब था: उनके अपने ग्राम सभा कोष में धन का प्रत्यक्ष आवंटन। ग्रामीणों ने अच्छी तरह से समझा कि उनकी विशिष्ट जरूरतों को वास्तव में पूरा करने के लिए - चाहे वह स्थानीय स्कूल में सुधार करना हो या उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की निरंतरता सुनिश्चित करना हो - प्रत्यक्ष वित्तीय स्वायत्तता न केवल फायदेमंद थी, बल्कि सर्वोपरि थी। धन तक यह सीधी पहुंच वह कुंजी थी जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते थे, अपने काम खुद तय कर सकते थे और अपनी ज़िंदगी और संस्कृति को और बेहतर बना सकते थे।

जौहर तहसील को दर्शाता हुआ पालघर जिले का मानचित्र

पेंढ़ारशेत की यात्रा 5% प्रत्यक्ष निधि योजना की गहन प्रभावशीलता का एक शक्तिशाली और प्रेरक प्रमाण है, जिसे सीधे ग्राम सभा कोष के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जैसा कि PESA अधिनियम और उसके बाद के राज्य दिशानिर्देशों में इरादा था।

कानूनी ढांचा: पेसा - वित्तीय स्वायत्तता की आधार

पेंढ़ारशेत की अपने विकास को प्रबंधित करने की उल्लेखनीय यात्रा पेसा अधिनियम, 1996 और महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिनियमित विशिष्ट नियमों की नींव पर आधारित है।। पेसा को पंचायत प्रणाली को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था, जो सावधानीपूर्वक संशोधित संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से मूल रूप से स्व-शासन को सक्षम बनाता है।

पेसा की धारा 4(ड.): यह विशिष्ट प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है कि गांव में पंचायत द्वारा किए जाने वाले सभी सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन में ग्राम सभा से परामर्श किया जाना चाहिए। पेंढ़ारशेत की पर्याप्त कहानी में, ग्राम सभा मात्र परामर्श से आगे निकल गई; यह अपने सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए समर्पित प्रत्यक्ष निधियों के उपयोग के लिए निर्विवाद प्राथमिक निर्णय लेने वाली संस्था बन गई। इस सशक्तीकरण ने समुदाय को वास्तव में प्रगति के लिए अपना रास्ता तय करने की अनुमति दी, जो इसकी विशिष्ट प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

महाराष्ट्र पेसा नियम, 2014, और माननीय राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचनाएँ (2014 और 2015): महाराष्ट्र द्वारा 2014 में बनाए गए विशिष्ट नियम, जिन्होंने ग्राम सभा कोष (ग्राम सभा निधि) की स्थापना के लिए आधार तैयार किया, अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा, जनजातीय विकास विभाग (टीडीडी) द्वारा जारी 2015 के दिशानिर्देश वास्तव में परिवर्तनकारी थे। इन निर्देशों ने सुनिश्चित किया कि आदिवासी घटक योजना के कम से कम 5% धन, जो पहले ग्राम पंचायतों को आवंटित किए गए थे, अब उस ग्राम पंचायत की अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में सीधे इन ग्राम सभा निधियों में भेजे जाएंगे। निधियों तक यह प्रत्यक्ष और स्वायत्त पहुंच पेंढ़ारशेत ग्राम सभा के सशक्तीकरण की आधारशिला थी, जिससे उन्हें पूर्ण आत्मनिर्णय के साथ अपनी विकास प्राथमिकताओं का प्रबंधन करने की अनुमति मिली, जो पेसा में निहित स्व-शासन की भावना को पूरी तरह से मूर्त रूप देता है। पारदर्शी निर्णय लेने में ग्राम सभा की केन्द्रीय भूमिका पर अटूट जोर इन राज्य नियमों और संबंधित निर्देशों द्वारा लगातार सुदृढ़ किया गया।

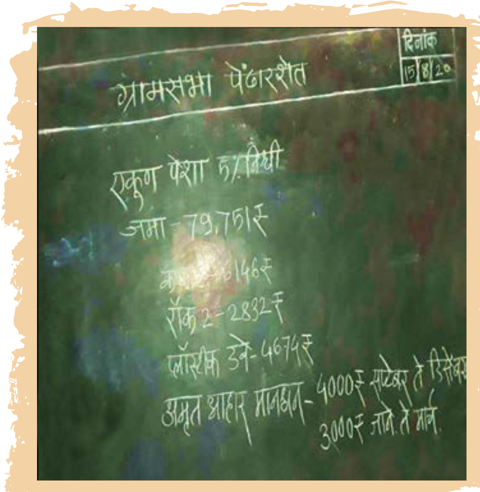

पेंढारशेत ग्राम सभा: हमारे फंड, हमारे निर्णय, पारदर्शी रूप से दिखाए गए।

भविष्य का निर्माण: पेंढ़ारशेत ने इसे कैसे संभव बनाया? पेंढ़ारशेत के प्रत्यक्ष कोष का सक्रिय और आदर्श प्रबंधन व्यवस्थित परिशुद्धता के साथ सामने आया, जिससे समुदाय के प्रति उनकी वास्तविक समर्पण भावना स्पष्ट रूप से झलकती है।"

- **1997 और 2003:** महाराष्ट्र ने अपने पंचायत अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों में सोच-समझकर संशोधन किया, तथा उन्हें पेसा के दृष्टिकोण के साथ सावधानीपूर्वक संरेखित किया, जिससे भविष्य में धन के प्रत्यक्ष आवंटन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- **2015:** जनजातीय विकास विभाग ने स्पष्ट और सुस्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें पुष्टि की गई कि आगामी वर्ष (2016) से धनराशि सीधे ग्राम सभा कोष को प्रदान की जाएगी, जो कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से धनराशि प्रदान करने की पिछली प्रणाली से एक महत्वपूर्ण बदलाव था।

- **2019-20 से पूर्व :** स्थानीय नागरिक समाज संगठन, व्याम के निरंतर और बहुमूल्य सहयोग से पेंढ़ारशेत ग्राम सभा ने गांव के विकास में लगातार प्रयास किए। उन्होंने नियमित रूप से, अच्छी उपस्थिति वाली बैठकें कीं और सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड बनाए

रखा, जबकि वे सभी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब प्रत्यक्ष निधि आवंटन अंततः उनकी पहलों को सशक्त करेगा।

- **2019-20:** लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आ गया। पेंढ़ारशेत ग्राम सभा को 5% प्रत्यक्ष निधि योजना के तहत 84,000 रुपये की पहली किस्त मिली, जो सीधे उनके समर्पित ग्राम सभा कोष में जमा की गई।

लोकतांत्रिक निधि का उपयोग: मजबूत और समावेशी सामुदायिक चर्चाओं के माध्यम से, ग्राम सभा ने सामूहिक रूप से और काफी सोच-समझकर निर्णय लिया कि इन उद्घाटन निधियों का उपयोग कैसे किया जाए। उनके द्वारा लिया गया निर्णय उनकी दूरदर्शिता के प्रमाण थे: प्राथमिक विद्यालय के लिए आवश्यक फर्नीचर के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित किया गया था, जो सीधे उनके बच्चों के लिए सीखने के माहौल को समृद्ध करता है। एक और महत्वपूर्ण आवंटन सड़क के किनारे की नालियों के लिए था, जो गाँव के बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। समुदाय के सदस्य इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में गहराई से शामिल थे, यहां तक कि उन्होंने विक्रेता के चयन में भी प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, जिससे पारदर्शिता और स्वामित्व सुनिश्चित हुआ।

तात्कालिक आवश्यकताओं से परे: संस्कृति के लिए एक दृष्टिकोण: वर्ष 2019-20 के बाद, स्कूल का फर्नीचर सफलतापूर्वक खरीदा गया, जिससे तत्काल लाभ हुआ। हालाँकि गटर परियोजना को शुरू में कुछ तकनीकी देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी किस्त की धनराशि मिलने के बाद इसे लगन से पूरा किया गया। महत्वपूर्ण रूप से, ग्राम सभा ने एक प्रिय पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र 'संबल' को प्राप्त करने के लिए शेष धनराशि आवंटित करके दूरदर्शिता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया। इस वाद्ययंत्र को सामुदायिक उपयोग के लिए नामित किया गया था, और ग्राम सभा ने इसके उपयोग शुल्क और सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली भी स्थापित की, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य सांस्कृतिक संपत्ति का स्थायी प्रबंधन और निरंतरता सुनिश्चित हुई।

परंपरा का संरक्षण: पेंढारशेत का संबल और सांस्कृतिक विरासत।

प्रगति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण

पेंढ़ारशेत की यात्रा वास्तव में रोमांचक है क्योंकि यह PESA के तहत ग्राम सभा कोष के माध्यम से सीधे संचालित प्रत्यक्ष निधि योजना के सशक्त सार को खूबसूरती से दर्शाती है। लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा की प्रतिबद्धता, विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की एक शानदार तस्वीर पेश करती है। स्कूल के फर्नीचर और नालियों जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे और संस्कृति के संरक्षण, जिसका उदाहरण संबल का अधिग्रहण है, दोनों के लिए रणनीतिक रूप से धन आवंटित करके, पेंढ़ारशेत ने एक सराहनीय संतुलन का प्रदर्शन किया। तात्कालिक विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अपनी विशिष्ट विरासत को सुरक्षित रखने का यह मिश्रण पेंढ़ारशेत को एक मार्गदर्शक बनाता है। कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करने से लेकर पारदर्शी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने तक, इस पूरी यात्रा का समर्थन करने में वयम की अपरिहार्य भूमिका गहन मान्यता और प्रशंसा की हकदार है।

मेहनत का फल: परिणाम और लाभ:

पेंढ़ारशेत द्वारा प्रत्यक्ष निधियों के विचारशील और रणनीतिक उपयोग से अनेक ठोस और प्रभावशाली परिणाम सामने आए, जिससे वहां के निवासियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया:

लोकतांत्रिक और पारदर्शी निधि का उपयोग:
समुदाय ने अपने आवंटित धन पर सीधा नियंत्रण प्राप्त किया, जिससे उनकी सामूहिक रूप से प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं के आधार पर उनका पारदर्शी और लोकतांत्रिक आवंटन सुनिश्चित हुआ।

बेहतर शिक्षण वातावरण:
नए फर्नीचर के प्रावधान ने प्राथमिक विद्यालय को बेहतर बनाया, जिससे गाँव के बच्चों के लिए अधिक अनुकूल और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिला।

बेहतर ग्राम अवसंरचना:
सड़क के किनारे नालियों के सफल निर्माण ने गाँव के आधारभूत संरचना को बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति को चिह्नित किया, जिससे बेहतर स्वच्छता और पहुँच में योगदान मिला।

सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन:
साझा उपयोग के लिए 'संबल' प्राप्त करना उनकी स्थानीय आदिवासी संस्कृति को जीवंत रखने और इसे जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण ।

निष्कर्ष

पेंढ़ारशेत की यात्रा 5% प्रत्यक्ष निधि योजना की गहन प्रभावशीलता के लिए एक शक्तिशाली और प्रेरक प्रमाण के रूप में साबित हुई है, जिसे सीधे ग्राम सभा कोष के माध्यम से संचालित किया गया, ठीक उसी तरह जैसा कि पेसा अधिनियम और उसके बाद के राज्य दिशानिर्देशों द्वारा इरादा था। सहभागी और पारदर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से निधि के उपयोग पर निर्णय लेने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार का आत्मविश्वासपूर्वक प्रयोग करते हुए, समुदाय ने न केवल महत्वपूर्ण विकासात्मक आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक संबोधित किया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी उत्साहपूर्वक और सफलतापूर्वक संरक्षित किया। यह मामला इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे पेसा, वास्तविक रूप से सशक्त ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष संसाधन आवंटन के माध्यम से, अनुसूचित क्षेत्रों में समग्र और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, जिससे प्रामाणिक स्वशासन और अपने स्वयं के संसाधनों पर ठोस सामुदायिक नियंत्रण के लिए एक प्रेरक मिसाल कायम हो सकती है।

ओडिशा

जनजातीय स्वशासन को मजबूत करती बुडागुड़ा ग्राम पंचायत

ओडिशा के दक्षिणी भाग में स्थित बुडागुडा ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से कोंध जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। वर्ष 2021 और 2024 के बीच, बुडागुडा ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) लागू करने के लिए एक सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। बुडागुडा के अनुभव से पता चलता है कि एफआरए और पेसा के कानूनी प्रावधानों से ग्रामीणों की आजीविका, सम्मान और आज़ादी में सुधार हुआ है, और अब वे बेदखली के डर के बिना अपनी ज़मीन पर खेती कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

ओडिशा के दक्षिणी भाग में स्थित जिले के कल्याणसिंहपुर ब्लॉक में स्थित बुडागुडा ग्राम पंचायत भारत के 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आती है। बुडागुडा रायगडा जिले के कल्याणसिंहपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली 17 ग्राम पंचायतों में से एक है। बुडगुडा ग्राम सभा ने पेसा अधिनियम और एफआरए के प्रावधानों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया ताकि स्थानीय संसाधनों का मानचित्रण किया जाए, उन पर दावा किया जाए और तत्पश्चात जनजातीय समुदायों द्वारा स्थायी आजीविका के लिए उनका प्रबंधन किया जाए।

वन समितियों की बैठकें

पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने और पारंपरिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का अधिकार देता है। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के माध्यम से वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों को सुदृढ़ करता है। एफआरए की धारा 3(1)(झ) समुदायों के अपने पारंपरिक सीमाओं पर अधिकारों को मान्यता देती है, जबकि धारा 3(1)(ड) उन्हें सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, पुनर्जनन और प्रबंधन का प्राधिकार देती है।

पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने तथा पारंपरिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का अधिकार देता है।

मूल रूप में ग्राम सभा

सबसे पहले, गांव ने व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) के तहत 25 परिवारों के लिए और समुदाय के लिए (सामुदायिक वन अधिकार) सीएफआर के तहत 200 एकड़ भूमि का स्वामित्व हासिल किया। सीएफआर अधिकार ग्राम सभा को समुदाय के नेतृत्व में संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग का प्रबंधन करने का अधिकार देते हैं। गांव ने बेहतर आधारभूत संरचना और आजीविका की स्थिति के लिए एफआरए को अन्य विकास योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ संरेखित किया।

वन समितियों की बैठकें

ग्राम सभा ने इस पहल का नेतृत्व किया, जिसमें नागरिक समाज संगठनों और जिला अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त था। यह प्रक्रिया वर्ष 2021 में सामुदायिक जागरूकता अभियान और ग्राम-स्तरीय बैठकों के साथ शुरू हुई। वर्ष 2022 के प्रारम्भ से 2023 के अंत तक सामुदायिक लामबंदी, प्रथागत सीमाओं का मानचित्रण और भूमि दावों को प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। दावों का सत्यापन और स्वामित्व जारी करने का कार्य 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत के बीच किया जाएगा। वर्ष 2024 के मध्य तक, ग्राम पंचायत वन संरक्षण योजना और लघु वनोपज (एमएफपी) संग्रह और उपयोग के प्रबंधन का काम जारी रखेगी।

प्रक्रिया

- इस प्रक्रिया की शुरुआत ग्रामीणों को पेसा के प्रावधानों और प्रथागत सीमाओं के मानचित्रण से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने से हुई।
- हर गांव में पल्ली सभाओं के माध्यम से जन-सहभागिता सुनिश्चित की गई। यह प्रक्रिया कई तरह के सहभागी और समावेशी तरीकों से पूरी की गई। समुदाय के सदस्यों को चर्चा और निर्णय लेने में शामिल करने के लिए नियमित रूप से गांव स्तर की बैठकें आयोजित की गईं।
- परंपरागत वन सीमाओं को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए जीपीएस तकनीक का उपयोग करके तकनीकी मानचित्रण किया गया। इसके आधार पर, ग्राम सभा ने दावा दायर करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव पारित किया, उसे मान्य किया और प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दावों को बाद में राजस्व और वन विभागों के अधिकारियों के सहयोग से सत्यापित किया गया। अंत में, स्वामित्व जारी करने के माध्यम से मानचित्रित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई।
- ग्राम सभा ने समुदाय के सदस्यों को उनके अधिकारों और प्रथागत सीमा मानचित्रण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए। लोक मीडिया और दृश्य सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। इसने प्रथागत दावों का दस्तावेजीकरण भी किया और पारंपरिक तंत्रों के माध्यम से भूमि और संसाधनों के उपयोग से संबंधित अंतर-समुदाय संघर्षों को हल किया।
- ग्राम-स्तरीय कार्य समूह बनाए गए ताकि गतिविधियों का समन्वय स्थापित किया जा सके और स्थानीय नेतृत्व को भी सुनिश्चित किया जा सके । पहल के सभी चरणों में महिलाओं और युवा नेताओं को शामिल करने और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, पेसा और एफआरए के प्रावधानों के साथ-साथ मानचित्रण उपकरणों और तकनीकों के उपयोग पर सामुदायिक क्षमता निर्माण के लिए लक्षित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।
- वन प्रशासन को औपचारिक रूप देने के लिए, ग्राम सभा ने प्रमुख प्रस्ताव पारित किए और वन अधिकार प्रबंधन समिति की स्थापना की, जो निरंतर आधार पर सामुदायिक वन अधिकारों के कार्यान्वयन और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

अन्य हितधारकों ने इस प्रक्रिया को मजबूत किया

- राजस्व और वन विभाग ने कार्यान्वयन प्रक्रिया में सहयोग दिया। दोनों विभागों के अधिकारियों ने दावों के सत्यापन में मदद की और ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संसाधित करने में सहायता की। उप-मंडल स्तरीय समिति ने औपचारिक रूप से ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों का समर्थन किया। कभी-कभी नौकरशाही की वजह से इस प्रक्रिया में देरी हुई और सीमित प्रशासनिक क्षमता के कारण कार्यान्वयन धीमा हो गया।

- निर्माण जैसे नागरिक समाज संगठन ने समुदाय के सदस्यों को उनके बारे में शिक्षित करने के लिए कानूनी साक्षरता अभियान चलाए, प्रथागत सीमाओं के सटीक मानचित्रण के लिए जीपीएस उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की। इसने स्थानीय नेतृत्व और शासन को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों और युवाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की। यह प्रक्रिया समुदाय द्वारा संचालित और कानूनी रूप से सुदृढ़ बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ीकरण, दावा प्रस्तुत करने और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई में सहायता प्रदान की गई।

चुनौतियों का सामना करना पड़ा

शुरू में, ग्रामीणों में पेसा और एफआरए के प्रावधानों के बारे में जागरूकता की कमी थी, जिसके लिए कानूनी साक्षरता और सामुदायिक शिक्षा में आधारभूत कार्य की आवश्यकता थी। प्रारंभिक चरणों में स्थानीय प्राधिकारियों से सीमित सहयोग मिला। तकनीकी बाधाओं - जीपीएस आधारित मानचित्रण और उचित दस्तावेजीकरण में कठिनाइयों ने पहल को और जटिल बना दिया।

इसके अतिरिक्त, ओवरलैपिंग भूमि उपयोग और सीमा दावों को लेकर गाँवों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुए। यहां तक कि स्वामित्व जारी होने के बाद भी, सामुदायिक वन क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उत्तर-स्वामित्व संसाधन प्रशासन तंत्र स्थापित करने की महती आवश्यकता बनी रही। इनका अंततः समाधान कर लिया गया।

परिणाम

इस पहल से कई अहम नतीजे निकले। 200 एकड़ से अधिक परंपरागत वन भूमि का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया गया और समुदाय द्वारा औपचारिक रूप से उस पर दावा किया गया। ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों ने महात्मा गांधी नरेगा परियोजना चयन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत शिकायत निवारण सहित विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं को प्रभावित और निर्देशित करना शुरू कर दिया है।

वन अधिकार प्रबंधन समिति संरक्षण प्रयासों की देखरेख और वन संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। समुदाय ने दोहन को रोकने और सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ाने के लिए लघु वन उपज (एमएफपी) संग्रहण के विनियमन की भी पहल की। उल्लेखनीय रूप से, इस प्रक्रिया ने स्थानीय शासन प्रणाली में महिलाओं की सहभागिता और नेतृत्व को बढ़ाने में योगदान दिया।

लघु वन उपज के अधिकार से पशुपालन को मिली गति

थामलावेरी गाँव के निवासियों की लिए पशुपालन आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन चारे की उपलब्धता एक बड़ी समस्या थी। पेसा अधिनियम के अंतर्गत लघुवन उपज पर ग्रामवासियों के अधिकार, ग्राम सभा की पहल और ग्रामीणों के एकजुट प्रयास की बदौलत ग्रामीण परिवारों के लिए पशुपालन आजीविका का एक मजबूत स्तम्भ बन गया और ग्राम सभा के लिए राजस्व का एक माध्यम।

पृष्ठभूमि

थामलावेरी गाँव उदयपुर की कोटड़ा तहसील की ग्राम पंचायत उखलियात का एक आदिवासी बहुल राजस्व ग्राम है। यहाँ के लोगों कीआजीविका का मुख्या साधन खेती और पशुपालन है। अधिकतर आदिवासी सीमान्त किसान हैं। उनके लिए निजी खेत में पशुओं के लिए चारा उगाना संभव नहीं था। इसलिए पशुओं को खुले में चराना पड़ता था। गाँव में वन विभाग की एक चौकी है और वन क्षेत्र में चराई करने पर जुर्माना लगा दिया जाता था। इससे ग्रामीण बहुत परेशान थे और उनके वन विभाग के साथ सम्बन्ध भी अच्छे नहीं रहते थे।

अधिकारों की जानकारी, ग्राम सभा की सक्रिय भूमिका और विभाग का सकारात्मक रवैया ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

पहल और उसके प्रभाव

अपनी समस्या को लेकर ग्रामवासियों ने क्षेत्र में कार्यरत एक स्वयंसेवी संस्था से संपर्क किया। उन्होंने ग्रामवासियों को पेसा अधिनियम 1996, राज्य पेसा कानून 1999 और नियम 2011 की जानकारी दी। इसके अंतर्गत लघुवन उपज के संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा का होता है। इस के बल परग्राम सभा ने इस मुद्दे पर काम करने की योजना बनाई और 9 नवंबर 2016 को ग्राम सभा बैठक में लघुवन उपज का हिस्सा वन की घास के लिए लिए प्रबंधन और संरक्षण समिति का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित नियम बनाए गए –

- पशुओं की चराई उस वन क्षेत्र में की जाएगी, जहाँ पर कोई प्लांटेशन या क्लोजर नहीं हो।
- वर्ष भर के लिए घास संग्रहण का काम भी परिवार में पशुओं की संख्या के अनुसार किया जायेगा।
- ग्राम सभा बारिश की बाद तय स्थान पर वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए घास कटाई का कार्य करेगी।
- घास कटाई के लिए गाँव के परिवार को 50 रुपए और अन्य गाँव के परिवारों को सर-बोझ की 100 और गाड़ी भरकर ले जाने पर 1100 रुपए शुल्क ग्राम सभा को देना होता है।

इस नियम के अनुसार ग्राम सभा द्वारा गाँव के सभी 64]परिवारों से शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रति वर्ष गाँव से 2250 रु एकत्रित होते हैं, जिसका उपयोग गाँव वाले ग्रामसभा में तय किए अनुसार गाँव के विकास व सार्वजिक काम में करते हैं। वन विभाग ने भी समिति को मान्यता दी। इस प्रकार से थामलावेरी गाँव की ग्रामसभा ने अपने पेसा कानून के माध्यम से अपने संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का काम हाथों में लिया। अब पुरे जंगल के प्रबन्धन का कार्य किया जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सामुदायिक वन अधिकार का दावा ग्राम सभा द्वारा पेश किया गया है। साथ ही अपने गाँव की सीमा में आने वाले जंगल के प्रबन्धन की आयोजना भी तैयार की जा रही है।

निष्कर्ष

अधिकारों की जानकारी, ग्राम सभा की सक्रिय भूमिका एवं विभाग द्वारा सकारात्मक रवैया ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह केवल एक मुद्दे के लिए ही नहीं, बल्कि अनेक सामूहिक मुद्दों की लिए ग्रामीणों को तैयार करता है।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

विषय 8

विवादों के निपटारे की पारंपरिक प्रणाली

पेसा अधिनियम की धारा 4 (घ): प्रत्येक ग्राम सभा, लोगों की परम्पराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी ।

जनजातियों की पारंपरिक न्याय व्यवस्था को बल देता पेसा

परिचय

पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा का जनजातीय समुदाय, जनजातीय इलाकों में रहने वाले अन्य समुदायों की तरह ही, अपने व्यक्तिगत और सामान्य मुद्दों को पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से हल करवा रहा था। हालाँकि वर्ष 2013 में उन्होंने पाया कि उनके गाँवों को शहरीकृत क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। यह उनके लिए स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उन्हें डर था कि यह उनकी पहचान और संस्कृति के लिए यह खतरा होगा। निर्णय के खिलाफ़ विरोध करते हुए, उन्हें पेसा अधिनियम की धारा 4(घ) के प्रावधानों की शक्ति का पता चला, जो विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। इसने न केवल उनके गांवों को शहरी सीमा से बाहर निकालने में मदद की, बल्कि कई और उपलब्धियों के लिए एक शुरुआत प्रदान की।

ये पारंपरिक प्रणालियाँ अक्सर दंडात्मक दृष्टिकोणों पर पुनर्स्थापनात्मक न्याय को प्राथमिकता देती हैं, सामुदायिक सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करती हैं और विवादों को सुलझाने में समुदाय के बुजुर्गों या पारंपरिक नेताओं को शामिल करती हैं।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

पृष्ठभूमि

छोटानागपुर पठार से लेकर झारखंड के संथाल परगना तक के जंगलों में, स्थानीय लोगों ने विशिष्ट सामाजिक संरचनाएँ, रीति-रिवाज़ और परंपराएँ बनाई हैं जो ज़मीन से उनके गहरे जुड़ाव और आदिवासी या मूल निवासियों के रूप में उनकी सामूहिक पहचान को दर्शाती हैं। प्रत्येक आदिवासी गाँव की अपनी परिषद होती थी। ये परिषदें प्राथमिक निर्णय लेने वाली निकायों के रूप में कार्य करती थीं। तथापि, स्वशासन की पारंपरिक प्रणालियों और थोपे गए बाहरी प्रशासनिक ढाँचों के बीच तनाव बना हुआ है।

पहल और उसका प्रभाव

ग्राम पंचायत चाईबासा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के शहरी स्थानीय निकाय के निकट है। 2013 में जिला प्रशासन ने नगर पालिका के विस्तार के अंतर्गत पास के 13 गांवों को अपने भीतर करने का प्रयास किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रमुख ग्राम प्रधान सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में जमानत की सुनवाई के दौरान उन्हें ग्राम सभा की न्यायिक शक्ति का पता चला। उन्होंने बैठक की और प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन को पेसा अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन ने इस पर विचार किया और अपने ग्रामीणों को नगर पालिका के प्रस्तावित विस्तार से बाहर रखने को स्वीकार कर लिया।

अतिरिक्त लाभ

ग्रामीणों और अधिकारियों की बैठक

अधिसूचना के आधार पर, ब्लॉक कार्यालय में जनजातियों के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई, जिससे उन्हें अपर्याप्त पारंपरिक व्यवस्था और सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा से मुक्ति मिली। अब कई मुद्दे ग्राम सभाओं की न्याय समिति की सस्ती और त्वरित न्याय प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। प्रशिक्षण और संवाद मंच के माध्यम से गांधीजी द्वारा जनजातीय लोगों के लिए परिकल्पित स्वशासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पुलिस विभाग के लिए भी कुछ नियम और कानून बनाए हैं। अपने किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी और 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। यदि बिना अनुमति के गिरफ्तारी की जाती है तो पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह 15 दिन के भीतर मामले की विस्तृत जानकारी ग्राम सभा को उपलब्ध कराए।

निष्कर्ष

भास्कर Original • चाईबासा के न्यायपंच कार्यालय में भेजे जा रहे दशकों पुराने आदिवासियों के मामले, यहां सिविल संहिता लागू नहीं

देश की पहली आदिवासी कोर्ट का पहला फैसला तैयार, सिविल कोर्ट 20 साल में नहीं दे सका फैसला, मानकी-मुंडाओं ने महज 3 सुनवाई में सुलझा दिया केस

अब सिविल कोर्ट जल्दी ही सुनाएगा इस केस का फैसला

जानिए... कैसे काम करती है न्यायपंच व्यवस्था

पेसा अधिनियम, 1996 ग्राम सभा को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के विरुद्ध अपने अधिकारों और परिवेश के अनुसार न्याय व्यवस्थाबनाए रखने में सक्षम बनाता है। यह ग्रामीणों को किसी भी अवैध कार्य से सुरक्षा प्रदान करता है। आदिवासी लोगों की कानूनी प्रथाओं की भी स्थापना करता है और बातचीत के माध्यम से कम समय में विवाद समाधान की प्रथा भी अपनाता है। यह पारंपरिक प्रणालियाँ अक्सर दंडात्मक दृष्टिकोणों को छोड़ कर पुनर्स्थापनात्मक न्याय को प्राथमिकता देती तथा सामुदायिक सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करती हैं और विवादों को सुलझाने में समुदाय के बुजुर्गों या पारंपरिक नेतृत्व को शामिल करती हैं। यह सब पेसा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा संरक्षित है।

घर बैठे शून्य लागत पर न्याय

परिचय

तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के जामदा गांव में गोंडों के लिए पंचमूर्ति (पटेल) की पारंपरिक विवाद प्रणाली में ग्राम परिषद, राय केंद्र (राय सभा) और जिला राय केंद्र (जिला राय सभा) शामिल हैं। ये पारंपरिक प्रणालियाँ पारिवारिक, संपत्ति, भूमि सीमाओं, सामुदायिक वन (आपराधिक मामलों को छोड़कर) विवादों का निपटारा करती हैं। लेकिन इस पुराने जमाने की पारंपरिक प्रथा को कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

पहल और उसके प्रभाव

पेसा अधिनियम और 2011 के पेसा नियम सभी पुरानी पारंपरिक ग्राम परिषद प्रणालियों को कानूनी मान्यता देते हैं और उन्हें पेसा के कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान करते हैं।प्रथागत विवाद समाधान पद्धति के तहत ग्राम सभा के हस्तक्षेप के माध्यम से आपराधिक मामलों को छोड़कर सभी विवादों का निपटारा अब विवादित पक्षकारों के लिए "शून्य लागत" पर किया जाता है।

ग्राम सभा को आवेदन

जुगनाका रम्बा के मामले में, पेसा ग्राम सभा ने पारंपरिक विवाद समाधान विधियों का उपयोग करते हुए शीघ्रतापूर्वक और बिना किसी लागत के पारिवारिक विवाद को सुलझाने में मदद की।

इस प्रक्रिया में ग्राम सभा की अहम भूमिका रही। इसने सभी सदस्यों को लिंग भेद के बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

जुगनाका रंबा और उनके पति जुगनाका यशवंत राव के बीच अक्सर झगड़े होते थे। जुगनाका भीमू-रामबाई के ससुर ने इस मुद्दे को हल करने के लिए पेसा ग्राम सभा के उपाध्यक्ष से शिकायत की।सभा द्वारा मामला स्वीकार कर लिया गया तथा समाधान के लिए दो दिन का समय दिया गया। सभी ग्राम पटेलों तथा ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों को नोटिस जारी करके ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई।.

ग्राम सभा की बैठक के दौरान पति-पत्नी दोनों को अपना मामला पेश करने की अनुमति दी गई ताकि मामले को सुलझाने के लिए एक आम और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके। अंततः यह मुद्दा आवेदकों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया।

इस प्रक्रिया में पूरा परिवार शामिल था और हर कोई समाधान से संतुष्ट था। विवाद को सुलझाने में कम समय लगा और इसमें कोई लागत भी नहीं आई। इस प्रक्रिया में ग्राम सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सभी सदस्यों को, लिंग भेद किए बिना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

नोटिस जारी करने के लिए PESA समिति द्वारा चर्चा

निष्कर्ष

इस मामले को जनजातीय समुदायों में गैर-आपराधिक मामलों के त्वरित और लागत प्रभावी निपटान के लिए पेसा के तहत मान्यता प्राप्त पारंपरिक विवाद समाधान प्रणालियों के उपयोग के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश

गैर आदिवासी को हस्तांतरित जमीन ग्राम सभा ने वापस दिलवाई

पृष्ठभूमि

अलीराजपुर से जिला केन्द्र से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति गांव गिराला में गुलसिह नाम का किसान खेती मज़दूरी कर अपना परिवार चला रहा था।। जिसकें दो पुत्र थे गुमानसिह और नरेश। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु होने से परिवार का भार दोनो भाईयों पर आ गया। जब उन्हें पता चला कि हमारी पैतृक ज़मीन, जो स्टेट हाईवे से सटी हुई थी, उसे सामान्य वर्ग के एक व्यापारी ने हमारे पिता से छल-कपट करके अपने नाम हस्तांतरित करवा लिया है, तो वे हैरान रह गए। अशिक्षा और अधिकारों की जानकारी के अभाव में वे वर्षों से न्याय की उम्मीद में थाना और कोर्ट के चक्कर काटते रहे। दर-दर की ठोकरें खाने के बाद जब कोई समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली और खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि शायद उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा।

पहल और उसके प्रभाव

स्वयं की भूमि पर खड़ा आदिवासी परिवार, अपनी भूमि को बताते हुए

एक दिन जब उन्हे अपने ही फलियें में आयोजित बैंठक में पेसा मोबेलाईजर कुमारी नूरी भिंडे से स्थानिय बोली में पता चला कि मध्य प्रदेश में 15 नबम्बर 2022 को नया नियम लागु हुआ है, जिसमें प्रावधान है कि अनुसुचित जनजाति की भूमी गैर अनुसुचित जनजाती के व्यक्ति को छल-कपट से हस्तांतरित की गई है, तो उसे पेसा ग्रामसभा में प्रस्ताव लाकर भुमि वापस कि जा सकती है। उसी समय भुमि वापसी का आवेदन तैयार किया और आने वाली 15 अगस्त 2023 की अनिवार्य ग्रामसभा में दिया जिसे ग्राम सभा अध्यक्ष को सौंपा गया। ग्राम सभा में उपस्थित पेसा एक्ट ब्लॉक समन्वयक श्री कैलाश जमरा ने ग्रामवासियों को पेसा एक्ट २०२२ के तहत प्राप्त अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।ब्लॉक समन्वयक ने आवेदन के आधार पर पंचायत सचिव को यह प्रस्ताव लिखने को कहा और एक बहुत ही महत्वपुर्ण प्रस्ताव ग्रामसभा द्वारा पारित किया गया जिसमें उल्लेख था कि एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि छल-कपट के माध्यम से एक गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई थी। ग्रामसभा में यह प्रस्ताव पारित होने के बाद, तहसील अलीराजपुर के तहसीलदार द्वारा तहसील न्यायालय के माध्यम से आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से वापस लेकर मूल स्वामी, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को सौंप दी गई।"

इस ग्राम सभा के निर्णय से प्रेरित होकर आसपास की ग्राम सभाएं भी अपने क्षेत्रों में ऐसी भूमियों की जांच कर रही हैं, जो जनजाति वर्ग से छल, कपट या धोखे के माध्यम से गैर-जनजातियों के नाम पर हस्तांतरित की गई हों।"

उक्त आवेदन को संज्ञान में लेकर ग्राम सभा द्वारा SDM व कलेक्टर महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया ! इस प्रकरण में पाया गया कि उक्त पैतृक भूमि अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति को ट्रांसफर कर पुनः अनुसूचित जाति से सामान्य वर्ग के व्यक्ति को विक्रय दो चरणों में विक्रय कर दी गई। इस प्रकार, यह स्पष्ट हुआ कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को गलत तरीके से योजनाबद्ध ढंग से खरीदी बिक्री किया गया।

इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के माध्यम से कलेक्टर, जिला अलीराजपुर से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की गई। प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच के पश्चात कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. अभय अरविंद बेडेकर द्वारा दिनांक 2 सितंबर 2023 को यह निर्देशित करते हुए प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रासंगिक उपबंधों के अंतर्गत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि संबंधी प्रदत्त अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

इस प्रकरण में तहसीलदार अलीराजपुर तहसील न्यायालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि ग्राम गिराला स्थित सर्वे नं. 135/1 रकबा 0.53 हेक्टेयर एवं 135/2 रकबा 0.54 हेक्टेयर कुल का0 हेक्टेयर भूमि का अवैधानिक तरीके से नामांतरण किया गया तथा योजनाबद्ध तरीके से उक्त प्रष्याधिन भूमि अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति को हस्तांतरित की गई जो शासन के नियम को अनदेखा कर न्याय सिद्धान्तों का उलंघन है। तहसीलदार अलीराजपुर ने उक्त प्रकरण में प्रकरण संबंधित भूमि के मूल भूमि स्वामी सह खातेदार वालसिंह, रायसिंह, गुलसिंह पिता मोहनसिंह जाति भील (अनुसूचित, जनजाति) निवासी गिराला का नाम पूर्ववत कर आदेश जारी किया। ग्राम गिराला के हल्का पटवारी को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में सुधार कर रिपोर्ट 3 दिवस में तहसीलदार अलीराजपुर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए।

तत्पश्चात आवेदकगण को उक्त भूमि का कब्जा राजस्व एवं पंचायत विभाग द्वारा दिलवाया गया एवं आवेदको द्वारा वर्तमान मे उक्त भूमि पर जुताई कर ली गई हैं और बारिश होते ही उस पर फसल लगाने की कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी। साथ ही उक्त भूमि पर अपना हक बताते हुए आवेदकगण द्वारा एक सार्वजनीक सूचना बोर्ड लगाकर प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी उस पर प्रदर्शित की गई है।

निष्कर्ष

इस ग्रामसभा के निर्णय से आसपास की अन्य ग्रामसभाएं भी अपने क्षेत्र में ऐसी भूमि की पहचान करने हेतु सक्रिय हो गई हैं, जहाँ जनजातीय वर्ग की भूमि को छल, कपट या धोखे से गैर-जनजातीय व्यक्तियों के नाम पर हस्तांतरित किया गया हो। इस पहल से ग्रामसभा के प्रति आम जनता का विश्वास और अधिक बढ़ा है।

जमीन वापसी के लिए ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ

अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति को हस्तांतरित...

भूमि वापस मूल भूमि स्वामी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम किये जाने का आदेश पारित

तहसीलदार अलीराजपुर ने ग्राम गिराला के एक प्रकरण में आदेश पारित किया

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

परंपरा के माध्यम से सामुदायिक न्याय

परिचय

जनजातीय समुदाय, जो स्वशासन और पारंपरिक विवाद निपटान की मजबूत परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, उन्हें पेसा अधिनियम, 1996 की धारा 4 (घ) के तहत मान्यता और सशक्तिकरण प्राप्त होता है। यह धारा ग्राम सभाओं को पारंपरिक तरीकों से विवादों के समाधान की अनुमति देती है।

पृष्ठभूमि

ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले, जो कि पाँचवी अनुसूची क्षेत्र है, जिसमे संथाल, हो, मुंडा, कोल्हा, बाथुड़ी, भुइयां और भूमिज जैसे जनजातीय समुदाय 2015 से इन पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित और प्रलेखित कर रहे हैं। समुदाय के नेताओं, स्वयंसेवी संगठनों और अधिकारियों के सहयोग से ये प्रणालियाँ मध्यस्थता और समझौते के माध्यम से समुदाय-आधारित न्याय प्रदान करती हैं।

विवादों की प्रकृति और प्रकार

जनजातीय समुदायों में विवाद उनके सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन, परंपराओं, आजीविका, धार्मिक मान्यताओं, भूमि अधिकार और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर आधारित होते हैं, जो साधारण झगड़ों से लेकर आपराधिक मामलों तक हो सकते हैं।

विवाद का प्रकार	विवाद की प्रकृति
सामाजिक-सांस्कृतिक विवाद	उत्तराधिकार, नेतृत्व में उत्तराधिकार, मेलों-त्योहारों में भूमिका, विवाह एवं अन्य रस्में
साझा संसाधनों पर विवाद	जल, वन, चारागाह आदि पर अधिकार या उपयोग को लेकर टकराव
भूमि विवाद	स्वामित्व, सीमांकन, उपयोग अधिकारों को लेकर टकराव; बाहरी अतिक्रमण; भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, पर्यावरणीय क्षरण और आजीविका हानि
संपत्ति क्षति से जुड़े विवाद	पशु चराई से फसलों को नुकसान, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, प्रवासी और स्थायी समुदायों के बीच भूमि उपयोग को लेकर विवाद
प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न विवाद	बाढ़, सूखा, जंगल की आग से घर, फसल और बुनियादी ढांचे को नुकसान; पुनर्वास, राहत और मुआवज़े को लेकर विवाद
जानवरों से संपत्ति को नुकसान	हाथियों या अन्य जंगली जानवरों से नुकसान, चोरी, तोड़फोड़ जैसे सामान्य विवाद

हस्तक्षेप का संक्षिप्त विवरण

मयूरभंज में जनजातीय समुदाय अब भी एक सामुदायिक नेतृत्व वाली न्याय प्रणाली के माध्यम से रोज़मर्रा के विवादों का समाधान करते हैं। यह प्रणाली औपचारिक न्याय व्यवस्था के समानांतर चलती है और जनसमर्थन के बल पर अपनी वैधता बनाए रखती है। इसमें हर ग्रामीण की भागीदारी सुनिश्चित होती है जिससे सामाजिक एकजुटता भी मजबूत होती है।

(फोटो स्रोत: राज्य सरकार)

इस पारंपरिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व ग्राम के बुजुर्ग और धार्मिक/संस्कृतिक प्रमुख करते हैं जिन्हें माझिया (ग्राम प्रधान) और नैकी (धार्मिक/सांस्कृतिक मार्गदर्शक) कहा जाता है। अन्य सहायक भूमिकाएँ भी हैं जो इस प्रकार हैं.

जोगा
धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री की व्यवस्था करता है

गदेत
ग्रामीणों को सभा में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है

पराणिक
विवाद निपटान के दौरान सांस्कृतिक नियमों के पालन की निगरानी करता है

छटिया
सभा की जानकारी गांव में फैलाने का कार्य करता है

विवाद समाधान की प्रक्रिया

1. विवाद के समाधान हेतु ग्राम सभा द्वारा गठित समिति परंपरा के अनुसार कार्रवाई करती है, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखती है।
2. सभी सुनवाई सार्वजनिक रूप से होती है और दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाता है।
3. समिति दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामला ग्राम सभा को विचार हेतु प्रस्तुत करती है।
4. ग्राम सभा के सभी सदस्य समिति की अनुशंसा पर अपने विचार व्यक्त करते हैं।
5. आवश्यक संशोधन के बाद समिति अपना निष्कर्ष और प्रस्ताव दोबारा ग्राम सभा में प्रस्तुत करती है, जिसे सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है।
6. अंतिम उद्देश्य केवल विवाद का समाधान नहीं, बल्कि गांव में सौहार्द्र और सामंजस्य का वातावरण बनाना होता है।

परिणाम

- त्वरित और कम लागत वाला न्याय, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया और दूरस्थ अदालतों की आवश्यकता कम होती है।
- जनजातीय पहचान और शासन प्रणाली का संरक्षण व सशक्तिकरण।
- समुदाय की आंतरिक विवाद निपटान क्षमता का विकास, जिससे बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता घटती है।
- निर्णय न्यायिक विजय नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्मिलन पर आधारित होते हैं।
- निर्णय सार्वजनिक बैठकों में होते हैं, जिससे पारदर्शिता और सहभागिता बनी रहती है।

निष्कर्ष

पारंपरिक प्रथाओं और संवैधानिक कानूनों का समन्वय आवश्यक है ताकि विधिक बहुलवाद (Legal Pluralism), न्याय तक पहुंच, सांस्कृतिक विविधता और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

योगदानकर्ता

पेसा श्रेष्ठ प्रथाओं का संकलन – "पेसा की पहल: सशक्तता और स्वशासन की कहानियाँ" विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के सहयोग का परिणाम है, जिन्होंने अपने समय, अनुभव और विशेषज्ञता से पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में लागू नवाचारों को प्रलेखित, सत्यापित और साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन सभी योगदानकर्ताओं का आभार , जिनके अमूल्य सहयोग से यह संकलन संभव हो सका:

पंचायती राज मंत्रालय – MoPR

- श्रीमती मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव
- श्री रमित मौर्य, निदेशक
- श्री अजय कुमार, अवर सचिव
- श्री प्रखर जैन, सलाहकार, पेसा
- श्री राजीव कुमार सिंह राजावत, सलाहकार, पेसा

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (YASHADA)

- डॉ. मल्लीनाथ एस. कलशेट्टी, उपमहानिदेशक एवं निदेशक, SIRD
- स्नेहा देव, सहायक प्रोफेसर, SIRD, यशदा

तकनीकी सहयोग संगठन – ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRIF)

- श्री अमजद खान – वरिष्ठ प्रबंधक
- श्री जितेन्द्र पंडित – एसोसिएट डायरेक्टर, गवर्नेंस
- श्री पंकज पांडे – राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी

तकनीकी विशेषज्ञ

- श्री ऋषि मीणा
- श्री सुरेश शर्मा
- श्रीमती स्वाति सेठी

राज्यवार योगदानकर्ता

आंध्र प्रदेश

1. श्रीमती बी. कविता, प्रशासनिक अधिकारी, आयुक्त (PR&RD) कार्यालय
2. श्रीमती जी. सत्यवाणी, राज्य संसाधन व्यक्ति, आयुक्त (PR&RD) कार्यालय
3. श्री बी. सुब्रमण्यम, सेक्शन असिस्टेंट, पेसा, आयुक्त कार्यालय
4. श्री अशोक कुमार, पंचायत सचिव, चिंथलवीधी ग्राम पंचायत, पडेरु मंडल, ASR जिला
5. श्री कुंचे डेविड, उप MPDO, जी. मदुगुला मंडल, ASR जिला

छत्तीसगढ़

1. श्री दिनेश अग्रवाल, संयुक्त संचालक, पंचायत
2. श्रीमती शिवानी तोमर, उप संचालक, पंचायत, बिलासपुर
3. श्री राज गुप्ता, परामर्शदाता, TRIF, रायपुर

गुजरात

1. श्री डी.टी. लाडूमोर, उप जिला विकास अधिकारी, तापी

हिमाचल प्रदेश

1. श्री रविंद्र कुमार, कोर फैकल्टी, SIRD
2. श्री सोनम टार्गे, SLMT, पेसा
3. श्री परमेश्वर सिंह, सलाहकार, GPDP और पेसा

झारखंड

1. श्री आदित्य रंजन, सहभागी योजना विशेषज्ञ, SPRC
2. श्री सतीश कुमार जयसवाल, DPM प्रभारी, गुमला
3. श्री सेबास्टियन सोरेन, मास्टर ट्रेनर, पाकुड़
4. श्री मनोज कुमार सोय, पारंपरिक नेता, सरायकेला खरसावां

मध्य प्रदेश

1. डॉ. सुधीर जैन, उप आयुक्त, निदेशालय, पंचायती राज
2. श्री सुखदेव उइके, जिला समन्वयक, पेसा, बैतूल
3. श्री कमलेश टेकाम, जिला समन्वयक, पेसा, छिंदवाड़ा
4. श्री मनीष डुडवे, जिला समन्वयक, पेसा, खरगोन

महाराष्ट्र

1. श्री शेखर शंकर सावंत, निदेशक, राज्य पेसा कक्ष, महाराष्ट्र
2. डॉ. विवेक हरिदास जाधवर, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण विशेषज्ञ, राज्य पेसा कक्ष, महाराष्ट्र
3. श्री विनायक तुलसीराम थाळकर, वयम, सिविल सोसाइटी संगठन
4. श्री संदीप लोटन वाडिले, जिला पेसा प्रबंधक,नंदुरबार
5. श्री सुबोध तायडे, सलाहकार, युनिसेफ
6. श्री मधुकर ठोंगिरे, जिला पेसा प्रबंधक, पुणे
7. श्री महादेव भवारी, सरपंच, मोहे बुद्रुक पंचायत, आंबेगांव तालुका, पुणे

ओडिशा

1. श्री संतोष कुमार पात्रा सहायक निदेशक, SIRD&PR
2. श्रीमती पृथिश्री दाश, सहायक निदेशक (विधि), PR&DW विभाग
3. श्री जितेन्द्र मुण्डा, जिला परियोजना अधिकारी, सुंदरगढ़
4. श्री संदीप कुमार पटनायक, सलाहकार, UNFPA

राजस्थान

1. श्री प्रवीण कुमार गर्ग, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
2. श्री बनवारीलाल बुम्बरिया, सहायक निदेशक, TRI, उदयपुर

तेलंगाना

1. श्रीमती के. पद्मजा रानी, संयुक्त निदेशक (PR), TGIRD
2. श्री ए. सुभाष चंद्र गौड़, फैकल्टी, TGIRD
3. श्री के. प्रभाकर, जिला समन्वयक, पेसा, मुलुगु
4. श्री ए. वसंत राव, जिला समन्वयक, पेसा, आदिलाबाद

विशेष धन्यवाद

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से उन सभी प्रतिनिधियों, ग्राम सभा सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और पेसा के तहत स्वशासन की शक्ति को सिद्ध कर इस संकलन को संभव बनाया।

Developed by

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA

Technical Support with

tri Transform Rural India

Layout & Design: Foxview Media
connect@foxviewmedia.com